Thursday, 17 September, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1—10]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025.
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1344 [ai] LSD—1.

विषय-सूची

अंक 9—गुरुवार, 17 सितम्बर, 1964/26 सितम्बर, 1886 (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
235	बैंक ग्राफ चाइना	881—84
236	अस्पतालों का सर्वेक्षण	884—87
237	लागत घटाने संबंधी विभाग	887—90
238	छोटे नगरों का आर्थिक विकास	890—93
239	चौथी योजना	893—96
240	राजस्थान नहर परियोजना	897—99
241	पूर्वी जर्मनी का ऋण देने का प्रस्ताव	899-900

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
242	राज्यों द्वारा नियत राशि से अधिक राशि का निकलवाया जाना	900
243	मसालों में मिलावट	901
244	जलाशयों में मिट्टी का जम जाना	901-02
245	परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति	902
246	वायु सीमा शुल्क पूल	903
247	बैंक ग्राफ अमरीका	903-04
248	पेय जल बोर्ड	904
249	पूर्वी उत्तर प्रदेश	904-05
250	बम्बई में छापे	905
251	आयकर की बकाया रकम	905-06
252	गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	906
253	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	907
254	विश्व बैंक से आर्थिक सहायता के बारे में बातचीत	907-08
255	दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन	908
256	पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों को आयकर की रियायतें	908-09
257	सन्तालडीह में तापीय विद्युत् संयंत्र	909

*किसी नाम पर अंकित यह +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 9—*Thursday, September* 17, 1964/*Bhadra* 26, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
235	Bank of China	881—84
236	Survey of Hospitals	884—87
237	Cost Reduction Cell	887—90
238	Economic Development of Small Towns	890—93
239	Fourth Plan	893—96
240	Rajasthan Canal Project	897—99
241	East German Credit Offcer	889-900

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
242	Over-drafts by States	900
243	Adulteration of Spices	901
244	Siltage in Water Reservoirs	901-02
245	Committee on Trasnport Policy and Coordination	902
246	Air Customs Pool	903
247	Bank of America	903-04
248	Drinking Water Board	904
249	Eastern U.P.	904-05
250	Raids in Bombay	905
251	Income-tax Arrears	905-06
252	Slum Clearance	906
253	Central Government Health Scheme	907
254	Aid Negotiations with World Bank	907-08
255	Reorganisation of D.V.C.	908
256	Income-tax Concessions to Migrants from East Pakistan	908-09
257	Thermal Power Plant at Santaldih	909

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
258	शरावती परियोजना . .	910
259	चिनाव परियोजनायें . .	910–11
260	मेसर्स एसोशियेटेड जनरल्स लिमिटेड .	911
261	दिल्ली बृहद् योजना . . .	911–12
262	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता	913
263	"सी" पावर स्टेशन	913–14

अतारांकित प्रश्न संख्या		
731	राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .	914
732	परिवार नियोजन चिकित्सालय .	914–15
733	राजस्थान में ग्रामीण आवास योजना .	915
734	लघु बचत प्रमाण पत्र . .	916
736	गोबिन्द सागर जलाशय . . .	916
737	मैसूर में ग्रामीण जल संभरण .	916–17
738	वजीराबाद जलाशय का स्तर . .	917
739	राज्यों में योजना कार्यक्रम	917–18
740	जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन . .	918
741	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन .	918
742	होम्योपैथिक इलाज . .	918–19
743	अव्यतामापी केन्द्र . . .	919
744.	नयें मैडिकल कालेज . .	919
745	सिंचाई और बिजली अनुसन्धान अधिवेशन .	920
746	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि .	920
747	चार्टर्ड अकाउन्टेंटों की संस्थायें . . .	921
748	प्रबन्धकों का पारिश्रमिक और संचालकों की नियुक्ति	921
749	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये बोनस टिकट	921–22
750	कोलार सुवर्ण क्षेत्र में टकसाल .	922
751	अवैतनिक डाक्टर . . .	922
752	पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली के क्वार्टर .	922–23
753	ब्रह्मपुत्र का तटबन्ध .	923
754	पाकिस्तान को पानी का संभरण	923
755	पदाधिकारियों का यात्रा भत्ता व्यय	923
756	पर्वतीय प्रतिकर भत्ता .	924
757.	पीने के पानी की सुविधायें . . .	924
758	व्यापारी फर्मों द्वारा कम और अधिक बीजक बनाना .	925
759	राजस्थान के गांवों में बिजली लगाना .	925

Starred Questions Nos.	Subject	PAGES
258	Sharavati Project	910
259	Chenab Projects	910—11
260	M/s. Associated Journals Ltd.	911
261	Delhi Master Plan	911—12
262	D.A. for Central Government Employees	913
263	'C' Power Station	913—14

Unstarred Questions Nos.		
731	Primary Health Centres in Rajasthan	914
732	Family Planning Clinics	914—15
733	Rural Housing Scheme in Rajasthan	915
734	Small Savings Certificates	916
736	Gobind Sagar Reservoir	916
737	Rural Water Supply in Mysore	916—17
738	Wazirabad Reservoir level	917
739	Plan Programme in States	917—18
740	Reorganisation of L.I.C.	918
741	Violation of Foreign Exchange Regulations	918
742	Homoeopathic Treatment	918—19
743	Audiometer Centres	919
744	New Medical Colleges	919
745	Irrigation and Power Research Session	920
746	Land Leases by Delhi Development Authority	920
747	Institutes of Chartered Accountants	921
748	Managerial Remuneration and Appointments of Directors	921
749	Bonus Tickets for Indians Abroad	921—22
750	Mint at Kolar Gold Fields	922
751	Institution of honorary doctors	922
752	Quarters at Panchkuin Road, New Delhi	922—23
753	Embankment along with the Brahmaputra	923
754	Water Suppy to Pakistan	923
755	T.A. Expenditure on Officers	923
756	Hill Compensatory Allowance	924
757	Drinking Water Facilities	924
758	Under and over invoicing by business Firms	925
759	Rural Electrification in Rajasthan	925

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
760	ग्राम जल प्रदाय	925
761	मध्यप्रदेश ग्राम जल प्रदाय परियोजना . . .	926
762	निगम क्षेत्र द्वारा चन्दा	926
763	सुशिक्षित डाक्टर	926–27
764	आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियों का अनुवाद . . .	927–28
765	चिकित्सा व्यय का प्रतिशोधन . . .	928
766	पंजाब की सिंचाई परियोजनायें . . .	928
767	गंडक परियोजना	928–29
768	भूधारण अभिलेख	929
769	कम्पनी विधि न्यायाधिकरण . . .	929
770	सरकारी डाक्टर द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस . . .	930
771	राजस्थान नहर का नौवहन	930
772	ग्राम्य गृहनिर्माण . . .	930–31
773	पर्वतीय क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी .	931
774	चोरी से लायी गई घड़ियां	931
775	सोने का चोरी से लाया जाना	931–32
776	चोरी से लायी गई विलास की वस्तुयें . .	932
777	गर्भ निरोधक ओषधियां	932–33
778	राजेन्द्र स्मारक गवेषणा संस्था . . .	933
779	पंजाब के कस्बों के लिये वृहद् योजना . .	933
780	पश्चिमी यूरोपीय देशों से सहायता . . .	934
781	तपेदिक के रोगियों का घर पर इलाज . . .	934–35
782	स्कूलों का चिकित्सा निरीक्षण . . .	935
783	गुलाबी बाग, दिल्ली में अस्पताल . . .	935
784	केरल में तापीय संयंत्र	936
785	शेयर बाजार में मंदी . . .	936–37
786	अमेरिका से सहायता	937
787	नदी घाटी परियोजनायें	937–38
788	जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण . . .	938–39
789	नदी घाटी परियोजनायें	939
790	चन्द्रपुर तापीय विद्युत् स्टेशन . . .	939–40
791	सिंचाई योजनान्तर्गत परियोजनायें . .	940
792	आंध्र प्रदेश में ग्रामीण आवास योजना . .	940–41
793	प्राइवेट मैडिकल कालेजों का उत्तरदायित्व संभालना .	941
794	प्राइवेट मैडिकल कालेज	942

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
760	Rural Water Supply	925
761	M.P. Rural Water Supply Project	926
762	Contributions by Corporate Sector	926
763	Qualified Doctors	926—27
764	Translation of Ayurvedic Manuscripts	927—28
765	Re-imbursement of Medical Expenses	928
766	Irrigation Projects for Punjab	928
767	Gandak Project	928—29
768	Records of Tenancies	929
769	Company Law Tribunal	929
770	Private Practice by Government Doctors	930
771	Navigation on Rajasthan Canal	930
772	Rural Housing	930—31
773	Scarcity of Drinking Water in Hilly Areas	931
774	Smuggled Watches	931
775	Good Smuggling	931—32
776	Smuggled Luxury Articles	932
777	Oral Contraceptive	932—33
778	Rajendra Memorial Research Society	933
779	Master Plan for Punjab towns	933
780	Aid from Western European Countries	934
781	Domicillary Treatment of T.B. Patients	934—35
782	Medical Inspection of Schools	935
783	Hospital in Gulabi Bagh, Delhi	935
784	Thermal Plant for Kerala	936
785	Slump in Share Market	936—37
786	Aid from U.S.A.	937
787	River Valley Projects	937—38
788	Soil Conservation in Catchment Areas	938—39
789	River Valley Projects	939
790	Chandrapura Thermal Power Station	939—40
791	Irrigation Plan Projects	940
792	Rural Housing Scheme in Andhra Pradesh	940—41
793	Taking over of Private Medical Colleges	941
794	Private Medical Colleges	942

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
795	"जीवन विहार" नई दिल्ली में अग्निकांड	942—43
796	संसद् सदस्यों से नई दिल्ली नगरपालिका की देय राशि	943
797	तवा परियोजना	943
798	उड़ीसा में आय कर इकट्ठा करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था	943—44
799	उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर प्रशासनिक नियंत्रण	944
800	आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल सायंसेस अस्पताल	945
801	खाद्य-अपमिश्रण	945
802	आय-कर की वापसी	946
803	उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क	946
804	संसद्-भवन सम्पदा	946
805	हैजे का टीका	946—47
806	तम्बाक पर उत्पादन शुल्क	947
807	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेद औषधालय	947

सभा पटल पर रखे गये पत्र	948—49
राज्य-सभा से संदेश	949
सदस्य की गिरफ्तारी	949
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, पुरःस्थापित	949—50
मंत्रि-परिषद में अविश्वास प्रस्ताव	950—51
श्री नाथ पाई	951—55
श्री सोलांकी	955—56
श्री उमानाथ	957
श्री जोकीम आल्वा	957—58
श्री स० मो० बनर्जी	958—59
श्री दी० चं० शर्मा	960
श्री उ० मू० त्रिवेदी	960—61
श्री शिवाजी राव श० देशमुख	961
श्री हाथी	962—65
श्री कृष्ण मेनन	965—67
श्री मौर्य	967—68
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	969—75
श्री रामेश्वरानन्द	975
श्री कोया	976
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	976—78
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	978—79
श्री मुतुगोंडर	979—80
श्री बागड़ी	980—81

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
795	Fire in "Jeevan Vihar" New Delhi	942—43
796	Amount due to N.D.M.C. from M.Ps.	943
797	Tawa Project	943
798	Administrative Machinery for Income tax Collection in Orissa	943—44
799	Administrative Control of Central Excises in Orissa	944
800	All India Institute of Medical Sciences Hospital	945
801	Food Adulteration	945
802	Refund of Income-tax	946
803	Excise Duty on Consumer Goods	946
804	Parliament House Estate]	946
805	Anti-Cholera Vaccine	946—47
806	Excise Duty on Tobacco	947
807	C.G.H.S. Ayurvedic Dispensaries	947

Papers laid on the Table . . . . 948—49

Message from Rajya Sabha 949

Arrest of Member 949

Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill—introduced . . . . 949—50

Motion of No-confidence in the Council of Ministers 950-51

- Shri Nath Pai . . . . 951—55
- Shri Solanki . . . . 955—56
- Shri Umanath 957
- Shri Joachim Alva . . . . 957—58
- Shri S.M. Banerjee . . . . 958—59
- Shri D.C. Sharma 960
- Shri U.M. Trivedi . . . . 960—61
- Shri Shivaji Rao S. Deshmukh 961
- Shri Hathi . . . . 962—65
- Shri Krishna Menon . . . . 965—67
- Shri B.P. Maurya . . . . 967—68
- Shri T.T. Krishnamachari . . . . 969—75
- Shri Rameshwaranand 975
- Shri Koya 976
- Shrimati Renu Chakravartty . . . . 976—78
- Shri Prakash Vir Shastri . . . . 978—79
- Shri Muthu Gounder . . . . 979—80
- Shri Bagri . . . . 980—81

(1)	The title of the book and the contents of the title page, with translation into English of such title and contents, when the same are not in the English language;	लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण (Summarised Translated Version of Lok Sabha Debates)
(2)	The language in which the book is written;	Hindi/English
(3)	The name of the author, translator or editor of the book or any part thereof;	Lok Sabha Secretariat
(4)	The Subject ;	Proceedings of the Lok Sabha
(5)	The place of printing and the place of publication;	Printed at the Govt. of India Press, New Delhi. Published by the Lok Sabha Secretariat at the Parliament House, New Delhi.
(6)	The name of firm of the printer and the name or firm of the publisher;	do
(7)	The date of issue from the Press or of the publication;	

P.T.O.

(8) The number of sheets, leaves or pages;

(9) The size;

(10) The first, second or other number of the edition;

(11) The number of copies of which the edition consists;

(12) Whether the bo k is printed or lithorgraphed;

(13) The price at which the book is sold to the Public; and

(14) The name and residence of the proprietor of the copyright or of any portion of such copyright.

Octavo

First Edition

600

Printed

One Rupee

Lok Sabha Secretariat Parliament House, New Delhi.

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 17 सितम्बर, 1964/ 26 भाद्र , 1886 (शक)

Thursday, September 17, 1964, Bhadra 26, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

+ Bank of China

*235. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Sidhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri D.C. Sharma :
Dr. L.M. Singhvi :
Shri P.K. Deo :
Shri Solanki :
Shri Hem Barua :
Shri D.D. Mantri :
Shri Maniyangadan :
Shri Naval Prabhakar :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the enquiry into the affairs of Bank of China has been completed ;

(b) if so, the facts known as a result of this enquiry ; and

(c) whether the enquiry has also disclosed certain accounts in the names of some political parties and the editors of certain newspapers ?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : (a) The investigation is almost complete and it is understood that a report is being prepared.

(b) and (c). As the report has not yet been submitted, it is not possible at this stage to anticipate the investigating officer's findings or conclusions.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know Sir, when the enquiry against the Bank of China completed and that the reason why it has not yet been published is that some political parties and persons are involved and the Government want to delay the publication of the report ?

Shri B.R. Bhagat : It is true that the report should have been received some months back. The date when the inquiry started has been given here many times. I do not have the date with me now but I do admit that the preparation of the report has been delayed. But I would like to inform the hon. Member that no political considerations are involved. The reason for the delay is that many of the papers are in the Chinese language ; those documents had to be translated and accounts had to be gone into. Accounts Officers had been deputed on the request of the inquiry authorities. So, those were the reaosns for the delay and more delay is not likely.

Shri Prakash Vir Shastri : The question has been raised many times in both Houses of Parliament during the last almost two years. Would the hon. Minister assure the House that the result of the inquiry would be laid before the House during this session ?

Shri B.R. Bhagat: Not in this session but I would try to see that the results of the inquiry are made known to the House during the next session.

Shri Jagdev Singh Sidhanti : Have the Government got any information to the effect that certain highly placed retired officers of the Government had also their accounts with this Bank ?

Shri B.R. Bhagat : I have no such information.

Shri Yashpal Singh : Our Government have accounts in the English language ; in all banks accounts are maintained in English. Government should clearly state whether any political party is involved and how many members of political parties had accounts in that bank.

Shri B. R. Bhagat : It is true that the major report of the Bank is to be written in English but many of the accounts under inquiry were maintained in the Chinese language.

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister might give whatever information he happens to have at the moment.

Shri B. R. Bhagat : It has been stated earlier that there is nothing much in those accounts. It has been stated in the House that a weekly paper connected with a political party had accounts in the Bank.

Shri Prakash Vir Shasri : What is the name of that party ?

Shri B.R. Bhagat : That is no news ; it has been stated that the weekly paper which has an account with the Bank was connected with the Communist Party.

श्री वी० चं० शर्मा : हमें बताया गया है कि बैंक ग्राफ चायना ने कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए कुछ गुप्त नाम और अंक रखे थे । सरकार ने उन गुप्त नामों और अंकों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : इन सभी मामलों की जांच की जा रही है और यह फैसला करना जांच करने वालों के लिए है कि इस सम्बंध में क्या तरीके इस्तेमाल किए जायें ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : बैंक के कागजपत्रों को पढ़ कर—या उनमें से अधिकतर को पढ़न के बाद माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति थे जो इस बैंक में साम्यवादी दल का हिसाब चला रहे थें ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास ब्योरा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा मोटें तौर पर यह बात सभा में कई बार बताई जा चुकी है कि साम्यवादी दल के एक प्रकाशन गृह के नाम में वहां हिसाब था ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि सरकार को विश्वास था कि बैंक आफ़ चायना अनियमितताएं कर रहा था और, यदि हां, तो रिजर्व बैंक ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जिससे कि ये अनियमितताएं बढ़ने से पहले ही रोक दी जायें ?

श्री ब० रा० भगत : रिजर्व बैंक ने इस बैंक को बन्द होने के लिए कहा तो कार्यवाही तो की गयी ।

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि पहले कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक हिसाब किताब रखने में बैंक संबंधी कानून का सम्बंध है रिजर्व बैंक को कोई अनियमितताएं दिखाई नहीं पड़ी । यही कारण था कि विशष कार्यवाही की गयी । यह समाचार मिला था कि बैंक देश के हितों के विरुद्ध काम कर रहा है । इसीलिए विशेष कार्यवाही की गयी । लेकिन बैंक व्यवहार की दृष्टि से इस बैंक ने बैंक अधिनियम के किसी विनियम का उल्लंघन नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार इस बात से इनकार कर सकती है कि रिजर्व बैंक ने जो जांच की उसके बाद सरकार के पास रिपोर्ट दी कि पश्चिमी बंगाल के साम्यबादी नेता ज्योति बसु ने इस बैंक से लाखों रुपये निकलवाए थे ?

श्री ब० रा० भगत : जांच का परिणाम आयेगा तो ये सब बातें मालूम हो जायेंगी । मैं इस समय किसी बात का समर्थन या खंडन नहीं कर सकता ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री के पास इस समय वह जानकारी हैं या नहीं ।

श्री ब० रा० भगत : इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री शशि रंजन : जहां तक मुझे मालूम है नियमानुसार सभी बैंकों को अपना हिसाब रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है । क्या बैंक आफ चायना अपना हिसाब चीनी भाषा में देता था ?

श्री ब० रा० भगत : इस बैंक ने नियमों का पालन किया और रिज़र्व बैंक को हिसाब दिखाया और रिजर्व बैंक ने उसका मुआइना किया ।

श्री स० मो० बनर्जी : रिजर्व बैंक ने कम्युनिस्ट दैनिक या कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के लेन-देन की ही जांच की या बाकी लोगों का हिसाब किताब भी देखा ? किस प्रकार की जांच की गयी थी ?

श्री ब० रा० भगत : किसी विशेष हिसाब की नहीं बल्कि सभी खातों की जांच की गयी थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, रिज़र्व बैंक की जांच काफ़ी नहीं थी। इसलिए भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत यह जांच करने का आदेश दिया गया है जो कि काफ़ी व्यापक होगी।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या इस बैंक के कोई परिसम्पत हैं और यदि हां, तो वे परिसम्पत रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में हैं या नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : ये सभी बातें रिपोर्ट से आ जायेंगी लेकिन उस बैंक के परिसम्पत हैं।

श्री कपूर सिंह : अब बैंक आफ़ चायना नहीं रहा। क्या सरकार जानती है कि इस स्थिति में चीनी और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद यहां के साम्यवादियों को कैसे सहायता देता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस का उत्तर देना मेरी सामर्थ्य से बाहर है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has stated that the editor of a weekly had an account in that Bank ; may I know the name of that weekly and the name of the editor together with the amount he had deposited in that Bank ?

Shri B.R. Bhagat : The name has been stated earlier ; I stated that the weekly was connected with the Communist Party.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I wanted to know the name of that paper.

Shri B.R. Bhagat : I do not have the name with me. That party has many weeklies ; I do not have the name of that particular weekly with me at the moment.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I wanted to know the name of the weekly, its editor and the amount credited to his name in the Bank.

Mr. Speaker : The hon. Minister has stated that he does not have the relevant information at the moment.

अस्पतालों का सर्वेक्षण

+

*236. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री बागड़ी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में अस्पतालों के कार्य संचालन का सर्वेक्षण करने के लिये एक समिति गठित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य कब किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) ये विषय विचाराधीन हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : स्थानीय अभिकरणों और विभिन्न सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले कई अस्पतालों की हालत बहुत शोचनीय है, जहां डाक्टरों की कमी है और दवाइयां तो सभी जगह अपर्याप्त है। तो क्या सरकार इस सम्बंध में फौरन कोई जांच शुरु करना चाहती है कि एक ऐसा अभिकरण हो जो सारे देश के अस्पतालों का प्रबंध करे ?

डा० सुशीला नायर : स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और मेरे विचार में सभी अस्पतालों को एक ही अभिकरण के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या किसी राज्य सरकार नें अभ्यावेदन किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिये समुचित वित्तीय सहायता दी जायगी जिससे कि सारी जनसंख्या को स्वास्थ्य सम्बंधी सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

डा० सुशीला नायर : भारत सरकार से प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्रों को काफी सहायता दी जा रही है और वे सारे ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

Shri Bagri : Would the hon. Minister consider the fact that the Government spent on health facilities in Delhi double the amount that was spent by U.P. and Punjab ?

Dr. Sushila Nayar : The Governments of U.P. and Punjab spend on health what they think fit and the Government of India spent on health in Delhi as much as they think necessary.

Mr. Speaker : Hon. Ministers should consider the suggestions that are made by members in the House.

Shri D.N. Tiwary : Does the hon. Minister think—as she has given expression to it many times—that hospital facilities are inadequate, that the patients are not properly looked after, and that there is dearth of medicines ; if so, whether the administration and the doctors have tried to improve matters ?

Dr. Sushila Nayar : It is true, sir, that the hospitals admit more patients than there are beds. There are no sufficient arrangements for medicines, clothes and diet for them. And they are not as well looked after as they should be. We could only advise the State Governments in that regard but they also have their difficulties. When a seriously ill patient seeks admission to a hospital, the authorities cannot refuse him and send him back. They try to accommodate him in whatever manner it is possible and try to treat him.

श्री प्र० चं० बरुग्रा : पिछले वर्ष माननीय मंत्री ने इस सभा में कहा था कि कान, नाक और गले के रोगियों को आपरेशन के लिए लगभग एक साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या उस स्थिति में कोई सुधार हुआ है ? यदि नहीं, तो सर्वेक्षण पूरा होने से पहले उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : कुछ मरीज़ों को—जिन का आपरेशन जल्दी का न हो—कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं यह नहीं बता सकती कि कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस की पूर्व सूचना दी जाय तो मैं जानकारी दे सकती हूं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : माननीया मंत्री ने अभी कहा कि प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार भारी सहायता देती है। क्या उन्हें मालूम है कि कई केन्द्रों में डाक्टर और कम्माउंडर नहीं हैं ?

डा० सुशीला नायर : यह ठीक है कि कुछ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं लेकिन ऐसे केन्द्रों की संख्या दिनोदिन घटती जा रही है।

श्रीमती अकम्मा देवी : क्या गरीब और अमीर रोगियों के प्रति अस्पतालों के डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में जांच की जायगी ?

डा० सुशीला नायर : आम अस्पतालों में डाक्टर अमीर गरीब सब के साथ एक सा व्यवहार करते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीया मंत्री को मालूम है कि अस्पतालों में, वहां दाखिल न होने वाले मरीज़ों के लिए दवाओं की एक ही सूची है ? क्या उन्हों ने दवाइयों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की है जिस से कि विशेष कर ऐसे मरीज़ों को दवाई दी जा सके ?

डा० सुशीला नायर : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दिल्ली में, अस्पताल में दाखिल न होने वाले मरीज़ों के लिए दवाइयों की कमी है।

श्री अ० सिंह सहगल : क्या दिल्ली के अस्पतालों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई सुझाव मिला है ?

डा० सुशीला नायर : मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य किस सुझाव का उल्लेख कर रहे हैं। सम्भव है समय समय पर लोगों ने सुझाव दिए हों या कुछ विचार प्रकट किए हों।

श्री भागवत झा आजाद : [क्या सरकार ने समिति बनाने के महत्वपूर्ण सुझाव पर विचार करने से पहले यह देखा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जिन के लिए अस्पतालों की सुविधा है ?

डा० सुशीला नायर : अस्पताल में मरीज़ों के रखने की व्यवस्था अपर्याप्त है। प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों के लिये 0.5 बैड अस्पतालों में हैं ऐसी बात नहीं कि कुछ प्रतिशत को सुविधा है और कुछ को नहीं ; यह ठीक है कि कुछ बड़े नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं।

Shri Ram Sevak Yadav : Would the Committee consider ways of checking the negligence and sometimes cruelty shown to the patients by the doctors in the hospitals ?

Dr. Sushila Nayar : Whenever any complaint is received it is enquired into. The doctors usually treat the patients wih consideration and do their best for them ; it is possible that there might be some carelessness in some cases.

Shri Y.S. Chaudhary : What are the terms of reference of the Committee and its scope ?

Dr. Sushila Dayar : As I stated that all those matters are under consideration ; information would be given to the House when all of them are finalised.

श्री बूटा सिंह : सभा के जिन सदस्यों को अस्पतालों के प्रबन्ध का प्रत्यक्ष अनुभव है, क्या उन्हें इस समिति में लिया जायगा ?

डा० सुशीला नायर : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

Shri P.L. Barupal : In most of the hospitals the patients are given prescriptions and asked to buy the medicines themselves because the hospitals do not have those medicines. Would Government make arrangements for medicines too ?

Mr. Speaker : The question has been asked and answered.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether the Committee have got a complaint that the medicines meant for the hospitals are pilfered by the doctors and compounders and sold in the black market and the patients have to undergo difficulties because they are asked to buy those medicines from the market ?

Dr. Sushila Nayar : The Committee has not yet been appointed and the question of its having received any complaint does not arise. If the hon. Member has any knowledge of any such cases they could be enquired into.

Shri P.L. Barupal : That happens in most of the hospitals.

लागत घटाने संबंधी विभाग

\+

*237. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **योजना** मंत्री 16 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने लागत घटाने सम्बन्धी एक विभाग स्थापित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य के क्षेत्र की और जिन अभिकरणों के माध्यम से वह कार्य करेगा उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). योजना आयोग या सरकार के किसी अन्य कार्यालय में, लागत घटाने सम्बन्धी अध्ययन, विशेषकर निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक विभाग गठित करने का प्रश्न योजना आयोग और वाणिज्य मंत्रालय के विचाराधीन है । इस लागत घटाने सम्बन्धी विभाग को जो काम सौंपे जायेंगे

1344 (Ai) LS—2

उनका स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र, इसमें काम करने वाले अमलें का ढांचा और अन्य विषयों पर भी अभी विचार किया जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह प्रस्ताव कब प्रारम्भ हुआ था और इस मामले पर विचार करने में इतना अधिक समय क्यों लगा ?

श्री ब० रा० भगत : वाणिज्य मंत्रालय ने शायद इस साल जनवरी में योजना आयोग को लिखा कि वह इस काम को हाथ में ले । प्रारम्भ में आयोग इस काम को शुरू करने में हिचक रहा था क्योंकि उस का विचार था कि यह काम वाणिज्य मंत्रालय में ही होना चाहिए । लेकिन चूंकि कई मंत्रालयों के बीच तालमेल का सवाल था, वाणिज्य मंत्रालय ने लिखा कि अच्छा यह होगा कि आयोग इस काम को करे । इस के सम्बन्ध म और कई बातों का फैसला अभी नहीं किया गया है । अभी यह निर्णय करना संभव नहीं हो पाया कि योजना आयोग इस काम को करे या कि वाणिज्य मंत्रालय और न यही फैसला हुआ है कि इस अध्ययन का विस्तार क्या होगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह तो एक दूसरे पर काम टालने की बात है कि सरकार निर्णय नहीं कर पाई । हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उनका ब्योरा क्या है और उन्हें लागू कब किया जायगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने कहा है कि यह प्रस्ताव व्यापार बोर्ड की बैठक में प्रारम्भ हुआ जिस में पटसन, कपड़ा और तेलों आदि जैसी निर्यात की वस्तुओं पर विचार किया जा रहा था । वह बोर्ड चाहता था कि निर्यात की वस्तुओं, काम की कार्यकुशलता उपकरणों के पूंजीकरण आदि के सारे प्रश्न पर विचार किया जाय जिस से कि लागत कम हो सके । प्रस्ताव बहुत व्यापक था । जैसाकि मैंने कहा अभी हम ने यह फैसला नहीं किया कि अध्ययन का दायरा क्या होगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : उद्योग मंत्रालय में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् है जो उत्पादन की कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत घटाने का प्रयत्न करती है । इस प्रकार का नया अध्ययन करने की क्या जरूरत है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं समझता हूं कि मैं ने इस प्रकार के नए ,अध्ययन का कारण बता दिया हैं । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ऐसी संस्था है कि वह इस काम को नहीं कर सकती ।

Shri M.L. Dwivedi : The hon. Minister answered a question on the subject on the 16th April last and even now when six months have elapsed the Government have been unable to come to a decision on the matter. I want to know when the matter would be decided ; would Government decide it only when the Fourth Plan is finalised and the question of reduction of costs is obviated ?

Shri B.R. Bhagat : The need for reduction in cost of production would remain whether it is in this Plan or the next ; we would always be faced with the problem of the cost of production. Government would try to see that an early decision is taken.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इस प्रभाग का क्या काम है ? क्या सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की ओर उन के उत्पादन के तरीकों की जांच और अध्ययन किया जायगा ताकि लागत को कम किया जा सके ? क्या यह प्रभाग इसी काम के लिए बनाया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने कहा कि इस के दायरे का अभी फैसला नहीं हुआ । यह प्रश्न बाद में उठेगा ।

श्री वारियर : क्या उत्पादन लागत के साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया जायगा कि कृषि उत्पादों की भी आर्थिक कीमत होनी चाहिए जोकि बाहर भेजे जाते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : आधुनिक नीति के सभी पहलुओं पर विचार किया जायगा जिस में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो लागत में शामिल होते हैं । लेकिन अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री अल्वारेस : देश में उपभोक्ता माल तैयार करने वाले उद्योगों में भी लागतें बढ़ती जा रही हैं । क्या सरकार लागत नियंत्रण उन उद्योगों पर भी लागू करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : वह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है लेकिन यह बात स्वीकार कर ली गयी है कि सभी बढ़ती हुई लागतों को रोका जाय ।

Shri Buta Singh : May I know whether cost control would apply to the public sector alone or to the private sector also ?

Shri B.R. Bhagat : It would apply to all manufactured articles.

श्री श्याम लाल सर्राफ : निर्यात की वस्तुओं को तो छोड़ दीजिए, क्या योजना आयोग ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत में उत्पादन लागत विदेशों की अपेक्षा अधिक है और यदि हां, तो उस ने अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : सामान्य प्रश्न के रूप में यह बात सदा हमारे सामने रही है लेकिन योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष कदम नहीं उठाए और न कोई अध्ययन प्रारम्भ किया है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मेरा प्रश्न यह है कि भारत में जो चीज़ें बनती हैं उन की लागत विदेशों की अपेक्षा अधिक होती है ; तो इस सम्बन्ध में योजना आयोग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : प्रश्न एक सुझाव के सम्बन्ध में है जो वाणिज्य बोर्ड में दिया गया था ; वह निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में था । माननीय सदस्य ने जो कहा, ठीक ही कहा लेकिन इस प्रश्न का उनके विचार से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कमल नयन बजाज : यदि लागत घटाने वाला यह प्रभाग खोलने का निश्चय किया गया तो यह भारत सरकार के फालतू कर्मचारियों को मिला कर बनाया जायगा या इस से सरकार का खर्च बढ़ेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऐसा प्रभाग होना चाहिए या नहीं, इसका अन्तिम फैसला तो सरकार करेगी। लेकिन वाणिज्य बोर्ड के सुझाव को वाणिज्य मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। अब इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि इस काम को कौन करे और कैसे करे। पहले इस बात का फैसला करना है। यह बात तो बाद में देखी जायेगी कि इसे सरकार के प्रस्तुत प्रशासनिक कर्मचारी ही कर सकते हैं या इसके लिए नया प्रभाग जरूरी है या कि यह काम किसी विशेष अभिकरण को दे देना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार यह समझती है कि लागत घटाने की गुंजाइश है या कि वह यह प्रभाग बना इसलिए रही है कि ऐसी गुंजाइश का पता लगाया जाय।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि यह तो सभी मानते हैं कि लागतें घटाने की जरूरत है विशेषकर निर्यात किये जाने वाले माल की लेकिन इसमें घटने की गुंजाइश कहां तक है यहबात देखने की है ।

डा० सरोजिनी महिषी : अब तक कि योजना आयोग ने अनिच्छा से इस काम को स्वीकार कर लियाहै। इस अध्ययन को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऐसा तो नहीं लगता कि योजना आयोग ने इस भारी जिम्मेदारी को स्वीकारही कर लिया है। ऐसा प्रभाग बने या नहीं--इस सारे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

छोटे नगरों का आर्थिक विकास

+

*238. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे नगरों के आर्थिक विकास के लिये सरकार ने एक योजना का प्रारूप तैयार किया है और उसे राज्यों को भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ग) योजना के प्रारूप की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) अन्तिम रूप में योजना कब तैयार की जायेगी तथा उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी नहीं। स्थानिक स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् के अनुरोध पर पहाड़ी एवं सीमान्त क्षेत्रों के छोटे छोटे कस्बों की समस्याओं के अध्ययनार्थ एक समिति का निर्माण किया गया था। एक विवरण (संख्या 1) सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3151/64]।**

(ग) एक विवरण (विवरण संख्या 2) सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3151/64]

(घ) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 1964 के अन्तर तक सरकार को दे देगी। इस रिपोर्ट को स्थानिक स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अनुरोध पर इस समिति का निर्माण किया गया था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमन्, प्रश्न आर्थिक विकास के सम्बन्ध में है न कि नागरिक सुविधाओं और स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में। नगरों का आर्थिक विकास अलग समस्या है।

डा० सुशीला नायर : स्वास्थ्य मंत्री का काम है कि गांवों और नगरों के आयोजन का काम भी देखे। वह मुख्य संगठन है जो प्रादेशिक तथा स्थानीय आयोजन और उद्योग कहां पर हो यह निर्णय करता है और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है यही कारण था कि राज्यों के स्वायत्त शासन और गांव तथा नगर आयोजन विभागों के मंत्रियों ने यह इच्छा प्रकट की कि एक समिति बनाई जाये। उस समिति में अधिकतर वे मंत्री ही हैं।

श्री रामेश्वर टांटिया : विवरण से पता चलता है कि समस्यायें विभिन्न हैं और स्वास्थ्य के अतिरिक्त और चीजों से भी सम्बन्ध रखती है। क्या मंत्री महोदय हमें और चीजों के सम्बन्ध में बताएंगी और यह भी कहेंगी कि अर्थ व्यवस्था के सुधार और विशेषकर कृषि के सुधार—जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आती—के लिए आवश्यक ग्रांट और अन्य सहायता दी जायगी?

डा० सुशीला नायर : जब मंत्री इस रिपोर्ट पर विचार कर चुकेंगे तो वह परिषद्, जिसने यह समिति बनाई है, इस बात पर विचार करेगी कि कौन सी समस्या किस मंत्रालय को सौंपी जाय। कुछ समय पहले हैदराबाद में जो सम्मेलन हुआ था उसमें और महत्वपूर्ण मामलों के अतिरिक्त आवास के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। यह आवास मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। आवास मंत्री उस सम्मेलन में गये थे और उन्होंने उसका पथ प्रदर्शन किया था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर आदिवासी रहते हैं तो मंत्रालय ने पहाड़ी क्षेत्र की क्या परिभाषा रखी है जिससे पता चले कि ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जो आदिवासी क्षेत्रों से भिन्न हैं जिनका काम गृह मंत्रालय के हाथ में है ?

डा० सुशीला नायर : वैसे तो पहाड़ी क्षेत्र दूर दूर तक फैले हुए हैं लेकिन इस समिति ने अपना ध्यान सीमा पर स्थित क्षेत्रों पर केन्द्रित किया है। ऐसे क्षेत्र 6 राज्यों और केन्द्र प्रशासित इलाकों में हैं।

श्री हेम राज : क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय ने एक केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र विकास समिति बनाई है और स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति इसके साथ तालमेल रख रही है या नहीं ?

डा० सुशीला नायर : मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य किस समिति की बात कर रहे हैं। और फिर जिस समिति की बात चल रही है वह स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति नहीं है। इसे केन्द्रीय स्वायत्त शासन परिषद् ने नियुक्त किया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह तो अच्छा है कि समिति नियुक्त हुई लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में जो रुकावटें आती हैं—जैसे अधिक भाड़ा दर—उन्हें दूर करने के लिए क्या किया गया है ?

डा० सुशीला नायर : खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती । मुझे यही मालूम है कि इन छोटे पहाड़ी नगरों में—जिनमें से कई में स्थानीय निकाय हैं—हालत बुरी है । इन निकायों के साधन अपर्याप्त हैं और लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं । हिमाचल प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री ने सुझाव दिया कि एक समिति इन नगरों की समस्याओं का अध्ययन करे । इसलिए यह समिति बनाई गई ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमान् मेरे प्रश्न की मुख्य बात को तो समझा नहीं गया और प्रश्न को हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित कर दिया गया है । सभा में कई बार कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल का भाड़ा मैदानों की अपेक्षा कई गुणा है । क्या समिति इस प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

डा० सुशीला नायर : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती ।

श्री दी० चं० शर्मा : रिपोर्ट में 14 बातें कही गयी हैं । भारत में इस प्रकार के 70 छोटे पहाड़ी नगर हैं । रिपोर्ट में जो योजना बतायी गयी है उनको लागू करने का खर्च कौन देगा । भारत सरकार इस नतीजे पर कैसे पहुंची है कि सारे भारत में कुल 70 ही ऐसे पहाड़ी नगर हैं ?

डा० सुशीला नायर : 70 नगरों ने उत्तर भेजे हैं, ऐसे नगरों की संख्या तो बहुत अधिक है । 43जिले हैं जिनमें सभी वर्गों के 134 नागरिक क्षेत्र हैं जिनमें से 110 स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह योजना कैसे लागू की जायेगी, कौन लागू करेगा और उसमें केन्द्रीय सरकार का क्या भाग होगा ?

डा० सुशीला नायर : इन समस्याओं के अध्ययन के लिये एक समिति बनाई गयी है और हम उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं ।

श्री बसुमतारी : क्या माननीय मंत्री का मतलब यह है कि कम विकसित और आदिवासी क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य सुधारने का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है ?

Shri Y.S. Chaudhary : Whether it is a fact the Government proposes to cover the hill areas in a particular territory ? Would they take up all the towns in the hills in the country ?

Dr. Sushila Nayar : I said that the Committee is paying a special attention to areas continuous to the Himalayan region. It is not going into the tribal areas of Madhya Pradesh, for example, and other States.

Shri M. L. Dwivedi : The statement says that there is a weak base in so far as industrial avocations are concerned. The Ministry has stated that the State Governments were agreeable. I would like to know why work is not proceeding now that the report of the Committee is available to the Government. Why is there delay inexecuting the work of industrial development ?

Dr. Sushila Nayar : The responsibility for industrial areas is not that of the Ministry of Health. If any State Government is prepared to take up that work they are welcome to do so.

श्री श्यामलाल सर्राफ : शिमला में एक गोष्ठी हुई थी जिसमें खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा इस सभा के प्रतिनिधियों को वहां पर कई उपसमितियों ने अपनी सिफारिशें दी थीं जिनमें इस रिपोर्ट

की अपेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्र में सिफारिशें की गयी थीं । उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गयी है ?

डा० सुशीला नायर : मुझे खेद है कि मुझे उस रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है । यदि कोई इस समिति की नियुक्ति के समय उस रिपोर्ट की चर्चा कर देता तो संभव है कि उस पर भी विचार हो जाता । लेकिन परिषद् इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है । मैं माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी जानकारी उसे पहुंचा दूंगी और उनसे कहूंगी कि वे सभी मामलों पर विचार कर लें ।

Fourth Plan

*239. **Shri M.L. Dwivedi:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S.C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Bishanchander Seth:
Shri B.P. Yadava:
Shri Dhaon:
Shri D.C. Sharma:
Shri P. Venkatasubbaiah:
Shri P.C. Barooah:
Shri Sidheshwar Prasad
Shri Dasappa:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri P.K. Deo:
Shri Solanki:
Shrimati Jotsna Chanda:
Shri Mohammad Elias:
Shri R. Barua:
Shrimati Renu Chakravartty:
Shri D.D. Mantri:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Ram Harakh Yadav:
Shri K.C. Panth:
Shri Eswara Reddy:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state ;

(a) the steps being taken by the Planning Commission for getting suggestions from the Members of Parliament regarding the drafting of the Fourth Plan ;

(b) the time by which the draft of the Fourth Plan will be ready as also the time by which it would be presented to Parliament ; and

(c) whether the draft plans of the States have been placed before the Planning Commission ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Members of Parliament have met in five groups during August 1964 to consider programmes in various sectors relating to Fourth Plan.

(b) Draft Outline is tentatively scheduled to be published by March-April, 1965.

(c) Draft Plans of States have not been received.

Shri M. L. Dwivedi : Who selected the five groups comprising of M.Ps and how was the selection made ?

Shri B. R. Bhagat : They were selected on the advice of the Minister for Parliamentary Affairs.

Shri M. L. Dwivedi : Whether the Ministry had considered the question of taking advantage of the experience and views of Members who have not been included in those groups ?

Shri B. R. Bhagat : About 100 members of all parties in both the Houses had been invited. Government contemplate inviting their opinions in future so that their views with regard to the Fourth Plan could be taken advantage of.

Shri M. L. Dwivedi: What I wanted to know was how Government proposed to take advantage of the advice of members not included in those groups who have special interest in planning. They should be invited to express their opinions before the Fourth Plan is finalised.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार का विचार है कि सदस्यों को उपसमितियों में बांट दिया जाय जैसे कि तीसरी योजना के समय हुआ था ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्यों के साथ यह परामर्श प्रारम्भिक दशा में ही हो रहा है। जब योजना का मसौदा सभा के सामने आयेगा तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे । अस्थायी कार्यक्रम यह है कि अगले बजट सत्र के अन्त में, अर्थात् मार्च या अप्रैल में यही किया जाय । उसके बाद सभा इस पर सामान्य रूप से विचार करेगी जैसा कि तीसरी योजना के समय हुआ था और स्थायी समितियां बना दी जायेंगी । वही प्रक्रिया होगी लेकिन बाद में ।

श्री स० चं० सामन्त : सभा के पांच दलों में बंट जाने से पहले राज्यों की राय सदस्यों को बता दी जायेगी या नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : अभी राज्यों की योजनाएं नहीं आई हैं और संभवत: बाद में, जब समितियां बन जायेंगी उन पर भी विचार किया जायगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has the need for self-sufficiency in food-grains been taken into account in the formulation of the Fourth Plan ?

Shri B. R. Bhagat : That would be kept in view.

श्री ही० ना० मुकर्जी : अब तक समुचित परामर्श नहीं किया गया और सदस्यगण परामर्श में भाग लेने को उत्सुक हैं । क्या इन बातों को देखते हुए सरकार सभा और देश के सामने योजना का मसौदा रखने से पहले और व्यापक परामर्श करने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : मेरी उत्कट इच्छा है कि संसद सदस्यों के साथ अधिकाधिक परामर्श हो सके । कठिनाई उनकी सुविधा और उपलब्ध समय की है । संसद के सत्रों में सदस्यों के पास फालतू समय कठिनाई से ही होता है और वे बैठक के बाद योजना आयोग में नहीं जा सकते । और सत्रों के बीच सदस्यों को दूसरे काम रहते हैं ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सदस्य तैयार हों तो मैं यथासंभव अधिकाधिक [illegible] करवाने को तैयार हूं ।

श्री पें० वेंकट्टासुब्बया : क्या राज्य सरकारों को मोटे तौर पर बता दिया गया है कि वे अपनी योजनाओं पर कितना खर्च कर सकते हैं और उनके क्षेत्रों में करों की कितनी सीमा है जिससे कि वे एक विशेष ढांचे के अनुसार—जो केन्द्र बता रहा है—अपनी योजनाएं बनाएं ? यदि हां, तो वे कब तक अपनी योजनाएं भेज देंगे ?

श्री ब० रा० भगत : योजना का स्वरूप, आकार और राशि आदि के सम्बन्ध में मुख्य मुख्य बातें अक्टूबर के अन्त में राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रख दी जायेंगी और उसके बाद सारा चित्र राज्य सरकारों के सामने आ जाएगा । उसके बाद राज्यों की योजनाएं आयेंगी और विचार यह है कि अगले वर्ष के मध्य में योजना आयोग राज्यों की योजनाओं पर विचार करेगा ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : चौथी योजना का मसौदा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि राज्यों के बीच पानी के झगड़े तय नहीं हो जाते । क्या उस दिशा में भी कोई कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह तो अपनी अपनी राय की बात है लेकिन माननीय सदस्य की राय को ध्यान में रखा जायगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Has any decision been taken about the total outlay in the Fourth Plan ?

Shri B. R. Bhagat : That is being decided. 'As I said it is being reconciled with the figures of the working group report ; the figurtes of the group are quite high.

Shri A. P. Sharma : Whether the Members from areas which were not developed as a result of planning so far and which have been declared as backward areas would be consulted ?

Shri B. R. Bhagat : That would be done.

श्री बासप्पा : क्या चौथी योजना के वृहद रूप को ध्यान में रखा गया है और कृषि को सब से अधिक प्राथमिकता दी गयी है और यदि हां, तो कुल कितना खर्च कृषि पर होगा और उस कार्यक्रम का उपलब्ध साधनों से तालमेल रखा गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखी जायगी और सदस्यों को भी दी जायगी जिसके आधार पर सदस्यों और योजना आयोग के बीच परामर्श हो सकेगा । जो ब्योरा माननीय सदस्य [illegible] चाहते हैं अभी उसका निर्णय नहीं हुआ ।

Shri Ram Sewak Yadav : Whether the Fourth Plan being designed to make the country prosperous would take into account the backward classes and areas which have not been developed so far ?

Shri B. R. Bhagat : Both the things would be taken into account.

श्री अ० प्र० जैन : साधनों का पता जब तक नहीं चलता, तब तक योजना का आकार तय नहीं हो सकता । तो मंत्री महोदय पहले आकार तय करके फिर वित्तीय साधनों का पता लगाएंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य मुझे अपनी कठिनाइयों की याद दिला रहे हैं, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। वित्त मन्त्री और योजना मन्त्री से कई बार असम्भव को सम्भव बनाने को कहा जाता है। हम भरसक प्रयत्न करते हैं कि उसमें सफल हो जायं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : राज्यों की योजनाएं योजना का मुख्य अंग हैं। क्या सरकार ने राज्यों से कहा है कि उन योजनाओं पर विचार विमर्श में संसद् सदस्यों को भी शामिल कर लें और फिर सारी बात संसद् के सामने लाएं ?

श्री ब० रा० भगत : केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग ने कुछ नहीं कहा है। मैं समझता हूं कि संसद् सदस्य स्वयं अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Would the Government also take into consideration the fact that indiscipline and demoralisation is setting in among the students ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक सुझाव है जिस पर माननीय मन्त्री विचार कर सकते हैं।

श्री बसुमतारी : योजना की परियोजनाओं में अविकसित क्षेत्रों और जातियों के विकास और उन्नति के लिए विशेष राशि नहीं रखी गई है। संसद् सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि इस प्रयोजन के लिए कुछ राशि अलग रखी जाय जिससे कि एक निश्चित अवधि, जैसे दस वर्ष, में इन का विकास हो सके। उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा सुझाव दिया गया था और हम उस पर विचार करेंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार ने यह जानने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि तीसरी योजना में गैर योजना खर्च कितना हुआ है और उसे चौथी योजना में कम करने के लिए क्या उपाय ढूंढे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह बात योजना के मसौदे में होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार को पता है कि तीसरी योजना के अन्त में बेकारों की संख्या 1·32 करोड़ होगी और यदि हां तो क्या लोगों को काम दिलाने के सम्बन्ध में चौथी योजना में समुचित व्यवस्था की जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : वास्तव में यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी।

श्री कोया : केरल राज्य में प्रतिनिधि सरकार नहीं हैं, तो वहां की योजनाओं के सम्बन्ध में केरल के संसद् सदस्यों की राय जानने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगतः : इस समय केरल में एक सरकार है और वह इस पर विचार करेगी।

श्री कमलनयन बजाज : क्या यह योजना है कि चौथे वर्ष से अग्रिम परियोजनाओं के लिए कुछ ज़िले चुने जायं जिससे कि परीक्षण के रूप में इन ज़िलों म चौथी योजना लागू की जा सके, और यदि हां तो, इन जिलों के क्या नाम हैं ?

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना लागू करने के लिए तो नहीं परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार ज़िलों का अध्ययन किया गया था और वहां जल्दी से प्रगति के लिए कैसी सहायता देनी चाहिए यह तय कर दिया गया है। यही ढांचा दूसरे पिछड़े हुए और कम विकसित क्षेत्रों पर भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लागू किया जा सकता है।

राजस्थान नहर परियोजना

+
*240. { श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री दे० द० पुरी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री 4 जून, 1964 के राजस्थान नहर से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या 409 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना को राज्य सरकार से लेकर अपने हाथ में लेने के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कब उस परियोजना को अन्तिम रूप से अपते हाथों में ले लेगी और इसकी वित्तीय उपलक्षण यें क्या होंगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं । इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मूल कार्यक्रम के अनुसार मुख्य नहर 1966 में तैयार होनी थी लेकिन अब समाचारों से पता चलता है कि उस नहर का पहला भाग भी 1969-70 से पहले नहीं बन पायगा । काम में इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि परियोजना का पहला भाग 1969-70 में पूरा होगा । यह मुख्यतया इस कारण है कि बड़े कठिन क्षेत्र में निर्माण करना है । साथ ही राजस्थान के वित्तीय साधन अपर्याप्त हैं और इसलिए तीसरी योजना में इस परियोजना के लिए जितनी राशि रखी गयी थी वह सारी की सारी प्रयुक्त नहीं हुई है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सारी परियोजना पर कुल कितनी लागत का अनुमान है और राज्य सरकार अब तक कितना खर्च कर चुकी है ?

डा० कु० ल० राव : पहले भाग का कुल खर्च 75 करोड़ रुपये है और अब तक 34 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ।

श्री हेम राज : क्या पौंग बांध राजस्थान नहर परियोजना का भाग है और क्या उसके साथ ही पौंग बांध और सतलुज ब्यास नहर का काम भी राष्ट्रीय योजना के रूप में प्रारम्भ किया जायगा ? पौंग बांध के कारण जिन लोगों को हटाना पड़ेगा क्या उनको बसाना केन्द्र की जिम्मेदारी होगी ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि पौंग बांध राजस्थान नहर परियोजना का भाग है । हम यह समझ सकते हैं कि सतलुज ब्यास नहर भी इसी का अंग है लेकिन ये दोनों परियोजनाएं ठीक चल रही हैं । मैं ठीक से नहीं कह सकता कि ये केन्द्रीय परियोजनाएं मानी जायंगी । आशा है कि इस सम्बन्ध में दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के बीच समझौता हो जायगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या राजस्थान नहर का सारा खर्च राज्य की सीमा से बाहर समझा जायगा और इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के प्रशासन और लागू करने पर अधिक नियन्त्रण रखेगी ?

डा० कृ० ल० राव : ठीक यही विचार है । चूंकि यह शानदार और महान परियोजना ठीक नहीं चल रही है और हमें आशा है कि इसे केन्द्रीय परियोजना के रूप में ले लिया जाय । वैसा हुआ तो राज्य की सीमा से अधिक धन खर्च किया जायगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: क्या यह सच है कि माननीय वित्त मन्त्री ने स्वयं इस काम में दिलचस्पी ली । यदि हां, तो क्या उन्होंने इसका अध्ययन किया है और यदि हां तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सच तो यह है कि इस समय सरकार और योजना आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । कुछ बड़ी परियोजनाएं है जिन्हें लागू करने में राज्यों को कठिनाई हो रही है । इस जिम्मेदारी से उनके अपने सामान्य कर्त्तव्य निभाने बर प्रभाव पड़ता है । सरकार और योजना आयोग इस बात पर विचार कर रहे है कि इन बडी परियोजनाओं में से कुछ को केन्द्र अपने वित्तीय दायित्व में ले ले और चौथी योजना में इन पर काम करे । कौन कौन सी परियोजनाएं ली जायंगी यह निर्णय चौथी योजना की तैयारी में किया जायगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह था । वित्त मन्त्री ते स्वयं इस प्रश्न का अध्ययन किया है । उन्होंने किन पहलुओं को देखा और उन की निजी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने कहा आयोजित अर्थ-व्यवस्था का मतलब यह है कि योजना का काम आगे बढ़ाया जाय । राज्यों पर कुछ परियोजनाओं का अधिक बोझ पड़ रहा है जिसके कारण उनके लिए अपने सामान्य कर्त्तव्य निभाना असम्भव हो रहा है । तो केन्द्र को बीच में पड़ना पड़ेगा । केन्द्रीय परियोजनाओं के रूप में जो योजनाएं ली जा रही है उनमें से एक यह भी है । शायद बाद में मैं इस सम्बन्ध में कुछ कह सकूं ।

श्री कपूर सिंह : इस प्रकार केन्द्र द्वारा परियोजनाएं लेने का वास्तविक कारण यह तो नहीं कि बड़े पैमाने पर घूस चल रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य सीध सादे वक्तव्य के दूसरे अर्थ लगा रहे हैं ।

Shri Tan Singh : Have the Planning Commission taken a policy decision to take over the Rajasthan Canal Project as a Central project ?

Mr. Speaker: There is no decision as yet by the Central Government in that regard.

श्री कृ० ल० राव : मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है । बहुत सम्भव है कि केन्द्रीय क्षेत्र में जो परियोजनाएं आयेंगी उनमें से एक यह भी हो ।

Shri P. L. Barupal : It has been decided that lift irrigation would be resorted to on the high ground under the Rajasthan Canal Project but that idea was postponed later on. Now, are the Central Government reconsidering the question of introducing lift irrigation on the demand of the State Government and the people of that Area ?

डा० कु० ल० राव : 48 मील पर लिफ्ट इरीगेशन नहर की व्यवस्था है जिससे लगभग ढाई लाख एकड़ की सिंचाई का अनुमान है। लेकिन इस पर बहुत खर्च आयगा और यह सोचना है कि इस को किया जाय या नहीं।

पूर्वी जर्मनी का ऋण देने का प्रस्ताव

\+

*241. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री नम्बियार :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० सारादीश राय :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र ने हाल ही में भारत को उसकी विकास परियोजनाओं के लिये भारी मात्रा में ऋण देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) क्या उक्त ऋण की शर्तें भारत सरकार को स्वीकार्य है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) राशि के बारे में चर्चा नहीं हुई।

(ग) जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि यह पहला अवसर है जबकि पूर्वी जर्मनी ने इस प्रकार का ऋण देने की बात कही है ? इससे पहल भी क्या उसने ऋण देने का प्रस्ताव किया था ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रस्ताव है और मुझे पता नहीं कि इससे पहले कोई प्रस्ताव था या नहीं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यदि यह प्रस्ताव अन्ततः स्वीकार कर लिया गया तो कितनी राशि की जरूरत होगी ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा कि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Speaker, Sir, I have a point of order. We have been sitting here for the last ten days and we find that we are not able to reach more than five or six questions. I would submit that from tomorrow we should try to reach more questions.

Mr. Speaker: Very well; that would be done.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों द्वारा नियत राशि से अधिक राशि का निकलवाया जाना

*242. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह निदेश दिये हैं कि वे रिजर्व बैंक से नियत राशि से अधिक राशि न निकलावायें ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के अनुदेश दिये गये हैं ; और

(ग) राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे रिजर्व बैंक से, नियत राशि से ज्यादा रुपया (ओवरड्राफ्ट) न लिया करें।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

मसालों में मिलावट

*243. श्री श्रीनारायण दास :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज की राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता यह चला है कि कुछ क्षेत्रों में मसालों में बहुत अधिक मात्रा में मिलावट की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) भारत सेवक समाज की राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा, जिसके द्वारा मुख्यतया: दिल्ली में एक सर्वेक्षण किया गया था, ने सूचित किया है कि कतिपय मसालों जैसे गोल मिर्च, पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई लालमिर्च, जीरा और धनियां में बहुत से अखाद्य और हानिकारक वस्तुओं की मिलावट की जा रही है।

(ख) दिल्ली नगर निगम उचित कार्यवाही कर रहा है और उसने साथ निरीक्षकों को ये अनुदेश भी दे दिये हैं कि वे उन स्थानों पर छापा मारें जहां मसालों में मिलावट का सन्देह होता है। उसने बतलाया है कि 1964 के पहले 7 महीनों में जो नमूने लिये गये उनमें 7.6 प्रतिशत नमूने मिलावट वाले पाये गये जबकि 1963 में 22.3 प्रतिशत नमने मिलावट वाले पाये गये थे।

नई दिल्ली नगरपालिका भी इसी प्रकार की कार्यवाही कर रही है।

जलाशयों में मिट्टी का जम जाना

*244. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ ।
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े बांधों के रूप में अब तक बनाये गये देश के जल साधनों की कुल जलाशय क्षमता क्या हैं ; और

(ख) देश में जलाशयों में मिट्टी के जमाव को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पंच वर्षीय योजनाओं के शुरू होने से पहले भारत के बड़े बांधों की जीवित संचय धारिता 36.1 लाख एकड़ फुट थी। योजना अवधियों में मार्च, 1963 के अन्त तक कुल संचय धारिता 325 लाख एकड़ फुट बड़े बांधों के निर्माण द्वारा और बढ़ा दी गई है।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा है

विवरण

देश में जलाशयों की गाद एकत्रन को कम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गये हैं :—

(1) भारत सरकार ने 14 नदी घाटी परियोजनाओं के वाह-क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए 11 करोड़ रुपये का तृतीय योजना अवधि में कार्यक्रम बनाया है। तृतीय योजना के प्रथम 3 वर्षों में 4.75 करोड़ रुपये की लागत पर, 1,30,359 हेकटयर (3,22,124 एकड़) भूमि में भू-संरक्षण उपाय किये गये हैं।

(2) गाद स्रोतों को ढूंढने के लिये हवाई फोटोग्राफी की गई है। इससे राज्यों को भू संरक्षण योजनाओं को तैयार करने में सहायता मिलेगी। 14,0879 वर्ग किलो मीटर (54394 वर्ग मील) के क्षेत्र में हवाई फोटोग्राफी कर दी गई है।

(3) वर्तमान भू-क्षतियों को आंकने के लिये तथा बाद में वाह क्षेत्रों में भूमि संरक्षण उपायों के प्रभाव को जानने के लिए परियोजनाओं की शाखाओं/उप-शाखाओं में 161 गाद निरीक्षण पोस्टों को स्थापित करने का भी विचार किया गया है। इन में से 63 निरीक्षण स्थल, अभी तक बना लिये गये हैं।

(4) राज्य सरकारों को तटाग्र क्षेत्रों को बचाने के लिए तथा गाद भार को कम करने के लिये आवश्यक तकनीकों को अपनाने हेतु लिखा गया हैं।

परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति

*245. { **श्री दाजी** :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्वनाथ पांडेय : }

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) रिपोर्ट तैयार की जा रही है और आशा है कि नवम्बर, 1964 के अन्त तक प्रस्तुत कर दी जायेगी।

वायु सीमा शुल्क पूल

*246. श्री प्र० व० राघवन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भे० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पृथक पदालि, जिसको कि वायु सीमा शुल्क पूल के नाम से पुकारा जायेगा बनाने के लिये कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस "पूल" को अखिल भारतीय आधार पर प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(ग) इस पूल में अनुमानतः कितने व्यक्ति लिये जायेंगे तथा उनके चुनाव का क्या तरीका होगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वायु सीमा-शुल्क कर्मचारियों का एक अलग निकाय (पूल) बनाया गया है।

(ख) वायु सीमा-शुल्क निकाय (एअर कस्टम्स पूल) अखिल भारतीय आधार पर बनाया जा रहा है और इसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायगा।

(ग) (1) वायु सीमा-शुल्क निकाय के राजपत्रित (गजेटेड) और अराजपत्रित (नान-गजेटेड) पदक्रमों के कर्मचारियों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 271 है।

(2) चुनाव का तरीका

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क संग्राहकों (कलेक्टर) ने निर्धारित न्यूनतम सेवा के आधार पर जिन व्यक्तियों की सिफारिश की थी, प्रारम्भिक चुनाव उन्हीं में से किया गया। संग्राहकों ने जिन व्यक्तियों की सिफारिश की थी, उनका इंटरव्यू लिया गया और चुनाव का काम अनुवीक्षण समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) द्वारा किया गया।

(3) व्यक्तियों के चुनाव के तरीके और भविष्य में बनने वाले पदों में उनकी नियुक्ति से सम्बन्ध रखने वाले नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बैंक आफ अमरीका

*247. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही बैंक आफ अमरीका को भारत में अपनी शाखायें खोलने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका उद्देश्य भारत में अमरीकी गैर-सरकारी पूंजी के विनियोजन को बढ़ावा देना है ; और

(ग) क्या बैंक के भारत में अपनी शाखायें खोलने से पहले सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक अधिनियम (बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट), 1949 की धारा 22 के अधीन बैंक आफ अमेरिका को एक लाइसेंस दिया था और इसने 20 मई, 1964 को बम्बई में अपनी शाखा खोल दी।

(ख) आशा है कि इस शाखा के खुल जाने से, देश में रुपया लगाने के लिए, थोड़ी अवधि के लिए पूंजी आने में कुछ हद तक सुविधा हो जायगी।

(ग) राष्ट्रीयकरण न किये जाने के बारे में बैंक को सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

पेय जल बोर्ड

248. **श्री विश्वनाथ पांडय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वाणिज्यिक आधार पर पेय जल के संभरण में वृद्धि करने के हेतु सरकार का विचार राज्य विद्युत बोर्डों के समान ही संविहित पेय जल बोर्डस स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के बोर्डों का गठन कब तक किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). फिलहाल संविहित पेय जल बोर्ड स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। तथापि इस दिशा में कदम उठाने के लिये अप्रैल, 1964 में हुई गोष्ठी की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश

*249. **श्री उमानाथ :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सोलंकी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के अध्ययन दल द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के लिये की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या अध्ययन दल की सिफारिशों से किसी ऐसी पद्धति का पता चला है जो अन्य राज्यों के इसी प्रकार के पिछड़े हुए समस्त क्षेत्रों पर लागू की जा सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात चीत करने तथा वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के बाद योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के चार

पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में गठित संयुक्त अध्ययन दल द्वारा 1964–65 में अप्रैल के लिए सिफारिश किए गए त्वरित विकास कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के स्वरूप को निश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों के आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अध्ययन को आधार बनाना होगा।

बम्बई में छापे

*250. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जुलाई, 1964 को अथवा उसके आस-पास बम्बई में कुछ मकानों अथवा फ्लेटों पर छापे मारे ;

(ख) यदि हां, तो छापे किस लिये मारे गये ; और

(ग) क्या छापों के दौरान कुछ माल अथवा वस्तुएं पकड़ी गई ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 31 जुलाई, 1964 को या उसके आस-पास तलाशियां नहीं ली गई। इस तारीख के लगभग एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद कुछ तलाशियां ली गयीं थीं।

(ख) छापों का सम्बन्ध आम तौर पर, विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन देन, बिना अनुमति विदेशों में खाते खुलवाने और उन्हें चलाने और निर्यात किये गये माल की कीमत वसूल करने आदि के मामलों से होता हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Income Tax Arrears

*251. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri P.C. Borooah :
Shri Gauri Shankar Kakkar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are income-tax arrears to the tune of Rs. 275 crores ; and

(b) if so, the measures being taken to recover this amount ?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : (a) The gross arrears of income-tax as on 31-3-1964 amounted to Rs. 290 crores and the effective arrears of Income-tax as on the 31st Mrch, 1964 amounted to Rs. 170·08 crores.

(b) All the steps provided for in the Income-tax Act are being taken to realise these arrears.

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

*252. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंदी बस्तियों के हटाने सम्बंधी कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये अनुमानतः कितना व्यय होगा तथा कितने प्रशासनीय कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या गन्दी बस्तियों के हटाने की दिशा में अब तक किये गये कार्य का विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो कार्यक्रम में विद्यमान किन मुख्य कमियों का पता चला ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां। अभी हाल ही में हैदराबाद में हुई मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नरों की कांफ्रेन्स (सम्मेलन) में यह सिफारिश की गई थी कि गंदी बस्तियों को हटाये जाने की योजनाओं (प्रोजेक्टस) को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाये।

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान इस योजना पर अलग अलग राज्यों और यूनियन टैरीटोरीज (संघ राज्य क्षेत्रों) में अन्दाजन 21 करोड़ रुपये खर्च आयेंगे। योजना को अमल में लाने के लिए राज्य सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (स्थानीय प्रशासन) जिम्मेदार हैं, और वे इसके लिए लोकल बोडीज (स्थानीय निकायों) और हाउसिंग बोर्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजिमों (प्रशासनीय कर्मचारियों) का इस्तैमाल कर रहे हैं।

(ग) जी हां। गंदी बस्तियों को हटाने और विकास की योजनाओं (प्रोजैक्टस) के लिये जमीन पाने की कठिनाइयां तथा गन्दी बस्तियों से किसी दूसरी दूर जगह जाने के विरोध के कारण अब तक इस योजना ने कोई विशेष तरक्की नहीं की है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

*253. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भ० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० कं० देव :
श्री सोलंकी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना के बारे में 1 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत "परिवार" में अन्य सम्बन्धियों को सम्मिलित करने के प्रश्न की सरकार ने जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकारी कर्मचारी वर्तमान दरों के अनुसार अंशदान देंगे अथवा उससे अधिक देंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) "परिवार" के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जैसा भी, हो बच्चे और सौतेले बच्चे तथा वे माता पिता आते हैं जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी पर ही निर्भर हों और उसी के साथ रहते हों। यह निश्चय किया गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी और उसकी/उसका पत्नी/पति दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो दोनों के माता पिता इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, बशर्ते दोनों सरकारी कर्मचारी निर्धारित मान दरों के अनुसार अंशदान देते हों। दोनों में से एक की मृत्यु हो जाने पर यदि जीवित कर्मचारी अपने मृतक साथी के बदले अंशदान देने के लिए राजी हो तो उसके सास ससुर इस योजना का लाभ उठाते रहेंगे।

(ग) इसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

विश्व बैंक से आर्थिक सहायता के बारे में बातचीत

*254. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री प्र० कं० देव :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री वीरप्पा :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक अधिकारियों ने भारत से कहा है कि भविष्य

में आर्थिक सहायता के बारे में बातचीत करने का आधार बनाने के लिये आर्थिक परियोजनाओं की विस्तृत जांच कराना स्वीकार कर लें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) और (ख). तीसरी आयोजना की तैयारी के सम्बन्ध में यह प्रणाली अपनायी जा चुकी है कि आयोजना में सम्मिलित प्रायोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुर्ननिमाण और विकास बैंक (आइ०बी०आर०डी०) की सहायता के स्थूल स्वरूप के सम्बन्ध में बैंक के साथ बातचीत की जाय। इस सम्बन्ध में, बैंक के विशेषज्ञों के साथ कुछ ऐसी क्षेत्रीय आयोजनाओं की जांच की गयी जिनके लिए बैंक की सहायता की आवश्यकता है। चौथी आयोजना की कुछ क्षेत्रीय प्रायोजानाओं के सम्बन्ध में भी, जिनके लिए बैंक की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी ही प्रथा अपनाने का विचार है।

दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

*255. श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विद्यावरण शुक्ल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार कुछ समय से दामोदर घाटी निगम के कृत्यों तथा अधिकारों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बद्ध मामलों पर बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ अभी विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई भी अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों को आयकर की रियायतें

*256. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों को आयकर निर्धारण के संबंध में रियायत देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह रियायत किन विशिष्ट शर्तों पर दी जायेगी ; और

(ग) यह रियायतें कितनी अवधि तक दी जाती रहेंगी और क्या शरणार्थियों को शर्तों की पूरी जानकारी करा दी गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) जिन शर्तों के आधार पर यह रियायतें दीं गई हैं वे 25 जून, 1964 के एक प्रेस नोट में घोषित कर दी गयी थीं और वे इस प्रकार हैं :—

(1) सम्बद्ध व्यक्ति के भारत आने से पहले भारत में या पाकिस्तान को छोड़ किसी अन्य देश में उस की आय का कोई साधन नहीं था;

(2) उसके द्वारा भारत में लाये गये धन के लिए पाकिस्तान में उस के पास पर्याप्त साधन थे;

(3) उसके द्वारा लाये गये धन और लेखा पुस्तकों में उस के दर्ज किये जाने की तारीख की सूचना सम्बद्ध आय-कर अधिकारी को उस के भारत में आने के दो महीने के अन्दर दे दी गयी हो (जो व्यक्ति भारत आ चुके हैं उन के लिए इस की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 1964 थी) ।

किन्तु यदि भारत में लायी गई रकम कुल मिला कर 50,000 रुपये से अधिक हो, तो निर्धारिती (एसेसी) को पाकिस्तान में उस रकम के लिये पर्याप्त साधन होने की बात सिद्ध करनी पड़ेगी ।

(ग) इन रियायतों को जारी रखने के लिये अभी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है । 25 जून, 1964 के प्रेस नोट के द्वारा इन रियायतों का समुचित प्रचार कर दिया गया है ।

सन्तालडीह में तापीय विद्युत् संयंत्र

*257. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सन्तालडीह स्थान पर सुपर तापीय विद्युत् संयंत्र बनाने की योजना अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई है;

(ख) प्रस्तावित यंत्र की क्षमता कितनी है ;

(ग) किस तारीख से इस के चालू होने की आशा है; और

(घ) क्या यह तेनुघाट बांध परियोजना का अंग होगी अथवा स्वतन्त्र होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1000 मैगावाट ।

(ग) चतुर्थ योजना के अन्त में ।

(घ) यह परियोजना तेनुघाट बांध परियोजना का अंग नहीं बनेगी । लेकिन, इस परियोजना के लिए ठण्डा करने का जल तेनुघाट बांध से सप्लाई करने का विचार है ।

शरावती परियोजना

*258. श्री हरि विष्णु कामत : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूर की शरावती परियोजना को केन्द्र तथा/अथवा किसी विदेश अथवा विदेशों से सहायता मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता किस प्रकार की है ;

(ग) क्या परियोजना की क्रियान्वित में अनियमितताओं तथा कदाचारों के बारे में समाचार मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। दोनों ही भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी एजेन्सी से ।

(ख) भारत सरकार मैसूर सरकार को योजना स्कीमों के लिए सम्पूर्ण सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दे रही है। परियोजना के प्रथम चरण, जिस में 89.1—89.1 मैगावाट के दो यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है, के लिए विदेशी मुद्रा का भाग अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेन्सी के 84 लाख डालर के ऋण का एक भाग है। परियोजना के द्वितीय चरण, जिस में 89.1—89.1 मैगावाट के 6 यूनिटों का प्रतिष्ठापन परिकल्पित है, के पांच यूनिटों के लिये विदेशी मुद्रा का भाग 184 लाख डालर के ऋण के अन्तर्गत आ जाता है और भी, 34.45 करोड़ रुपये की राशि संयुक्त राज्य पब्लिक ला 480 के अन्तर्गत विक्रय से हुई आमदनी से उत्पन्न अमरीकी प्रतिरूपी निधियों से परियोजना के चरण 1 और 2 पर देशी मुद्रा में किये गये खर्चे की प्रतिपूर्ती के लिये निश्चित की गई है। द्वितीय चरण के छठे यूनिट के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता यू० एस० ए० आई० डी० द्वारा स्वीकृत 31 लाख डालर के ऋण सहायता से पूर्ण की जानी है। किन्तु अभी तक औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(ग) और (घ) सरकार का ध्यान शरावती परियोजना में कुछ कथित अनियमितताओं की ओर दिलाया गया था। इन आरोपों की जांच कर ली गई है किन्तु विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

चिनाब परियोजनायें

*259. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिनाब नदी सम्बन्धी सभी विद्युत विकास परियोजनाओं का प्रबन्ध करने के लिये सरकार एक बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में संघ सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) परियोजनाओं पर काम कब आरम्भ कर दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) अभी शीघ्रतः बोर्ड बनाने की कोई तजवीज नहीं है, किन्तु इस मामले पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

(ख) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा 1960 में किये गये सर्वेक्षण के दौरान चिनाब नदी की जलीय विद्युत् संभाव्यताओं को लगभग निर्धारित किया गया था। विभव स्थलों में से चार स्थलों के विस्तृत क्षेत्रीय अनुसन्धान को हाथ में ले लिया गया है।

(ग) विस्तृत अनुसन्धानों के पूरा होने और स्कीमों के कार्यान्विनार्थ स्वीकृत होने के पश्चात् ही परियोजनाओं पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

मैसर्स एसोशियेटेड जरनल्स लिमिटेड

***260. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है कि मैसर्स एसोशियेटेड जनरल्स लिमिटेड को दिये गये कुछ अंशदानों अथवा दानों को आयकर की छूट दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट अंशदानों अथवा दानों को; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जो जांच की गयी उस से पता चला है कि पिछले दस वित्तीय वर्षों में एसोशिएटेड जनरल्स लिमिटेड को दान नहीं मिला, इसलिए ऐसे किसी दान को कर-मुक्त करने का सवाल ही नहीं था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली बृहद् योजना

***261. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मकान निर्माता वृहद् योजना की बहुत अधिक अवहेलना कर रहे हैं तथा शहर के अन्दर तथा चारों ओर खुले स्थानों पर अनधिकृत कब्जा किया जा रहा है और इन अनधिकृत कब्जा करने वालों को कोई दण्ड नहीं मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि भविष्य में गैर-सरकारी मकान निर्माता तथा सरकारी भवन निर्माता वृहद योजना के उपबन्धों का पूर्णतया पालन करें ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली वृहद् योजना के उपबन्धों का उल्लंघन कर कुछ मकान बनाये गये हैं तथापि, यदि हर प्रकार से सोचा जाय, तो दिल्ली विकास प्राधिकार और दिल्ली के स्थानिक निकाय वृहद् योजाना के उपबन्धों को बड़ी सावधानी और सतर्कता से कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

यह सुनिश्चिय करने के लिये कि दिल्ली की वृहद् योजना के सभी उपबन्धों का सख्ती से पालन किया जाय निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. स्थानिक निकायों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि किसी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने से पूर्व स्थानिक निकाय का कोई जिम्मेवार अधिकारी यह प्रमाणित करे कि प्लान किसी प्रकार दिल्ली वृहद् योजना का उल्लंघन नहीं करती।

2. विकास-क्षेत्रों के सम्बन्ध में बिल्डिंग प्लानों की छान बीन दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्यालय में ही होती है। सन्देह वाले मामलों में दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारी दिल्ली विकास प्राधिकार से परामर्श करते हैं ।

3. भवन निर्माण के प्रस्तावों पर वृहद् योजना की सिफारिशों के अन्तर्गत सलाह के लिये संदर्भ दिल्ली विकास प्राधिकार में भेजे जाते हैं। इन सब से वृहद् योजना के उपबन्धों का उचित रूप से पालन करना सुनिश्चित हो जाता है ।

4. वृहद् योजना का उल्लंघन कर के बनाये गये भवनों का पता लगाने के लिये स्थानिक निकायों और दिल्ली विकास प्राधिकार दोनों के कार्यालयों में पता लगाने वाले मौजूद हैं और जब कोई मामला प्रकाश में आ जाता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाती है ?

5. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी कर दिये हैं कि वे संबंधित स्थानिक निकायों से अपनी बिल्डिंग प्लानों की मंजूरी लिये बिना कोई निर्माण कार्य शुरू न करें।

6. मूलत: सार्वजनिक पार्कों और खुले मैदानों के लिये आरक्षित भूमि के अनधिकृत कब्जे की रोक थाम के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कर्मचारियों को कड़े अनुदेश दे दिये हैं कि वे इस सम्बन्ध में उचित चौकसी रखें और इतने पर भी जो कोई अनधिकृत मकान बने उसे मकान गिराने वाले दल की सहायता से गिरा दें ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता

*262. श्री प्र० चं० बरूग्रा :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री गुलशन :
श्री रामपुरे :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० बरूग्रा :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री बसवन्त :
श्री बागड़ी :
श्री ब० कु० दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए एक सदस्यीय बोर्ड स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के निर्देश पद क्या हैं ; ग्रौर

(ग) ये ग्रपना प्रतिवेदन सरकार को कब पेश करेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) ग्रौर (ख). जी हां । महंगाई भत्ते सम्बन्धी एक-सदस्यीय स्वतंत्र निकाय की नियुक्ति के सम्बन्ध में 27 ग्रगस्त, 1964 के प्रस्ताव की प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है । [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3152/64।]

(ग) ग्राशा है कि यह ग्रपना काम 4 महीनों में पूरा कर लेगा ।

'सी' पावर स्टेशन

*263. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूग्रा :
श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या सिंचाई ग्रौर विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रगस्त के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में "सी" पावर स्टेशन में पुनः गड़बड़ी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गड़बड़ी किस प्रकार की थी ; ग्रौर

(ग) क्या इस स्टेशन से बिजली की सप्लाई बन्द करनी पड़ी थी और यदि हां, तो कितने समय के लिए ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) संयंत्र के टर्बो जेनरेटर में स्पन्दन देखा गया था ।

(ग) बिजली की सप्लाई बन्द नहीं की गई थी । संयंत्र द्वारा विद्युत् उत्पादन का भार 16 मैगावाट से 36 मैगावाट तक नियंत्रित किया जाता है ।

राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

731. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या राजस्थान में सभी सामुदायिक विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना का ब्योरा क्या है तथा किस समय तक सभी खंड इन केन्द्रों के अधीन आ जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 187 ।

(ख) जी नहीं । 45 सामुदायिक विकास खंडों में अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हैं ।

(ग) राज्य सरकार चालू वर्ष में 23 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रयत्न कर रही है । आशा है कि शेष के 22 केन्द्र अगले वर्ष खुल जायेंगे ।

परिवार नियोजन चिकित्सालय

732. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय शहरी तथा देहाती इलाकों में कितने परिवार नियोजन चिकित्सालय काम कर रहे हैं ; और

(ख) 1 अप्रैल, 1959 से 31 मार्च, 1964 तक वर्षवार उन्हें राजसहायता अथवा/और ऋण के रूप में कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राजस्थान में इस समय शहरी तथा देहाती इलाकों में काम कर रहे परिवार नियोजन चिकित्सालयों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राजस्थान में इस समय चल रहे परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की संख्या निम्न-लिखित है :—

जिसके द्वारा चलाये गये	देहाती	शहरी	कुल
नियमित परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र—			
राज्य सरकार .	175	45	220
स्थानीय निकाय .		..	..
स्वयंसेवी संगठन . .	..	5	5
कुल .	175	50	225
चलते-फिरते परिवार नियोजन सर्जिकल यूनिट . .			18
गर्भ निरोधी वस्तुएं बांटने वाली मेडिकल संस्थाएं .	144	76	220
कुल . .	319	126	445+18 चलते-फिरते सर्जिकल यूनिट

(ख) जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में ग्रामीण आवास योजना

733. श्री कर्णी सिंहजी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963-64 में राजस्थान राज्य की ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : 1963-64 में ग्राम आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत राजस्थान को दी गई कुल राशि 7.60 लाख रुपये थी—2.60 लाख रुपये योजना संसाधनों से और 5 लाख रुपये जीवन बीमा निगम के फंडों में से।

लघु बचत प्रमाण-पत्र

734. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1964 में दिल्ली में लघु बचत प्रमाण-पत्रों के द्वारा कितनी राशि एकत्रित हुई ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : लगभग कुल 21 लाख रुपये ।

गोबिन्द सागर जलाशय

736. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त तक गोबिन्द सागर जलाशय को अधिक गहरा करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गहराई बढ़ा देने से कितना लाभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ; सितम्बर तथा बाद के महीनों में आने वाले पानी से जलाशय को 1660 की ऊंचाई तक भरने का विचार है जो पिछले वर्ष के स्तर से 20 फुट ऊंचा होगा ।

(ख) यदि जलाशय को 1660 की ऊंचाई तक भर दिया जाता है तो इस से सिंचाई और बिजली के लिए गत वर्ष की तुलना में 7.1 लाख एकड़ फुट अतिरिक्त जमा-क्षमता उपलब्ध हो सकती है ।

मैसूर में ग्रामीण जल संभरण

737. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने मैसूर में ग्रामीण जल योजनाओं को चलाने के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी योजनायें भेजी हैं तथा अब तक कितनी राशि दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के आधार पर राज्य सरकार को ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा पहले ही वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(ख) मैसूर राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं के लिए 100 लाख रुपये का उपबन्ध है । इसके अतिरिक्त दुर्गम तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में पाइप द्वारा ग्रामीण जल सम्भरण योजनाओं की क्रियान्विति के लिए स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिए रखी गई धनराशि में से, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय आंशिक रूप से चलाता है, राज्य सरकार को हाल ही में 20 लाख रुपये दिए गए हैं ; राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक 81 जल संभरण योजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिन पर लगभग

62.38 लाख रुपये की लागत आयेगी। दुर्गम तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए लगभग 3.52 करोड़ रुपये की लागत वाली योजनाओं को भी तकनीकी रूप से स्वीकार कर लिया गया है। ग्रामीण जल संभरण योजनाओं सहित स्वास्थ्य खंड के अधीन सभी राज्य योजनाओं के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में राज्य सरकार के सहायता अनुदान के रूप में 221.01 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। 1964—65 में उनकी सभी योजनाओं के लिए 53.89 लाख रुपये दिए गए हैं। ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिए अलग आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार रुपया योजना-वार नहीं दिया जाता बल्कि योजनाओं के मोटे समूहों या श्रेणियों के लिए मंजर किया जाता है।

वजीराबाद जलाशय का स्तर

738. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वजीराबाद के जलाशय का स्तर 2 फुट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) इसके फलस्वरूप कितने एकड़ भूमि जलमग्न हो जायेगी तथा इस सम्बन्ध में दिये जाने वाले प्रतिकर का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) गर्मी के महीनों में वजीराबाद बराज के ऊपरी बहाव की तरफ पानी का स्तर 669.90 फुट से 672.70 फुट तक होता है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के परामर्श पर दिल्ली नगर निगम ने फैसला किया है कि जहां तक सम्भव हो सके वजीराबाद के ऊपरी बहाव की तरफ जलाशय का स्तर समुद्र तट से 674.5 फुट बनाये रखा जाना चाहिये।

(ख) जलाशय का स्तर बढ़ा देने से लगभग 1000 एकड़ भूमि जलमग्न हो जायेगी। दिल्ली नगर निगम भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के तदनुसार भूमि प्राप्त करेगा और उसका मूल्य देगा।

राज्यों में योजना कार्यक्रम

739. **श्री म० ना० स्वामी** :
डा० सारादीश राय :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री प० कुन्हन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में योजना कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राज्यों को (राज्य-वार) कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया है ; और

(ख) विशेष कृषि कार्यक्रमों के लिये, जिनका उद्देश्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना है, कितना आवंटन किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) गो ा) रो ेर जा क ो देने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3153/64]

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

740. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री उमानाथ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ी वन बीमा निगम में कोई पुनर्गठन योजना आरम्भ की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) अक्तूबर, 1963 में निगम ने अपने वर्तमान विभागीय तथा अ य कार्यालयों के पुनर्गठन के लिये कतिपय प्रस्ताव स्वीकार किये थे परन्तु हाल ही में निर्ण किया गया है कि समस्त प्रश्न का पुनर्विलोकन त ा पुनर्विचार होने तक इस योजना की अग्रेतर क्रिय न्वि ा रोक दी जाए ।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि पुनर्गठन योजना कब और किस रूप में लागू की जायेगा ।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

741. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1962 और 1963 में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों के कितने मामले पकड़े गये और इन दो वर्षों में कितने व्यक्तियों ा कम्पनियों पर मुकदमा चलाया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1962 और 1963 में क्रमश: 3034 और 3155 मामले विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये दर्ज किये गए और इन वर्षों में उन्होंने क्रमश: 7 .0 और 332 मामकलों का न्याय निर्णय किया । इस अवधि में प्रवर्तन निदेशालय ने एक कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा चलाया ।

होम्योपैथिक इलाज

742. श्री हरि विष्णु कामत : क्या स्वास्थ्य मंत्री होम्योपैथिक इलाज के बारे में 30 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के इस विचार का क्या आधार है कि "इस ात के कोई आसार नहीं दिखाई देते कि इस प्रकार की सुविधाओं के लिये काफी मांग है ;"

(ख) क्या उपर्युक्त वक्तव्य 'प्रासंगिक विचार' है या 'सैद्धान्तिक उक्ति' के रूप में है अथवा यह किसी सर्वेक्षण या जांच के फलस्वरूप कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, इस प्रकार के सर्वेक्षण या जांच का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) से (ग) सरकार की नीति यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऐसा आधुनिक चिकित्सा पद्धति की सुविधायें उपलब्ध कराई जायें जिसे अधिकांश लोग चाहते हैं। जहां तक होम्योपैथी का सम्बन्ध है अभी तक इतनी मांग नहीं दिखाई देती कि सर्वेक्षण कराने की जरूरत हो।

श्रव्यतामापी केन्द्र[1]

743. श्रीमती सावित्री निगम : क्या स्वास्थ्य मंत्री श्रव्यतामापी केन्द्र के बारे में 2 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1802 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि विभिन्न राज्य सरकारों को चालू योजना में श्रव्यतामापी केन्द्र खोलने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत किसी राज्य सरकार को चालू योजना में श्रव्यतामापी केन्द्र खोलने के लिये वित्तीय सहायता दी जा सके।

नये मैडिकल कालेज

744. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बागड़ी :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आगामी दो वर्षों में देश में नये मैडिकल कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इन प्रस्थापनाओं के समर्थन में किन बातों का ध्यान रखा गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) आर्य मैडिकल स्कूल को मैडिकल कालेज बना देने का निश्चय अधिकारियों ने पंजाब सरकार की सहायता और स्वीकृति से किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में डाक्टरों की कमी के कारण क्रमशः शिमला मेरठ तिरुनलवली और अजमेर में नये मैडिकल कालेज खोलना चाहती हैं। गुजरात सरकार सूरत में एक मैडिकल कालेज खोल रही है। सूरत, शिमला, मेरठ और तिरुनलवली में नये मैडिकल कालेज खोलने की योजनाओं को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है यद्यपि हो सकता है कि इनमें से कुछ को चौथी योजना के लिये स्थगित करना पड़े।

राजस्थान सरकार ने हाल में अजमेर और जोधपुर में दो मैडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव किया है। वे शायद तीसरी योजना में अग्रिम कार्यवाही करेंगे ताकि ये कालेज चौथी योजना में कार्य आरम्भ कर सकें।

---

[1] Audiometr Centre.

सिंचाई और बिजली अनुसंधान अधिवेशन

745. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बिशनचन्द्र सेठ : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड का 34 वां वार्षिक अनुसन्धान अधिवेशन जुलाई, 1964 में शिमला में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस अधिवेशन में कितने अन्य देशों ने भाग लिया ; और

(ग) किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि श्रीलंका बोर्ड का सदस्य है इसलिये उसने अधिवेशन में भाग लिया।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3154/64**]

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि

746. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह : }

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा इस बात का ध्यान रखने के लिये कौन से उपाय बरते जाते हैं कि लोगों को किसी विशेष प्रयोजन के लिये पट्टे पर दी गई भूमि का दुरुपयोग न हो ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार के तीन सेक्शनल आफिसर प्रतिदिन अपने अपने इलाकों का चक्कर लगा कर इस बात का ध्यान रखते हैं कि पट्टे की शर्तों का पालन किया जा रहा है। एक सहायक इंजीनियर और एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इनके काम की निगरानी रखते हैं।

(ख) वर्तमान व्यवस्था काफी सन्तोषजनक सिद्ध हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चार्टर्ड अकाउन्टेंटों की संस्थायें

747. श्री यशपाल सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या चार्टर्ड अकाउन्टेंटों और कॉस्ट तथा वर्क्स अकाउन्टेंटों की संस्थाओं के कार्य का पुनरावलोकन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक नियुक्त की जायेगी ; और

(ग) इसके निदेश पद क्या होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्रबन्धकों के पारिश्रमिक और संचालकों की नियुक्ति

748. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्राप्त प्रबन्धकों के पारिश्रमिक तथा संचालकों की नियुक्ति सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को निबटाने के लिये क्या कोई अवधि नियत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष कितने मामलों में इस समय सीमा का अनुपालन नहीं किया जा सका ; और

(ग) क्या सारी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का विचार है जिससे कि अनावश्यक विलम्ब न हो ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):(क) जी हां । कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्राप्त प्रबन्धकों के पारिश्रमिक और संचालकों की नियुक्ति सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को निबटाने के लिये समय के लक्ष्य निर्धारित किये हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष में 944 मामलों में से 134 के बारे में निर्धारित समय के लक्ष्यों का कठोरता से पालन नहीं किया जा सका ।

(ग) विलम्ब को दूर करने के लिये प्रक्रिया पर निरन्तर पुनर्विचार किया जाता है ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये बोनस टिकट

749. श्री यशपाल सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में काम करने वाले उन भारतीयों को बोनस टिकट देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो भारत में रहने वाले अपने माता-पिता को विदेशी मुद्रा में अपना धन भेजना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा; और

(ग) इसकी मुख्य मुख्य विशेषतायें क्या होंगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र में टकसाल

750. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह 20 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 442 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला स्वर्ण क्षेत्र में एक टकसाल खोलने की परियोजना रिपोर्ट हैदराबाद के मिंट मास्टर से प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अवैतनिक डाक्टर

751. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री विश्वनाथ पांडय :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन को यह निदेश दिया गया है कि इसके द्वारा चलाये जाने वाले हस्पतालों में अवैतनिक डाक्टरों की नियुक्ति करने को प्रथा बन्द कर दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं । दिल्ली प्रशासन को उन कठिनाइयों और समस्याओं का ज्ञान है जो कि इस अवैतनिक प्रणाली के विषय में अनुभव की जाती रही हैं । इस विषय पर चर्चा के फलस्वरूप दिल्ली प्रशासन ने केवल योग्यतम अवैतनिक डाक्टरों को इस काम के लिये रखने तथा नये अवैतनिक डाक्टरों की नियुक्ति बन्द कर देने और पूरे समय के डाक्टरों की संख्या बढ़ा देने का निश्चय किया है ।

(ख) अवैतनिक डाक्टर नियुक्त करने की प्रणाली जिसका उद्देश्य वस्तुतः कुशल व्यक्तियों को प्राप्त करना था, कई मामलों में सन्तोषजनक नहीं चली । इसके अतिरिक्त इर्विन हस्पताल अब मौलाना आज़ाद मैडिकल कालेज के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है और विशेषज्ञों ने पूरे समय के अध्यापक रखने की सलाह दी है ।

पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली के क्वार्टर

752. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की पंचकुइयां रोड पर चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाये गये नये दो कमरे के क्वार्टरों में से कुछ की छतें बरसात में चूने लगी थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टरों की छतें इस प्रकार चूने लगी थीं; और

(ग) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) से (ग) नई दिल्ली की पंचकुइयां रोड पर बनाये गये नये 432 क्वार्टरों में से छः की छतें भारी और निरन्तर वर्षा के कारण चने लगी थीं। उनकी तुरन्त मरम्मत की गई और उसके बाद कोई छत नहीं चुई। इस बारे में कोई आवश्यक नहीं समझी गई।

ब्रह्मपुत्र का तटबन्ध

753. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री राचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तटबन्ध बनाने की योजना में कहां तक प्रगति हुई है और यह तटबन्ध कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) क्या इस वर्ष की बाढ़ में जो तटबन्ध अब तक बन चुका है वह कहीं टूट-फूट गया था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 664 मील लम्बा तटबन्ध बनाने का लक्ष्य था, इसमें से अब तक 506 मील बन चुका है। शेष 47 मील लम्बा तटबन्ध तीसरी योजना की शेष अवधि में पूरा हो जायेगा ऐसी आशा है। इन तटबन्धों के चौथी योजना में पूरे हो जाने की आशा है।

(ख) जी हां। इस बाढ़ मौसम में ये तटबन्ध 16 जगह टूट गये थे।

Water Supply to Pakistan

754. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the quantum of water supplied to Pakistan by India from its rivers during 1963 and 1964 so far ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) The quantum of water delivered to Pakistan from the Sutlej, Beas and Ravi rivers was as follows :

During 1963 . . .	14·60 Million Acre feet (M.A.F).
During 1964, (up to the end of Augst)	11·97 Million Acre feet (M.A.F.)

पदाधिकारियों का यात्रा-भत्ता व्यय

755. **श्री हेमराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1060—61, 1961—62, 1962—63 और 1963—64 में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पदाधिकारियों के यात्रा-भत्ते पर कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): विभिन्न मंत्रालयों विभागों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पर्वतीय प्रतिकर भत्ता

756. **श्री हेम राज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पर्वतीय क्षत्रों में रहने वाले अपने सब कर्मचारियों के लिये उनके वेतन का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिकर भत्ता मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भी यह रियायत अपने कर्मचारियों को दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी हां। यह भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत (महेन्द्रगढ़ जिस में 10 प्रतिशत) मिलता है और जो कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका वेतन 850 रुपया मासिक तक है। यह भत्ता कम से कम 10 रुपये प्रति मास और अधिकतम 50 रुपये प्रति मास है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत सरकार की अपनी पर्वतीय (प्रतिकर) भत्ते की योजना है जो, इस बात का ध्यान रखे बिना कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को किसी विशेष स्थान पर क्या भत्ता मिलता है, सारे भारत में पवतीय स्थानों पर काम करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती है।

पीने के पानी की सुविधायें

757. **श्री हेम राज** क्या स्वास्थ्य मंत्री 30 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पंजाब के पहाड़ी जिलों के उन गांवों में पीने के पानी की सुविधायें प्रदान करने के लिये 1964–65 के चालू वित्तीय वर्ष में कोई धन देने का विचार है जिनका सर्वेक्षण हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और किन-किन योजनाओं के लिये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल प्रदाय तथा सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में ग्राम जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय करने के लिये राज्य के 1964–65 के बजट में 13.67 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। चालू वर्ष में पंजाब राज्य को विशेष रूप से कठिन क्षत्रों में ग्रामों में पाइप द्वारा पानी पहुंचाने की योजनाओं की कार्यान्विति करने के लिये 20.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी गयी है। राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाओं के लिये विशेष रूप से धन देने के बारे में अभी तक निश्चय नहीं किया है।

व्यापारी फर्मों द्वारा काम और अधिक बीजक बनाना

758. { **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० साराबीश राय :
श्री विश्राम प्रसाद : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कम और अधिक बीजक बनाने के सिलसिले में जून और जुलाई, 1964 में कितनी व्यापारी फर्मों की तलाशियां लीं ; और

(ख) उन तलाशियों का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान के गांवों में बिजली लगाना

759. **श्री काशी राम गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की सरकार ने तीसरी ोजना की शेष अवधि में ग्रा ों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को कार्यान्ति करने और उसमें शीघ्रता लाने के लिये और धन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अपेक्षित राशि मंजूर कर दी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक नहीं, क्यों कि अभी यह विषय विचाराधीन है ।

ग्राम जल प्रदाय

760. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष ने प्रत्येक राज्य में एक ग्राम जल प्रदाय परियोजना आरम्भ करने के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सं० रा० अं० बा० सं० कोष की सहायता से चलने वाली इस प्रकार की परियोजना के लिये मध्य प्रदेश राज्य के मामले पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) सं० रा० अं० बा० सं० कोष ने अभी तक छ: राज्यों में अग्रिम ग्राम जल परियोजनाओं के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है जिनमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है । जब अधिक परियोजनाओं के लिये सहायता मिलेगी तो अन्य राज्यों के साथ मध्य प्रदेश पर भी विचार किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश ग्राम जल प्रदाय परियोजना

761. { श्री राम सहाय पांडेय :
{ श्री चाण्डक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार से ग्राम जल प्रदाय की परियोजना के लिये कोई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह योजना स्वीकार कर ली गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). पहली और दूसरी योजनाओं की अवधियों में राष्ट्रीय जल प्रदाय और सफाई कार्यक्रम (ग्रामीण) के अन्तर्गत निष्पादित करने के लिये 671 गांवों के लिये ग्राम जल प्रदाय की 7 योजनायें मंजूर की गई थीं जिनकी अनुमानित लागत 143.29 लाख रुपये थी। मध्य प्रदेश की सरकार से हाल में 38 ग्राम जल प्रदाय योजनायें प्राप्त हुई हैं। इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन की सहायता से इन योजनाओं की जांच की जा रही है।

निगम क्षेत्र द्वारा चन्दा

762. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निगम क्षेत्र द्वारा गत आम चुनावों के लिये और उसके बाद (1) राजनैतिक दलों, (2) व्यक्तियों ; और (3) मंत्रियों को कितना चन्दा दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 293-क की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रति वर्ष अपने वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि के लेखे में उस वर्ष कम्पनी द्वारा दिये गये राजनैतिक चन्दे की राशि और जिस दल, व्यक्ति या निकाय को वह चन्दा दिया जाये उसके नाम आदि का ब्यौरा बताना पड़ता है। 1961 के मध्य से अब तक की उपरोक्त जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी। परन्तु इस जानकारी में आम चुनावों के लिये दिये गये चन्दे के बारे में खास तौर से नहीं बताया जायेगा।

सुशिक्षित डाक्टर

763. { श्री हेम राज :
{ श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सुशिक्षित डाक्टर हैं ;

(ख) देश के सरकारी हस्पतालों के लिये कितने सुशिक्षित डाक्टर चाहियें ;

(ग) उनमें कितनी कमी है ; और

(घ) क्या अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मिला कर एक कर देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राज्य चिकित्सा परिषदों के पास पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या 31 दिसम्बर, 1963 को 90,597 थी ।

(ख) और (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने अपनी नवम्बर, 1963 की बैठक में एक संकल्प पारित किया था जिसमें चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवाओं के सभी स्तरों पर एकीकरण के बारे में परिषद की पहली सिफारिश को फिर दोहराया गया था। इस सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने सब राज्य सरकारों को पत्र लिखा जिसमें निम्नलिखित सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये तत्काल कदम उठाने की प्रार्थना की गई थी :—

(1) जिन राज्यों में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग अभी भी स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं उनका प्रशासनिक एकीकरण किया जाये ।

(2) जिला स्तर पर प्रशासनिक एकीकरण जहां जिले में एक ही पदाधिकारी चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों का प्रभारी होना चाहिये ।

(3) जहां कहीं चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पदालियां अलग अलग हों वहां इन्हें मिला कर एक पदालि बना देनी चाहिये जिसमें से पदाधिकारियों को लेकर आवश्यकतानुसार चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के पदों पर लगा दिया जाये ।

केन्द्रीय स्तर पर—चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का पहले ही एकीकरण हो चुका है । कई राज्य सरकारें भी एकीकरण की सिफारिश को पहले ही कार्यान्वित कर चुकी हैं ।

आयुर्वेदिक पाण्डुलिपियों का अनुवाद

764. { **श्री हेमराज :**
श्री राम हरख यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सर्फोजी सरस्वती महल पुस्तकालय में प्राप्त दुर्लभ चिकित्सा (आयुर्वेदिक और सिद्ध) पाण्डुलिपियों का अनुवाद कराने और उनके प्रकाशन का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी पाण्डुलिपियों का किन किन भाषाओं में अनुवाद किया जायेगा ;

(ग) उन पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) क्या आयुर्वेद सम्बन्धी इस प्रकार की पाण्डुलिपियों का भारत के अन्य भागों से इस प्रयोजन के लिये संग्रह किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) 13 संस्कृत की और 14 तमिल की पाण्डुलिपियों को प्रकाशित करने का विचार है ; अनुवाद का कार्यक्रम अभी बनाना है ।

(ग) आरम्भ में तंजोर महाराजा सफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजाबूर में स्थापित साहित्यिक अनुसंधान एकक पर प्रति वर्ष 78,000 रुपये आवर्तक और 22,000 रुपये अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है ।

(घ) तंजाबूर एकक में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रख कर इस पर विचार किया जायेगा ।

Reimbursement of Medical Expenses

765. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government employees are not reimbursed the amounts spent by them on Ayurvedic medicines ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Health (**Dr. Sushila Nayar**) **:** (a) and (b) The expenditure incurred by Central Government servants under the C.S. (M.A.) Rules on Ayurvedic medicines is not reimbursable. The policy of the Government is that modern scienific medicine is the basis for the development of National Health Services in the country. However, one Ayurvedic dispensary has been functioning in Delhi under the Central Government Health Scheme while sanction for a second one has been issued.

पंजाब की सिचाई परियोजनाये

766. **श्री दलजीतसिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) कौन कौन सी बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई और बिजली परियोजनायें तीसरी योजना के अन्त तक पंजाब में पूरी होने की संभावना है ; और

(ख) उन पर कितना खर्च होने का अनुमान है और केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं के लिये कितनी सहायता देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा०कु०ल० राव) : (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी दी हुई है जिनके तीसरी योजना अवधि में पूरे होने की संभावना है सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3155/64]

Gandak Project

767. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K.N. Tiwary :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleasedto state the progress made in the Gandak Project upto 31st August, 1964.

The Minister of Irrigation and Power (**Dr. K.L. Rao**) **:** All preliminary works for starting the construction of the Barrage such as camp buildings, access road and air strip have been completed. At the Barrage, earthwork to the extent of 71·37 lakh cft. and concreting to the extent of 2·13 lakh cft. have been done. 20,200 sqft of Sheet piles have been driven. 26,000 cft. of

protection works have been done. Construction of left upstream and downstream guide bunds and Eastern Afflux Bund has been taken up.

On the Canals, earthwork to the extent of 25·4 crore cft. on Tirhut Canal, 7·2 crore cft. on Don Branch Canal, 7·7 crore cft. on Saran Canal and about 5·6 crore ft. on Western Main Canal has been done.

The work of closing the river gaps at two points in Nepal territory has mostly been completed. Earthwork to the extent of 1·6 crore cft. has also been done in the construction of the Nepal Bund.

भूधारण अभिलेख

768. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री न० प्र० यादव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग राज्यों को आज तक के भूधारणाधिकार सम्बन्धी अभिलेखों को तैयार करने के लिये वित्तीय सहायता देने की योजना पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) राज्य योजनाओं में सम्मिलित अधिकारों के अभिलेखों को तैयार करने और उन्हें ठीक करने की योजनाओं के लिये केन्द्र से 50 : 50 के आधार पर सहायता मिल सकती है। यह अनुभव किया गया था कि राज्य सरकारें पंचवर्षीय योजना की अधिकतम सीमा के अन्दर आवश्यक समायोजन कर के वार्षिक योजनाओं में इन योजनाओं को शामिल कर सकेंगी। कुछ राज्यों को जहां इस समस्या की ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, और बहुत धन की जरूरत थी, योजना की अधिकतम सीमा के अन्दर इस प्रयोजन के लिये आवश्यक धन देने में कठिनाई हुई। अतः भूधारणाधिकार के अभिलेख तैयार करने और उन्हें ठीक करने तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिये केन्द्र की ओर से एक योजना शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि राज्यों को इस काम के लिये 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

कम्पनी विधि न्यायाधिकरण

769. **श्री बासप्पा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम्पनी विधि न्यायाधिकरण न काम शुरू कर दिया है; और यदि हां, तो किस तारीख से ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन बनाये गये न्यायाधिकरण ने 1 जुलाई, 1964 से काम शुरू कर दिया है।

Private Practice by Government Doctors

770. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government propose to direct the State Governments not to allow the doctors employed in hospitals of State and District Headquarters to do private practice ; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme and its financial implications ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No. The State Governments are already aware of the desirability of stopping private practice and paying adequate salaries and a non-practising allowance, and some of them have already done so.

(b) Does not arise.

राजस्थान नहर का नौवहन

771. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री राजस्थान नहर के बारे में १६ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर को नौवहन योग्य बनाने की योजना पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कृ० ल० राव) : (क) और (ख) यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

ग्राम्य गृह निर्माण

772. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री रामपुरे :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रा० बरूआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य गृह-निर्माण की प्रगति का सर्वेक्षण करने के लिये उन के मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति ने योजना क्रियान्वित करने के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) चौथी योजना में आवास कार्यक्रम, जिसमें ग्राम्य गृह-निर्माण भी शामिल है, के बारे में सिफारिशें करने के लिये योजना आयोग द्वारा गृह-निर्माण और नगरीय तथा ग्राम्य आयोजन सम्बन्धी कार्यकारी दल नियत किया गया था। कार्यकारी दल द्वारा लगभग एक महीने में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी

773. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने विशेष जांच विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है क्योंकि वहां स्वच्छ पीने के पानी की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार के लिये निर्धारित सर्वेक्षण तथा जांच विभाग ने सहारनपुर, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, झांसी, बांदा और मिर्जापुर—इन नौ जिलों में जांच पूरी कर ली है ?

चोरी से लाई गई घड़ियां

774. **श्री विश्वनाथ पांडेय** :
श्री बं० ना० कुरील :
श्री द० जी० नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में जुलाई, 1964 में दो अलग अलग छापों में 1150 घड़ियां जब्त कीं; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 25 और 26 जुलाई, 1964 को बम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो मामलों में कुल 1155 कलाई घड़ियां और 11 घड़ियों के फीते जब्त किये।

(ख) दोनों मामलों में अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं। उन के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

सोने का चोरी से लाया जाना

775. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने जुलाई, 1964 में दिल्ली रेलवे स्टेशन के समीप लुधियाना के एक जौहरी के पास लाखों रुपये मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की थीं; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। किन्तु दिल्ली पुलिस द्वारा 24 जून, 1964 को जब्त की गई थी।

(ख) जानकारी प्राप्त होने पर एस० एच० ओ० दिल्ली कोतवाली ने मुनी लाल को गिरफ्तार किया। श्री मुनी लाल के पिता का नाम श्री आसा राम है और वह मोहल्ला, चावलियां, जगराव जिला, लुधियाना का रहने वाला है। 24 जून, 1964 को की गई इस गिरफ्तारी में अपराधी के पास से एक किलो ग्राम सोना पकड़ा गया। उस मामले की सीमा शुल्क विभाग जांच कर रहा है और सीमा शुल्क एक्ट के अधीन कार्यवाही आरभ हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय दर से सोने का मूल्य 5,358 रुपये है।

चोरी से लाई गई विलास की वस्तुएं

776. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने शान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर 19 अप्रैल, 1964 को कुछ मंहगी घड़ियां और विलास की वस्तुयें जब्त की थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है और उस विषय में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) 19 अप्रैल, 1964 को बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने सिंगापुर से आने वाले पांच भारतीयों के पास, 1,01,800 रुपये के मूल्य की 1046 कलाई घड़ियां और 9,700 रुपये के मूल्य की विभिन्न वस्तुयें तथा 500 रुपये की भारतीय करेंसी जब्त की। इन मामलों में अब पांच भारतीयों पर मुकदमे चलाये और दण्डित किया गया। इन मामलों में विभागीय न्याय निर्णयन भी जारी है।

गर्भ निरोधक औषधियां

777. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परम शिवन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन हेतु गर्भ निरोधक प्रभावशाली औषधियों की भारत में खोज और विकास की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या जापान में हाल ही में इस प्रकार की गई निरोधक औषधि निर्माण करने की ओर सरकार का ध्यान गया है और यदि हां, तो क्या भारत में उसकी प्रभावक्ता का परीक्षण किया गया है तथा उसके क्या परिणाम सिद्ध हुए है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भारत में गर्भ निरोधक प्रभावपूर्ण औषधि अब तक नहीं ढूंढ़ी गयी है। गवेषणा कार्य हो रहा है।

(ख) तोक्यो स्थित भारतीय दूतावास से प्राप्त जानकारी से मालूम हुआ है कि जापान में गर्भ निरोधक औषधि नहीं बनायी गयी है ।

राजेन्द्र स्मारक गवेषणा संस्था

778. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 12 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 542 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में राजेन्द्र स्मारक गवेषणा संस्थ और राजेन्द्र स्मारक इंस्टीट्यूट की स्थापना में भाग लेने के बारे में बिहार सरकार के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) उपकरणों और संयंत्रों को खरीदने के लिये राजेन्द्र स्मारक गवेषणा संस्था पटना को 1963–64 में 2 लाख रुपये की तदर्थ मंजूरी दी गई थी ।

Master Plan for Punjab Towns

779. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) the extent of assistance given by Government to the Punjab Government for framing a Master Plan for big cities and towns in the Punjab State; and

(*b*) the names of those cities and towns in the State in respect of which the Master Plan has been formulated?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (*a*) In the year 1962-63 a sum of Rs. 2·52 lakhs was sanctioned against the expenditure actually incurred by the Government of Punjab in connection with the preparation of Master Plan.

In 1963-64 a sum of Rs. 4·25 lakhs was sanctioned for this purpose subject to later adjustment.

For the year 1964-65 a sum of Rs. 6·00 lakhs has been allocated. This amount is being released to the State Government through ways and means advances subject to final adjustment later on.

(*b*) No Master Plan for any city or town in Punjab has been finalised so far. Master Plans in respect of the following cities and towns are under formulation :—

1. Amritsar.
2. Ludhiana.
3. Jullundur.
4. Ring Towns of Delhi such as Faridabad and Sonepat.
5. Kulu-Manali.

पश्चिमी यूरोपीय देशों से सहायता

780. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
म राज कु ार विजय आनन्द :
श्री राम हरख यादव : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी यूरोपीय देशों की सरकारों ने वह अधिक धन ऋण देने के लिये इच्छा अभिव्यक्त की है जो भारत की विकास योजना के अन्तर्गत किन्हीं परियोजनाओं से सम्बद्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त देशों द्वारा 1963–64 में कितनी सहायता का वचन दिया था और 1964–65 में कितनी वित्तीय सहायता की आशा है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ?

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3156/64]

तपेदिक के रोगियों का घर पर इलाज

781. श्री शिवचरण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तपेदिक के रोगियों का घर पर इलाज का उपबन्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केवल कितनी रकम आवंटित की गई है और 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में कितनी रकम खर्च की गई है और इस दिशा में क्या सफलता मिली है; और

(ग) 1964–65 और 1965–66 में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उन की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के लिये तपेदिक के रोगियों के लिये कुल 34.71 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। 1961–62 से 1963–64 में निम्नलिखित रकम खर्च की गई हैं :

1961—62	2,32,000
1962—63	3,63,000
1963—64	6,51,000

दिल्ली में घर में इलाज कराने की योजना सात टी० बी० क्लिनिक के माध्यम से की जा रही है। इन में से चार क्लिनिक का संचालन दिल्ली नगर निगम और तीन क्लिनिक का संचालन स्वैच्छिक ऐजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय कर्मचारियों और एक्टीमाइक्रोषल औषधियों की व्यवस्था स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित क्लिनिकों के लिये भी नगर निगम करता हैं।

(ग) एक नई टी० बी० क्लिनिक झण्डे वालाना और दो नये टी० बी० क्लिनिक ग्राम्य क्षेत्रों में—नरेला और किलोकरी में शीघ्र ही प्रारम्भ की जायेगी। आशा है यह क्लिनिक तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कार्य प्रारम्भ कर देगी। एक चलती-फिरती एक्स-रे क्लिनिक ग्राम्य क्षेत्रों में घर पर चिकित्सा का कार्य करेगी। 1964–65 और 1965–66 में इस कार्य के लिए 15.32 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

स्कूलों का चिकित्सा निरीक्षण

782. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूलों की चिकित्सा निरक्षण के लिये दिल्ली की तीसरी पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रकम निर्धारित की गई है और 1961–62, 1962–63 और 1963–64 में कितना खर्च किया गया है और इस दिशा में क्या सफलता हुई है ; और

(ग) 1964–65 और 1965–66 में निर्धारित लक्ष्य और उन की पूर्ति के लिये उठाये गये कदम क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में दिल्ली नगर निगम के अधीन 'स्कूल चिकित्सा योजना' के लिए 9 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(ख) तीन वर्ष में आवंटन और खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन (लाख रुपयों में)	खर्च (लाख रुपयों में)
1961–62	2.00	0.06
1962–63	3.69	1.02
1963–64	2.75	1.35

इस योजना में 25,000 बच्चों के लिए 84 स्कूल सम्मिलित हैं।

(ग) 1964–65 में 2.75 लाख रुपये का उपबन्ध है और योजना चालू रखने के लिये 1965–66 में 2.75 लाख रुपये के उपबन्ध का प्रस्ताव है।

गुलाबी बाग, दिल्ली में अस्पताल

783. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री गुलाबी बाग दिल्ली में अस्पताल के बारे में 13 फरवरी, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना की और क्या प्रगति हुई है और निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : निगम ने 100 शैय्या वाले अस्पताल के लिये गुलाबी बाग में 19.25 एकड़ जमीन प्राप्त कर ली है। इस के लिये योजनाएं और प्राक्कलन काम प्रारम्भ कर दिया गया है।

1344(Ai)LS—5

केरल में तापीय संयंत्र

784. { श्री प्र० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री मणियण्णाडन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से केरल में एक तापीय संयंत्र निर्माण करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंजूरी दे दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । केरल सरकार से परियोजना प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेअर बाजार में मंदी

785. { श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि चालू राजकोषीय वर्ष और विशेष रूप से गत तीन महीनों में शेअर बाजार में असामान्य मंदी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मन्दी के क्या कारण हैं ; और

(ग) पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्माचारी) : (क) सरकार को मालूम है कि राजकोषीय वर्ष के प्रारम्भिक साढ़े तीन महीनों में शेअर की कीमतें घट गई थीं । परिवर्तनीय लाभांश औद्योगिक प्रतिभूतियों का रिजर्व बैंक का देशनांक फरवरी के अन्त में 174.3 था जो 29 मई, 1964 को घट कर 161.4 हो गया और 13 जून को वह और भी घट कर 160.9 ही रह गया । तत्पश्चात् देशनांक में वृद्धि हुई और 29 अगस्त को यह 168.4 पर था । कीमतों में गिरावट शनै शनै हुई है तथा वह असामान्य रूप में नहीं हुई है ।

(ख) शेअर कीमतों में गिरावट के अनेक कारण हैं । संसद् में बजट प्रस्तावों की घोषणा पर प्रारम्भिक गिरावट आई किन्तु प्रतिकूल राजनैतिक और निगमित समाचारों के कारण यह गिरावट बनी रही । इनमें कुछ हैं—भारत-पाकिस्तान के बिगड़े सम्बन्ध, कुछ प्रमुख कम्पनियों द्वारा चल परिणाम और लाभांश की घोषणा में देरी, अनेक कम्पनियों द्वारा बोनस के प्रश्न को स्थगित करना, विनियोग निधियों का नई दिशाओं में परिवर्तन, विशेष रूप से मुद्रा बाजार की संकट-मय स्थिति के संदर्भ में, प्रजातंत्रीय समाजवाद के बारे में भुवनेश्वर संकल्प की क्रियान्विति के बारे में ढेबर प्रतिवेदन की आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्टि और श्री जवाहरलाल नेहरू की सहसा बीमारी और मृत्यु से शेअर बाजार में मंदी के अन्य कारणों में विरोधी पार्टियों द्वारा चीजों की बढ़ती

(ग) यूनिट ट्रस्ट और औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना पूंजी विनियोग की दिशा में उठाये गये कदम हैं। निगमित बचत को प्रोत्साहित करने के लिये बजट उपबन्ध और ऋण समता अनुपात में शिथिलता से भी कम्पनियों को विकसित होने और शेअर कीमतों में सुधार आने में सहायता मिलेगी।

अमेरिका से सहायता

786. श्री रामचन्द्र मल्लिक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पु० र० चक्रवर्ती :
डा० सरोजिनी महिषी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में 1964–65 के लिये अमेरिका ने 4350 लाख डालर देने का वचन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह रकम किन परियोजनाओं के लिये प्रयुक्त की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) कुल 250.25 लाख डालर ऋण, जो संलग्न विवरण में बताया गया है, वचन दी गई रकम के अन्तर्गत अनुमोदित किये गये हैं। शेष भाग के लिये, इस विषय पर अमरीका अधिकारियों से अभी बातचीत की जा रही है। अतः इस अवस्था पर उन परियोजनाओं का उल्लेख करना संभव नहीं है जिन पर शेष रकम को प्रयुक्त करने के लिये सहमति दी जायेगी।

विवरण

(अमरीकी डालर : दस लाख में)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी एजेंसि से ऋण	
डीजल इंजनों को खरीदने के लिए भारतीय रेलों के लिये छठा ऋण	7,200
अमरीकी निर्यात आयात बैंक से ऋण	
(1) मैसर्स हिन्दुस्तान एलुमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड, (विस्तार), पिंपरी, उत्तरप्रदेश	11,000
(2) मैसर्स सैन्ट्रल पल्प मिल्स लि० पूना . .	6,825
कुल . .	25,025

नदी घाटी परियोजनाएं

787. **श्री ह० प० चटर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक निर्मित हुई और हो रही नदी घाटी योजनाओं की कितनी संख्या है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में परियोजनाओं की पूर्ति के लिये स्वीकृत रकम और अब तक खर्च की गई रकम कितनी-कितनी है ; और

(ग) तीसरी योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इन में से कितना पूरा हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) (1) तीसरी पंचवर्षीय योजना में 25 मध्यम सिंचाई परियोजनायें और 11 जल विद्युत् परियोजनायें पूरी होने की रिपोर्ट मिली है।

(2) 221 सिंचाई परियोजनाएं (55 बड़ी और 166 मध्यम) और 40 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किए जाने की रिपोर्ट है ।

(ख) (1) तीसरी योजना में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 581.6 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है । 1961—64 में प्रत्याशित खर्च 291.8 करोड़ रुपये है ।

(2) जल विद्युत् परियोजनाओं के लिये तीसरी योजना में खर्च *307.5 करोड़ रुपये है और 1961—64 में **166.1 करोड़ रुपये है ।

(ग) (1) तीसरी योजना में प्रत्याशित 210 लाख 40 हजार एकड़ में से 1963—64 के अन्त तक 150 लाख एकड़ पूरा होने की आशा है ।

(2) तीसरी योजना में 3492.7 मेगावाट हाइड्रोलेक्ट्रिक बिजली के निर्धारित लक्ष्य में से 1661.2 मेगावाट चालू की जा चुकी है ।

*इस में तुंगभद्र चरण 2, रिहंद चरण 2 (एकक 6), जलढाका चरण 1 (एकक 3) के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

**इसमें तुंगभद्र चरण 2, चम्बल चरण 1, गण्डक हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम, जलढाका, हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम चरण 1 और 2 के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

जलागम क्षेत्रों में भूमि संरक्षण

788. **श्री ह० प० चटर्जी :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक नदी घाटी परियोजना का नाम और उसके जलागम क्षेत्र का वर्गमील में क्षेत्रफल तथा कुल जलागम क्षेत्र में से कितने में तुरन्त भूरक्षण कार्य को आरम्भ करने की आवश्यकता है ; और

(ख) क्या इस कार्य पर होने वाले आवश्यक व्यय के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है और उस काम के लिये वस्तुतः कितनी राशि मंजूर की गई है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उन महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं के नाम जो पूरी हो चुकी हैं या बन रही है और उनके जलागम क्षेत्र संलग्न विवरण में दिये हुए हैं [**पुस्तकालय म रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3157/64**]। केन्द्र द्वारा तीसरी योजना में आरम्भ किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 नदी घाटी परियोजनाओं के 109000 वर्गमील जलागम क्षेत्र में से कुल लगभग 55,000 वर्गमील क्षेत्र के अब तक विमानों द्वारा फोटो लिये जा चुके हैं । शेष जलागम क्षेत्र के (कोसी को छोड़कर) के तीसरी योजना के अन्त तक फोटो ले लिये जाने की आशा है जब इन विमानों से लिये गये फोटुओं की जांच पूरी हो जायेगी तो यह पता लग सकेगा कि कितने क्षेत्र में भूसंरक्षण कार्य करने की आवश्यकता है ।

(ख) अभी तक नहीं ।

तीसरी योजना में 14 नदी घाटी परियोजनाओं के जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण के कार्यों के लिये केवल 11 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है ।

नदी घाटी परियोजनाएं

789. **श्री रामपुरे** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं का लागत मूल अनुमान से बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की बढ़ी हुई लागत कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3158/64**]

चन्द्रपुर तापीय विद्युत स्टेशन

790. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुर तापीय विद्युत् स्टेशन के लिए खुले बाजार से कोयला खरीदना आवश्यक हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दुग्द स्थित कोयला धोने के कारखाने की असफलता के कारण उक्त विद्युत् स्टेशन की सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिये खुले बाजार से कोयला खरीदनें पर दामोदर घाटी निगम को कितनी अतिरिक्त राशि लगानी पड़ेगी तथा इस अतिरिक्त लागत के कारण बिजली की लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आशा है कि अक्तूबर, 1964 के अन्त तक चन्द्रपुर तापीय विद्युत् स्टेशन का पहला यूनिट (एकक) चालू होगा । तापीय स्टेशन को शुरु किये जाने से पहलें ईंधन को पर्याप्त मात्रा में

इकट्ठा करना ग्रावश्यक है । दुर्गद स्थित कोयला धोने के कारखाने से मुहैया होने वाली सामग्री में इस समय कमी होने के कारण खुले बाजार से कोयला खरीदने की ग्रावश्यकता पड़ी है ।

(ग) ग्रभी हाल में दामोदर घाटी निगम ने जो व्यवस्था की है उसके ग्रन्तर्गत खुले बाजार से प्राप्त किये जाने वाले कच्चे कोयले की कीमत दुर्गद के कोयला धोने वाले कारखाने की कीमत से जरा कम है, इसलिए इसमें ग्रतिरिक्त लागत नहीं लगेगी । यही कारण है कि बिजली तैयार करने की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सिंचाई योजनान्तर्गत परियोजनाएं

791. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रा० बरुग्रा :

क्या सिंचाई ग्रौर विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिंचाई योजनान्तर्गत परियोजनाग्रों के कार्यान्वयन सम्बन्धी टीम (दल) ने सरकार को ग्रपनी रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की क्या क्या मुख्य सिफारिशें हैं ; ग्रौर

(ग) क्या उक्त दल की सिफारिशों पर कुछ कार्यवाही की जा चुकी है ?

सिंचाई ग्रौर विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) विभिन्न राज्यों में, वहां के ग्रधिकारियों के परामर्श से, सिंचाई परियोजनाग्रों के निर्माण की प्रगति तथा उन परियोजनाग्रों से होने वाले लाभों सम्बन्धी प्राक्कलनों के पुनरीक्षण के लिए, केन्द्रीय दल तथा विद्युत् ग्रायोग के एक सदस्य के ग्रधीक्षण में, दो ग्रलग ग्रलग दल स्थापित किये जा चुके हैं । ये दोनों दल विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुके हैं तथा वहां के प्राधिकारियों से विचार विमर्श कर चुके हैं : उन्होंने ग्रभी तक 8 राज्यों के सम्बन्ध में में रिपोर्टें तैयार की हैं, जिन का केन्द्रीय जल तथा विद्युत् ग्रायोग में इस समय निरीक्षण किया जा रहा है ।

यह भी बताया जाता है कि ग्रौर 6 राज्यों के बारे में रिपोर्टों के मसौदे तैयार हैं ।

(ख) ग्रौर (ग). जब केन्द्रीय जल तथा विद्युत् ग्रायोग से रिपोर्टें प्राप्त होंगी ग्रौर उन पर कार्यवाही की जाएगी तो सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाएगा ।

ग्रान्ध्र प्रदेश में ग्रामीण ग्रावास योजना

792. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रान्ध्र प्रदेश सरकार को 1964–65 में ग्रामीण ग्रावास योजना के लिए कुल कितनी राशि दी गई है ; ग्रौर

(ख) इसी ग्रवधि में ग्रन्य राज्यों को राज्य-व्वार कुल कितनी राशि दी गई ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) ग्रौर (ख). विभिन्न ग्रावास योजनाग्रों के लिये, जिनमें ग्रामीण ग्रावास योजना भी सम्मिलित है, राज्यों को समूचे रूप में केन्द्र की ग्रोर से ग्रावंटन किया जाता है । प्रत्येक ग्रलग ग्रलग योजना के लिए राज्य सरकार स्वयं ग्रावन्टन करती ।

निम्नलिखित सारणी में 1964–65 में सभी राज्यों को किया गया केन्द्रीय आवंटन बताया गया है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	कुल आवंटित राशि
		(लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.20
2.	आसाम	19.60
3.	बिहार	30.70
4.	गुजरात	90.70
5.	जम्मू तथा काश्मीर	35.00
6.	केरल	31.60
7.	मध्य प्रदेश	61.60
8.	मद्रास	58.10
9.	महाराष्ट्र	159.60
10.	मैसूर	52.10
11.	उड़ीसा	36.60
12.	पंजाब	6.60
13.	राजस्थान	17.60
14.	उत्तर प्रदेश	110.60
15.	पश्चिम बंगाल	154.00
	कुल	911.60

प्राइवेट मैडिकल कालेजों का उत्तरदायित्व संभालना

793. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने उन्हें अपने हाथ में लेने का कोई निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) देश में इस समय 12 प्राइवेट मैडिकल कालेज हैं ।

(ख) अत्यधिक दाखिले तथा वार्षिक फीस पर चलने वाले प्राइवेट मेडिकल कालेजों के कतिपय पहलुओं की जांच करने तथा सिफारिशें करने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी । समित ने अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत कर दिया है । समिति की एक सिफारिश यह है कि इस तरह के प्राइवेट मेडिकल कालेजों को उनके चालू होने के लगभग 10 वर्ष बाद राज्य सरकारें अपने हाथ में ल लें । समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अक्तूबर, 1964 में होने वाली आगामी बैठक में विचार किया जाएगा ।

प्राइवट मेडिकल कालेज

794. **श्रीमती लक्ष्मीबाई** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्राइवेट मेडिकल कालेज दाखिले की फीस लेते हैं ; और

(ख) ऐसी फीस/कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) देश में नौ प्राइवेट मेडिकल कालेज दाखिला फीस चन्दा ले रहे हैं ।

(ख) दाखिला फीस चन्दा प्रति विद्यार्थी, 3,000 से 10,000 रुपये तक है ।

Fire in "Jeevan Vihar", New Delhi

795. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the cause of the fire which broke out in 'Jeevan Vihar' building in New Delhi on the 17th August, 1964 ; and

(b) the names of the offices located in that building, the nature of articles belonging to each office destroyed and the total amount of loss sustained ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (*a*) The fire appears to have been caused by an electrical short circuit.

(*b*) The tenants in the building are :—

(1) Bank of Tokyo Ltd.
(2) First National City Bank.
(3) National Industrial Development Corporation Ltd.
(4) Indian Oil Company
(5) Travel India Bureau.
(6) Remington Rand of India Ltd.
(7) New India Spinning and Weaving Mills Ltd.
(8) Talfica Private Ltd.
(9) Mitsui & Co., Ltd.
(10) Indian Iron & Steel Co. Ltd.
(11) R. K. Kulwant Rai (India) Private Ltd.
(12) Amichand Pyare Lal.
(13) Guest Keen Williams Ltd. (Sankey Division).
(14) Batliboi & Co. private Ltd.
(15) William Jacks & Co. Ltd.
(16) Ajit Kumar Mithal.
(17) Indian Investment Centre.
(18) P. L. Garg.
(19) Narsingh Bindu Private Ltd.
(20) J. B. Dadachandji & Co.
(21) Bokaro Steel Ltd.

Apart from the Indian Oil Company, no other office has sustained any loss as a result of the fire. The loss to the Indian Oil Company is estimated at about Rs. 2·22 lakhs and in addition certain records of its sales, operations, engineering and administration departments were also destroyed.

The extent of the damage to the building itself has not yet been precisely estimated, but is likely to be of the order of Rs. 2·5 lakhs. As the building is insured against fire risks for its full value, the loss, it is expected, will be made good by the insurance company.

Amount due to N.D.M.C. from M. Ps.

796. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Health** be pleesed to state :

(a) whether Government heve made efforts to ascertain the total amount due to the New Delhi Municipal Committee from the present and ex-Ministers of Parliament on account of outstanding electricity and water charges :

(b) the efforts being made to realise this outstanding sum; and

(c) the amounts of arrears due from Members of Parliament and ex-Ministers separately ?.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (*a*) In the case of Ministers, payment of water and electric charges is made to the New Delhi Municipal Committee by the Central Public Works Department and as such the question of any arrears payable by the Ministers and *ex*-Ministers does not arise. Necessary action to recover the water and electric dues from the present and *ex*-Members of Parliament is, however, being taken by the New Delhi Municipal Committee.

(*b*) Bills are regularly sent to Members and in case of non-payment, action is taken in accordance with the provisions of the Punjab Municipal act.

(*c*) The amounts outstanding against the Members of Parliament and *ex*-members as on 31st August, 1964 are as follows :—

Members of Parliament—Rs. 12,832·51

Ex-Members of Parliament—Rs. 2,909·78.

As already stated there are no arrears against *ex*-Ministers.

तवा परियोजना

797. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से नये आने वाले लोगों की सहायता से मध्य प्रदेश में तवा परियोजना का काम तेज करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने ऐसे व्यक्तियों को काम पर लगाया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) समय-समय पर अलग-अलग सख्या थी। अगस्त, 1964 के चौथे सप्ताह में दैनिक उपस्थिति 315 थी।

उड़ीसा में आय कर इकट्ठा करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था

798. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर के प्रयोजनों के लिये उड़ीसा राज्य अभी तक बिहार के साथ संयुक्त नियन्त्रण में है ;

(ख) उड़ीसा में आय कर के मामले एक अलग आयुक्त के प्रशासनिक नियन्त्रण में न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उड़ीसा में कितने शाखा कार्यालय हैं तथा 1963-64 में कुल कितना रुपया इकट्ठा हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिये देश कई आयुक्तों के अधीन बंटा हुआ है । राजस्व, काम के भार तथा सामर्थ्य के आधार पर अलग-अलग चार्ज बनाये जाते हैं तथा आयुक्तों का कार्यक्षेत्र सदा राज्यों की सीमाओं के अनुसार नहीं होता है । उड़ीसा में काम के वर्तमान भार तथा राजस्व की मात्रा को देखते हुए आयुक्त का एक अलग कार्यक्षेत्र बनाना उचित नहीं है ।

(ग) उड़ीसा में आयकर मण्डलों की संख्या 8 है । इनके अतिरिक्त दो कार्यालय अपीलीय सहायक आयुक्तों के तथा एक निरीक्षक सहायक आयुक्त का है । 1963-64 में सभी प्रत्यक्ष करों के अधीन कुल राजस्व को दो करोड़ चव्वन लाख और बासठ हजार रुपये प्राप्त हुआ था ।

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर प्रशासनिक नियंत्रण

799. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का प्रशासनिक नियंत्रण उड़ीसा के लिये स्वतन्त्र कलैक्टर के हाथ में देने का है ;

(ख) क्या सरकार ने संग्रह की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पादन राजस्व में हुई हानि का हिसाब लगाया है ; और

(ग) आसाम, बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश की तुलना में उड़ीसा से कितना उत्पादन राजस्व इकट्ठा हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) संग्रह की समुचित व्यवस्था न होने अथवा उत्पादन राजस्व की हानि का सरकार को पता नहीं है ।

(ग) 1961-62, 1962-63, 1963-64 तथा 1964 (जुलाई तक) उड़ीसा, आसाम, बिहार और आंध्र से प्राप्त उत्पादन राजस्व दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

रुपये (000)

राज्य	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65 (जुलाई 1964 तक)
उड़ीसा .	58648	93407	129892	44079
आसाम .	148552	238806	403143	149836
बिहार .	295384	368830	387261	137843
आन्ध्र प्रदेश .	216873	259793	343548	114187

ग्राल इंडिया इन्स्टीट्यूट ग्राफ मेडिकल सायंसेस ग्रस्पताल

800. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्स्टीट्यूट ग्रस्पताल द्वारा उस से लाभ उठाने वाले लोगों को बताई गई ग्रौषधियों के संभरण के लिये ग्राल इंडिया इन्स्टीट्यूट ग्राफ मैडिकल सायंसेस ग्रस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ।

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; ग्रौर

(ग) क्या सरकार का विचार ए० ग्राई० ग्राई० एम० एस० हस्पताल की सुविधायें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले लोगों तक बढ़ाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले लोगों का ग्राल इंडिया इस्टीट्यूट ग्राफ मैडिकल सायंसेस में इलाज तभी किया जाता है जब सरकारी स्वास्थ्य योजना का विशेषज्ञ उस इन्स्टीट्यूट को लिख कर भेजे । यह प्रक्रिया न केवल ए० ग्राई० ग्राई0 एम० एस० पर बल्कि सभी गैर-सरकारी हस्पतालों पर लागू होती है । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना विशेषज्ञ द्वारा जो मामले ए० ग्राई० ग्राई० एम० एस० संस्था को भेजे जाते हैं उन के लिये बताई गई ग्रौषधियां केन्द्रीय सरकार स्वा थ्य योजना द्वारा दी जाती हैं ।

खाद्य ग्रपमिश्रण

801. **श्री स्वैल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़े पैमाने पर खाद्य ग्रपमिश्रण होता है ;

(ख) क्या सरकार ने देखा है कि यह रोग कहां तक फैला हुग्रा है ग्रौर इससे राष्ट्र के स्वास्थ्य को क्या हानि हो रही है; ग्रौर

(ग) इस रोग का सामना करने ग्रौर इसे समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). खाद्य ग्रपमिश्रण निवारण ग्रधिनियम, 1954 के उपबन्धों तथा उस के ग्रधीन बनाये गये नियमों के ग्रनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा रहा है । सरकार ने इस ग्रधिनियम के चलन का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया है तथा देखा गया है कि 1963 में लिये गये 22 से 50 प्रतिशत तक नमूने विभिन्न राज्यों में ग्रपमिश्रित थे ।

खाद्य ग्रपमिश्रण निवारण ग्रधिनियम को ग्रधिक कड़ा तथा ग्रच्छा बनाने के लिये इस में ग्रग्रेतर संशोधन करने वाला विधेयक, जो 20 दिसम्बर, 1963 को लोक-सभा में पेश किया गया था, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था । समिति का प्रतिवदन 7 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था ग्रौर उस पर विचार किया जायेगा । जब विधेयक कानून बन जायेगा तो राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें ग्रपमिश्रण के विरुद्ध उपायों को ग्रधिक प्रभावी ढंग से प्रवर्तित कर सकेंगी ।

आय कर की वापसी

802. **श्री गौरी शंकर कक्कड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आय-कर देने वालों को लौटाई जाने वाली आय-कर की वास्तविक राशि (राज्य-वार तथा वर्षों-वार) कितनी है; और

(ख) अब तक न लौटाये जाने के क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी । जानकारी आयुक्तों के कार्य क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध होगी, राज्यवार नहीं ।

Excise Duty on Consumer Goods

803. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount recovered as excise duty on oil, sugar, gur, cloth, vegetable oils, tobacco, tea and soap during the last five years?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : The required information pertaining to excise duty on mineral oils, sugar, cloth, vegetable oils, tobacco, tea and soap for the years 1959-60 to 1963-64 is furnished in the statement placed on the table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-3159/64].

There is no Central Excise duty on gur.

संसद भवन सम्पदा

804. **श्री राम हरख यादव** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसवन्त :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में संसद भवन सम्पदा के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत आयेगी; और

(ग) योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) संसद भवन तथा नार्थ ब्लाक के बीच सड़क की दिशा बदलने का प्रस्ताव है ?

(ख) और (ग) प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद लागत का हिसाब लागाया जाएगा ।

हैजे का टीका

805. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजे के टीके के संभरण के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी मात्रा की मांग की है और सरकार ने कितनी मात्रा देना स्वीकार किया है; और

(ग) किन शर्तों पर सरकार ने टीका देना स्वीकार किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मांगी गई मात्रा	5 लाख खुराकें (500 लिटर)
सरकार ने जितनी मात्रा देना स्वीकार किया है	तदैव

(ग) स्टाक अल्प सूचना पर विशव स्वास्थ्य संगठन को दिये जाने के लिये सुरक्षित रखा गया है । यह उस संगठन को मुफ्त दिया गया है ताकि वह उन सदस्य देशों की जहां रोग फैला हुआ है हैजे के टीके की तात्कालिक मांग को पूरा कर सके ।

Excise Duty on Tabacco

806. Shri Brij Raj Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the rate of excise duty on tobacco levied in U.P.;

(b) whether it is a fact that the entire quantity of tobacco is purchased by Government ; and

(c) if so, the rate at which Government purchase tobacco and the rate of which it is sold in the market?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The rates of excise duty on tobacco which are uniform throughout India are given in the enclosed statement. [Pleased in Library . *See* No. LT-3160/64].

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजनाआयुर्वेद औषधालय

807. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या स्वास्थ्य-मंत्री नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेद औषधालयों के बारे में 2 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विनय नगर, नई दिल्ली में एक और आयुर्वेद औषधालय खोलने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या ऐसे औषधालय, अन्य सरकारी कालोनियों में भी खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य मत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सरोजिनी नगर में एक और आयुर्वेद औषधालय खोलने का निर्णय किया गया है तथापि इस के लिये अभी उपयुक्त स्थान प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है । स्थान के मिलते ही औषधालय काम करने लगेगा ।

(ख) इस समय किन्हीं अन्य सरकारी कालोनियों में और आयुर्वेद औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 में नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों और उक्त एक्ट के संचालन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3134/64]** ।

(2) विद्युत् करघा जांच समिति का प्रतिवेंदन । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—3145/64]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 आदि

योजना मत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 और सीमा शुल्क एक्ट, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत दिनांक 22 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1170 । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—3146/64]**

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 29 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1208 । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-3147/64]** ।

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1964 की धारा 38 के अन्तर्गत दिनांक 22 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1171 में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1964 । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—3148/64]**

(4) उन कम्पनियों की सूची, जिन्हें सरकार से पूछने पर, वर्ष 1963-64 में यह सूचना दी गई है कि भारतीय आय-कर अधिनियम, 1962 [आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 99 (1) (चार)] की धारा 56-क के अन्तर्गत उन्हें अपनी कम्पनी के अंशधारियों में बांटें गये लाभांशों पर छूट मिल सकेगी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3149/64]**

2 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 22 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1167

(दो) दिनांक 29 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1207

(तीन) दिनांक 29 अगस्त, 1964 की जी० एस० आर० 1209

(चार) दिनांक 1 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1269

(पांच) दिनांक 1 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1270 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3150/64] ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान, मुझे सभा को यह बताना है कि राज्य सभा ने अपनी 15 सितम्बर, 1964 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि प्रैस परिषद् बिल, 1963 को दोनों सभाओं के 45 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें राज्य सभा के 15, अर्थात् श्रीमती वायलेट आल्वा, श्री अर्जुन अरोड़ा, श्री के० दामोदरन, श्री आर० आर० दिवाकर, श्री मू० एस० दीक्षित, श्रीमती इन्दिरा गांधी, डा० गोपाल सिंह, श्री अकबर अली खां, श्री ए० डी० मणि, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री नरला वेंकटेश्वर राव, श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी, श्री भवानी प्रसाद तिवारी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी

और लोक-सभा के 30 सदस्य हों और यह सिफारिश की है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति में लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये जायें ।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे आज़मगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से दिनांक 15 सितम्बर, 1964 का एक बिना तार का सन्देश प्राप्त हुआ था कि लोक-सभा के सदस्य श्री विश्राम प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107 और 117 के अन्तर्गत 15 सितम्बर, 1964 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया था ।

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक

FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री ति० त० कृष्णाचमारी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

मंत्री-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

श्री खाडिलकर (खेड): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । कल मुरुड घटना सम्बन्धी वाद-विवाद में बाधा उपस्थित हो गई थी और विपक्षी सदस्यों ने समझा कि श्री नाथ पाई के सारे कथन को अभिलेख से निकाल देने का आदेश आप ने दिया है किन्तु अभिलेख को देखने से पता लगता है कि वे सब बातें आपकी टिप्पणी सहित वाद-विवाद के अभिलेख में विद्यमान हैं। इस तरह भ्रम दूर हो गया है अतः वह वाद-विवाद पुनः आरम्भ होना चाहिये ताकि श्री नाथ पाई के आरोपों का उत्तर दिया जा सके ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैंने आप के आदेश को भली प्रकार समझ लिया था कि श्री नाथ पाई ने जो बातें दोहराई थीं उन्हें अभिलेख में से निकाला जाना था । मेरा निवेदन है कि आप विरोधी दलों के सदस्यों की एक बैठक बुलाएं और हमें बताएं कि हम से क्या गलती हुई है और हमें भी अपना मत रखने का अवसर दें फिर निर्णय किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रतिपक्षी सदस्यों से कोई शिकायत नहीं है । मैं ने केवल यह कहा था कि वह कथन उचित नहीं भले ही वह असंसदीय नहीं था । किन्तु ऐसा कहने पर जब फिर उसे दोहराया गया तो मैं ने उसे अभिलेख से निकाल दिया ।

मैं कभी नहीं कहता कि मुझ से गलती नहीं होती किन्तु अध्यक्ष पद गलती से परे है । मैंने कल यह भी कहा था कि वे मुझ से मिल लें और मैं अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिये तैयार हूं । किन्तु वे शर्त रखना चाहते थे कि पहले उस आदेश को रद्द किया जाए । ऐसा नहीं किया जा सकता था । मैं पुनर्विचार के लिए सदा तैयार हूं ।

कल हर सदस्य ने संसदीय सिद्धान्तों और लोकतंत्र पर बल दिया था और कहा था कि उन की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है । किन्तु क्या संसदीय लोकतंत्र में कहीं ऐसी कोई प्रक्रिया है अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध बहिर्गमन किया जाए । आप भारत में नई प्रथा का विकास कर रहे हैं । सरकार के विरुद्ध तो विपक्षी सदस्य संगठित नहीं हुए किन्तु मेरे विरुद्ध हो रहे हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं भली प्रकार समझता हूं कि अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है । उसके बिना विपक्षी सदस्य सभा में कोई काम कर ही नहीं सकते । मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि किसी कथन को अभिलेख में से निकालने की बात ऐसी जो अन्य देशों विशेषतः ब्रिटेन में नहीं होता । इस तरह की जो बातें कभी-कभी घटती हैं तो हमें इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है ताकि विपक्ष का अधिकार अक्षुण्ण रहे ।

अध्यक्ष महोदय : जिस बात को निकाला गया है वह क्या है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : आपने उस कथन की पुनरावृत्ति पर आपत्ति की थी ।

अध्यक्ष महोदय : अतः जो निकालने का आदेश दिया गया वह उस में विद्यमान है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री नाथ पाई ने अपनी बात को घृष्टता के कारण नहीं दोहराया बल्कि वे स्पष्टीकरण दे रहे थे कि वे शब्द संसदीय हैं । उन्हों ने सर्वथा संसदीय भाषा का प्रयोग किया था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा): जब आप नें पुनरावृत्ति को अभिलेख में से निकालने का आदेश दिया तो हम ने समझा कि सारे कथन को निकाला जा रहा है । हम आप के निर्णय पर आपत्ति नहीं करते और क्योंकि उस पर आपत्ति की नहीं जा सकती थी अतः हमारे समक्ष अपना विक्षोभ व्यक्त करने का एक ही उपाय था कि बहिर्गमन किया जाए । यह संसदीय प्रक्रिया का अच्छा सिद्धान्त है ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): श्रीमन, मैं अनुभव करता हूं कि जिस बात को आप ने पहले अभिलेख में रहने, उसे निकाल कर आप गलत दृष्टान्त का निर्माण कर रहे हैं ।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर): इस मामले पर कल के घटनाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए विचार करना चाहिये । आप ने यही कहा था कि श्री नाथ पाई का कथन असंसदीय नहीं किन्तु अनुचित है और उनके द्वारा शब्दों को दोहराने पर यह समझा गया कि आप के निर्णय का विरोध किया गया है । ऐसी परिस्थिति में आप ने जो निर्णय दिया उसे स्वीकार करना चाहिये । मैं अपने मित्र सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे आप से मिल कर इस पर विचार विमर्श कर लें ।

Shri Maurya (Aligarh) : Sir, you may not have any misunderstanding regarding the republican party, because I also staged the walk out yesterday, I may submit that there is no precedent in the world when an observation which is not unparliamentry has been expunged.

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन उस ओर के सदस्य के आपत्ति उठाने पर आप ने कहा था कि श्री नाथ पाई का कथन असंसदीय नहीं किन्तु अनुचित है किन्तु उसे दोहराने पर आप ने उन्हें निकाल देने का आदेश दे दिया जबकि इससे पूर्व के ऐसे दृष्टान्त हैं जब इस तरह के कथन को दोहराने पर उसे अभिलेख में से नहीं निकाला गया । अतः मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिये ।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मेरा निवेदन है कि भले ही आप का निर्णय गलत हो किन्तु हमें संसदीय मूल्यों का सम्मान करना चाहिये । यदि अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध बहिर्गमन को संसदीय प्रथा मान लिया जाए जैसाकि श्री द्विवेदी ने कहा तो नित्य प्रति बहिर्गमन हुआ करेगा और संसदीय कार्य नहीं हो सकेगा ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्रीमन्, कल मैंने जब कुछ उद्धरण पढ़ कर सुनाए तो आप ने कहा था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि अन्य सभाओं में क्या होता है । अतः आप मौलिकता चाहते हैं और यह सभा मौलिकता प्रदर्शित कर रही है । आप के निर्णय के विरुद्ध हम इकट्ठे नहीं हुए बल्कि यह सब अनायास ही हो गया । हम ने अपने आप को अत्यन्त अपमानित अनुभव किया

[श्री नाथ पाई]

था। यह कहना गलत है कि यह वातावरण सभा की प्रतिष्ठा के विरुद्ध था या आप के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं था। आप ने समझा कि मैं आप का विरोध कर रहा हूं जबकि मेरा यह आशय कदापि नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : मान लीजए कि मैंने आप को गलत समझ लिया . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री नाथ पाई : यदि वे बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई यह काम मुझ पर छोड़ दें।

श्री हनुमन्तैया : ये हमें धमका रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप से निवेदन है कि आप बीच में दखल न दें। यहां हर कोई यह चाहता है कि कल जो गलत फहमी पैदा हो गई थी वह दूर हो जाय।

श्री नाथपाई : श्रीमन, रिकार्ड से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं आप के निर्णय का सम्मान करते हुए आप से निवेदन कर रहा था कि :

"श्रीमन् मैं तो चाहता हूं कि आप मेरा पथप्रदर्शन करें। मैं आप के निर्णय का विरोध नहीं करता किन्तु . . . . . . केवल यह पथप्रदर्शन चाहता हूं कि किन कारणों से मेरा कथन अभिलेख से निकाला जा रहा है।"

इन शब्दों में मैं तो केवल प्रार्थना कर रहा था। आप की और सभा की कृपा की कामना करता था। श्री एन्थनी ने कहा कि हम ने सभा के स्तर को नीचा किया है। मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं कि हम आप से जो निवेदन कर रहे थे उस में सभा की प्रतिष्ठा को गिरा रहे थे। यह हमारे ऊपर लांछन है जिसका मैं विरोध करता हूं।

मैंने आप के निर्णय को चुनौती नहीं दी थी। मैं ने तो कहा था :

"श्रीमन्, आप सभा के अधिकारों के संरक्षक हैं।"

किन्तु हम ने अनुभव किया कि आप की प्रतिष्ठा सभा की प्रतिष्ठा है और उसी तरह सदस्यों की प्रतिष्ठा को सभा की प्रतिष्ठा से अलग नहीं की जा सकती। क्या आप जैसे सर्व सम्मानित अध्यक्ष के होते हुए हम सदा ऐसे अतिवादी उपचार का सहारा लेंगे ? श्री एन्थनी के कथन का तो यही अभिप्राय है। किन्तु हम ने यह अपना परम कर्तव्य समझा था कि हमें केवल देश का ही प्रतिनिधित्व नहीं करना प्रत्युत सभा के अधिकारों का भी सम्मान करना है। इस कारण हमें अतिवादी उपचार अपनाना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों को सुन कर प्रसन्नता हुई है। यदि वे अध्यक्षपद की प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं तो मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं सभा के सदस्यों की प्रतिष्ठा की रक्षा करता रहूंगा और मैं समझता हूं कि उन्हें कभी भी इस बारे में शिकायत नहीं रही।

कल की घटना के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि मैंने कह दिया था कि उनका कथन असंसदीय नहीं किन्तु अनुचित है। उनके उस कथन को दोहराने पर मैंने समझा कि वे उसी बात पर बल दे रहे हैं।

यह कहा गया है कि विरोधी पक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ कर एक यही उपचार रह गया था। मैंने यह समझा कि यह भी एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव ही है। मैं भी गलती कर सकता हूं किन्तु क्या यह सम्भव है कि जब कभी मैं निर्णय दूं उस पर यहां चर्चा हुआ करे कि निर्णय ठीक है या गलत? क्या इस तरह लोकतन्त्र का संचालन हो सकता है? यदि कुछ सदस्य मेरे निर्णय से असहमत हों तो वे मुझ से विचार विमर्श कर सकते हैं और मैं पुनर्विचार के लिए तैयार हूं।

दूसरा विकल्प अमरीकी पद्धति का है कि जब भी कोई ऐसा निर्णय हो तो सभा उस पर निर्णय करे। क्या यह व्यवहार्य है? क्या वे यह परामर्श देंगे कि इस उपाय को अपनाया जाए?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमन्, पिछले 12 वर्षों से हमने कुछ प्रथाओं का निर्माण किया है। बहिर्गमन का हमारा अधिकार है जिसका प्रयोग हम कभी कभी किन्तु बहुत कम करते रहे हैं। यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि यह बात बहुमत पर छोड़ दी जाए कि वह ठीक और गलत का निर्धारण करे।

अध्यक्ष महोदय : 1953 में मेरे पूर्वाधिकारी श्री मावलंकर ने भी यह निर्णय दिया था कि बहिर्गमन अध्यक्ष पद का अपमान है।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, ऐसा तो विरोधी पक्ष तभी करता है जब वह पीड़ित अनुभव करता है।

अध्यक्ष महोदय : बहिर्गमन की प्रथा आम हो गई है। अतः माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस पर विचार करें कि क्या इस लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को बल मिलता है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : खेद की बात है कि आप हमारी कल की कार्यवाही को अध्यक्ष पद के प्रति अविश्वास का द्योतक बता रहे हैं श्री नाथ पाई ने स्पष्ट बताया है कि हमारा यह मन्तव्य नहीं था।

संसद् की कार्यवाही में परिष्कृत ढंग से घात प्रतिघात स्वाभाविक होते हैं। ऐसे अवसर पर आपको देखना चाहिये कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूं—हो सकता है मैं गलती पर हूं—कि श्री नाथ पाई ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वे सर्वथा संसदीय थे। यह बात यहां के वाद-विवाद के हित में है कि कुछ सहनशीलता और उदारता का परिचय दिया जाए। हमने ऐसी परम्पराओं का निर्माण किया है जो भारतीय लोकतन्त्र के लिए श्रेयस्कर है।

श्री मी० रु० मसानी : मैं कल यहां उपस्थित नहीं था किन्तु मैं समझता हूं कि श्री नाथ पाई ने जो शब्द कहे वे असंसदीय नहीं थे। जहां तक बहिर्गमन का सम्बन्ध है वह संसदीय नियमों के अनुकूल नहीं है। मैं ऐसे बहिर्गमन का विरोध करता हूं किन्तु यदि कुछ लोगों का इससे भिन्न मत है तो क्या यह उचित है कि आप सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक होते हुए अपने कार्य बहुमत को सौंप दें। मेरा निवेदन है कि आपको इस अपमानसूचक कार्य से आवेश में नहीं आना चाहिये और सभी सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक बने रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं कहा था कि वे शब्द असंसदीय नहीं थे किन्तु क्या उन्हें अनुचित कहने के बाद दोहराना चाहिये था।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा): मेरा सुझाव है कि अब इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। अतः इसे समाप्त कर देना चाहिये।

श्री उ० म० त्रिवेदी (मंदसौर): श्रीमन्, हम सभी आपके निर्णय का स्वागत करते हैं और यही चाहते हैं कि यह निर्णय बहुमत पर छोड़ने की बजाय आप ही हमारे संरक्षक बने रहें।

श्री प्र० के० देव : श्रीमन् मुरुड के विषय पर चर्चा का अवसर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि सभा ऐसा चाहती है।

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : हमारी कठिनाई यह है कि इस पर एक घंटा व्यय हो चुका है और कल अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। कल श्री नाथ पाई आधा घंटा ले चुके हैं और इस चर्चा पर दो घंटे और अपेक्षित हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां तीन बजे तक चर्चा होगी।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : Mr. Speaker, I suggest that this discussion should be separated from No-Confidence motion.

Mr. Speaker : We shall stick to the decision which has been already taken. Now Shri Nath Pai will begin and the discussion will go upto 3 o'clock.

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, मैंने इस विचार से आरम्भ किया था कि इस वाद विवाद का उत्तर अलग से दिया जायेगा।

मैंने कल इस बात का उल्लेख किया था कि मुझे अपने प्रस्ताव के अस्वीकृत होने का इतना दुख नहीं था जितना इस बात का आश्चर्य कि सरकारी पक्ष ने कैसा व्यवहार किया था। मैं श्री राज बहादुर के कथन का उद्धरण देना चाहता हूं जिस पर उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उन्होंने कहा था कि श्री वालकाट धनी व्यक्ति था और हमारी राष्ट्रीयकृत विमान सेवा ने उसके विमान का प्रयोग किया 'था।" आपने एक ऐसे व्यक्ति का पूर्व वृत्त जाने बिना उसे अपनी सेवा में ले लिया। जब मैंने कहा कि फ्रांस और कुछ अन्य देशों में उसका आचरण भ्रष्ट रहा है तो मुझे चुनौती दी गई कि मुझे यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई है। मानो जानकारी होना भी गुनाह है। जब वह बम्बई, लाहौर और कभी-कभी जयपुर के बीच उड़ानें भरता रहा तो वह इधर सन्देश नहीं बल्कि कुछ और जा ले जा रहा था। मैंने कहा था कि उसे पकड़ने की आवश्यकता थी और उस समय कहा गया कि उसे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार मन्त्रालय ने उसे अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र दे दिया।

एक गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के हैंगर में रखे विमान में तेल भर कर, उड़ान लेना और भाग जाना अन्तर्राष्ट्रीय विधि में गम्भीर अपराध है। उसके विरुद्ध श्री राज बहादुर के अनुसार पांच आरोप थे और फिर भी वह भाग गया।

श्री नन्दा ने बड़ा जोशीला उत्तर दिया था और जब वे जोश में होते हैं तो वे तर्कपूर्ण बात नहीं कहते। उन्होंने कहा था कि इस मामले में सुरक्षा की बात नहीं आती और यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। मुझे नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि वायु सेना के विमानों ने उसका जो पीछा किया वह व्यर्थ था। मेरा उपहास करने के लिए उन्होंने अपने प्रशासन का ही उपहास किया। उस वाद-विवाद के समय सरकार ने यह भावना दिखाई थी। मैंने बार बार कहा था कि यह सुरक्षा का मामला है देश के सम्मान का मामला है। किन्तु सरकार को यह समझाने के लिए यह मामला नाज़ुक गम्भीर और जटिल है वालकाट इस देश में दूसरी बार आया। अब श्री हाथी ने कहा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मामला है और इसकी जांच की जाच की जा रही है, अतः इस पर अधिक ब्यौरेवार चर्चा नहीं होनी चाहिये।

जांच की स्थिति यह है कि जिन अधिकारियों को वालकाट के प्रत्यर्पण के लिए इंग्लैण्ड भेजा गया था वे खाली हाथ लौट रहे। ऐसा समाचारपत्र बताते हैं। पुलिस के पास कोई प्रमाण नहीं है, अतः उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। यह सरकार की धांधली का नमूना है। हमारे प्रशासन पर यह कितनी दुखद टिप्पणी है कि इतने ढेर सारे प्रमाण होते हुए भी हम प्रमाण नहीं जुटा सके। यहां की सरकार से जब कोई मसला हल नहीं होता तो वह विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया करती है। क्या वह वालकाट के मामले में भी अमरीकी और रूसी विशेषज्ञों को बुलायेगी।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : आप उपहास क्यों कर रहे हैं ?

श्री नाथ पाई : आपको उपहास की ही आवश्यकता है। आप मन ही मन मुझ से सहमत हैं। आप यहां चर्चा को दबा सकते हैं किन्तु इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमरीका के समाचार पत्रों में इस चर्चा को कैसे दबा सकते हैं।

वालकाट का हमारे उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा शुल्क विभाग और प्रतिरक्षा विभाग से भी सम्बन्ध है। गोआ के श्री मांटीयरो के हाथों हमारे अनेक देशभक्त मारे गये थे। वह व्यक्ति कराची से आया और गोआ में कई स्थानों पर बम रख कर सुरक्षित वापस लौट गया।। मैं कहानी नहीं सुना रहा बल्कि यह दुखद घटना है।

इसे सभा और सरकार को गम्भीरता से वालकाट के मामले पर विचार करना चाहिये। वह अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर तस्कर व्यापार चलाता है। जहां ये तस्कर छिप कर इस देश में घुस सकते हैं वहां हमारे शत्रु भी घुस सकते हैं। जो व्यक्ति भारत की राजधानी से गत वर्ष भाग गया था वह दो बार आकर चला गया है तो क्या यह देश आक्रमण को रोक सकता है ?

हमें कहा गया है कि एक विभागीय समिति नियुक्त की जायेगी। मुझे ऐसी समिति में कोई रुचि नहीं है। ऐसी समितियों की रिपोर्ट तो निश्चित ढर्रे की होती है और वे सारा आरोप छोटे लोगों के सिर लगा देते हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि उन्हें मामले की गम्भीरता को पहचानना चाहिये। गुप्तचर विभाग और सुरक्षा की पूरी जांच करनी चाहिये। विभाग पर लगाये गये आरोप की विभाग क्या जांच करेगा। विभाग तो कह देगा, मुझे सन्तोष है मैं निरापराधी हूं। इसके लिए एक स्वतन्त्र जांच होनी चाहिये यह हमारे देश के लिए अपमान की बात है कि अपने अपराधी के दण्ड देने के लिए हम दूसरे देश का सहयोग मांग रहे हैं। हमें स्वयं इतने सुदृढ़ होना चाहिये कि यदि वालकाट यहां आए तो बच कर न निकल सके। माओत्सी तुंग भारत की प्रतिरक्षा के बारे में कहता है कि भारत की सेनाएं शान्ति में अविजित और युद्ध में अदृश्य होती हैं। इसे एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मामला न बनाइये यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारे उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा शुल्क विभाग आदि में बहुत गम्भीर गड़बड़ है। अतः हमें अपने प्रशासन को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय से 2.30 बजे बोलने को कहा जायेगा और प्रत्येक सदस्य के लिए 10 मिनट का समय ठीक रहेगा।

श्री सोलंकी (कैरा) : केवल हमारी सरकार ही नहीं बल्कि 6 अन्य देशों की सरकारें और इण्टर पोल भी श्री वाल्काट की तलाश में हैं। वाल्काट हमारे देश में दो बार आये और दोनों बार वह बचकर निकल गये। दोनों बार उन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन किया। इस आपात काल की स्थिति में हमारे लिए और भी आवश्यक हो गया है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनायें ताकि वाल्काट जैसे लोग इस प्रकार हमारे देश में न आयें और यदि आयें, तो भाग न पायें। हमें

[श्रो सोलंकी]

इसी बात का दुख है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि वाल्काट भाग निकला। इस बार भी वह भाग निकला होता लेकिन दुर्भाग्य से उसका विमान खराब हो गया और उसे मरूडं उतरना पड़ा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

उनका विमान जब उतरा तो अनेक गांव वालों ने उनको देखा। उन्होंने देखा कि उस विमान से दो गोरे उतरे। गोरे को देख कर लोग सपकपा गये। पुलिस अफसर ने भी उनसे अधिक तहकीकात नहीं की। यह भी नहीं पता लगाया गया कि वास्तव में उसके विमान में पैट्रोल समाप्त हो गया था। उनके सामान की भी तलाशी नहीं ली गयी ।

दोनों गोरों ने बताया कि वे अपना जहाज ठीक कराने के लिए बम्बई से सहायता लेने जा रहे हैं। उन्हें और उनका सामान बम्बई ले जाने के लिए एक टैक्सी बुलवाई गई पर टैक्सी वाले को शक हो गया कि उनके सामान में चोरी से लाई गई घड़ियां और सोना है, अतः उसने उन्हें बम्बई ले जाने से इंकार कर दिया। परन्तु हमारे पुलिस अधिकारियों को तब भी उन पर शक नहीं हुआ और उन्होंने उनके लिए राज्य परिवहन के टिकट खरीद दिये ।

इसके बाद वें 36 घंट तकें भारत में रहे। पुलिस तथा हवाई अड्डे के अधिकारी एक दूसरे को सतर्क नहीं कर पाये। ये दोनों गोरे बम्बई गये। वहां वें अपने लोगों से मिले और चोरी से लाये गये सामान का उन्होंने सौदा किया और उसके बाद पाकिस्तान जाने के लिए यात्री के रूप में हवाई अड्डे पर पहुंचे ।

यात्रियों की सूची में उनका नाम हमारे हवाई अड्डे के अधिकारियों ने लिख दिया। जब वे दोनों विमान द्वारा पाकिस्तान के लिए उड़ गए उसके बाद हमारे हवाई अड्डे के अधिकारियों को शक हुआ कि फिल्बी नाम का व्यक्ति शायद वाल्काट ही हो। परन्तु अब क्या हो सकता था।

अनुमान है कि वाल्काट 75 लाख रु० का सोना चोरी से लाया था। हमारे देश में भी अनेक लोग हैं, जो उसकी मदद करते हैं अन्यथा उसके लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इस प्रकार आये और बच कर भाग जाये। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था संगठित करनी चाहिए और अपने देश के भीतर चोर बाजारी करने वालों पर नजर रखनी चाहिए ।

इस समय भारत में 3000 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं, जिन्हें अब तक अपने देश वापस चले जाना चाहिए था परन्तु जो वापस नहीं गये हैं। अभी कलकत्त में अजीजुल इस्लाम नाम का एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया था। ऐसे ही लोग वाल्काट जैसे लोगों की मदद करते हैं।

सरकार बताये कि क्या उसे ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों का पता है, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था ढीली नहीं है और क्या वाल्काट के भाग निकलने से संसार के सामने हमारा अपमान नहीं हुआ है ?

जब वाल्काट फ्रांस में पकड़ा गया था, तो हमने फ्रांस की सरकार तथा इन्टरपोल की सहायता से उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की कोशिश क्यों नहीं की। यह केवल चोर बाजारी का ही मामला नहीं है बल्कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का भी मामला है और माननीय मन्त्री इसकी ओर ध्यान दें ।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : श्रीमान्, यह सारी स्थिति यह बतलाती है कि हमारी सरकार कितनी असफल रही है। सरकार कहती है कि उस अवसर पर उन लोगों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस दिन एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा था कि मरूद तस्कर व्यापार का एक बड़ा केन्द्र है। अतः बड़ी अजीब बात है कि वहां पर विदेशियों का विमान उतरा और सरकार कहती है कि तब भी शक करने का कोई कारण नहीं था। अजीब बात है कि टैक्सी के ड्राइवर ने तो शक किया लेकिन पुलिस को शक नहीं हुआ। क्या जिला पुलिस कप्तान को भी इस सम्बन्ध में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि बिना किसी पूर्वसूचना के यह विमान वहां कैसे उतरा ?

असैनिक हवाई अड्डे के कन्ण्ट्रोलर को 7.32 बजे सुबह यह समाचार मिला। वह जानता था कि इस विमान का कण्ट्रोल टावर से कोई सम्बन्ध नहीं था फिर भी उसने पुलिस तथा सुरक्षा अधिकारियों को इस मामले में कोई चेतावनी नहीं दी।

इन बातों से यही लगता है कि पुलिस, असैनिक उड्डयन, सीमा शुल्क विभाग तथा इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन या सारे प्रशासन में ऐसे लोग हैं, जो इस प्रकार के तस्कर व्यापारियों से मिले हुये हैं। पहली बार जब वाल्काट भागा था तो जो चौकीदार ड्यूटी पर था उसने चार बार अधिकारियों को सतर्क किया कि वाल्काट भागने वाला है परन्तु इसके बावजूद भी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की और वाल्काट भाग निकला। उसके बाद तो सरकार को चाहिए था कि ऐसे लोगों को प्रशासन में से निकाल बाहर करती।

दो वर्ष से हमारे देश में आपातकाल चल रहा है और हमारी सरकार ने अभी भी राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों को आदेश नहीं दिया है कि अनधिकृत रूप से उतरने वालों विमानों के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाये। क्या यह सरकार जनता को यह कह कर धोका नहीं देती रही है कि वह सुरक्षा सम्बन्धी सब उपाय करती रही है।

श्रीमान्, हमारे देश के व्यापारी कम बीजक बनाने और अधिक बीजक बनाने की कला जानते हैं, वे विदेशों में अपनी विदेशी मुद्रा इकट्ठी करते हैं और सरकार को धोखा दे रहे हैं; उन्हीं लोगों के धन से विदेशों में सोना खरीदा जाता है और वह सोना चोरी से भारत में लाकर बेचा जाता है। सरकार लोकतन्त्रीय समाजवाद के नाम पर इस प्रकार के देशद्रोहियों को पाल रही है। इसका एक ही इलाज है कि सरकार आयात निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दे परन्तु इन 17 वर्षों में सरकार ने व्यापारियों के हित को राष्ट्रीय हित से बड़ा स्थान दिया है।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : वस्तुतः हमारे देश के सामने बड़ा संकट है और सुरक्षा व्यवस्था की ओर हम पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रीमान्, हिटलर की सरकार के मिलिटरी अटैची ने कहा था कि हम एक भी ब्रिटिश नागरिक को अपने जासूसी के काम में लेने में सफल नहीं हो पाये। क्या हमारे देश के लोगों की भी यही स्थिति है ? हमारी सेना, वायु सेना, पुलिस या अन्य विभाग के बड़े अधिकारी क्या ऐसे हैं ? उन में से कुछ तो बड़ी आसानी से अपने देश को बेचने को तैयार हैं।

हम एक विदेशी होटल खोलने जा रहे हैं। यह होटल जासूसी का अड्डा बन जायेगा ; हमारा देश संकट में है। समुद्र तट के संबंध में हम बिल्कुल उदासीन हैं। नवयुवक मछुओं को ट्रेनिंग दे कर उन्हें होम गार्ड बनाया जाना चाहिये जो हमारे समुद्र तट की रक्षा करें।

[श्री जोकीम अल्वा]

एयर इंडिया इंटरनेशनल के अन्तिम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के मकान में, वाल्काट ठहरा था परन्तु माननीय मंत्री ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह स्पष्ट भाषी होने चाहियें; लेकिन वे सत्य नहीं बोलते। हमारी पुलिस तथा हमारे पत्रकार हमारी सरकार की आंखें होनी चाहियें। उन्हें देश की सुरक्षा को सर्वप्रथम स्थान देना चाहिये।

पयटन के नाम पर हम विदेशी होटल खोलने की अनुमति दे रहे हैं; यह गलत है, मैं चाहता हूं कि सरकार देश की रक्षा के लिए रचनात्मक सुरक्षा उपाय करे।

बम्बई के एक बड़े धनी व्यक्ति तस्कर व्यापार करते हैं। यह समाचार अखबारों में भी आया था फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

एक बार सीमा शुल्क वालों ने मेरे सामान की तलाशी ली। मैं ने उन से कहा कि मेरे पास कोई ऐसा सामान नहीं है, फिर भी उन्हों ने तलाशी ली। ठीक है। मैंने प्रधान मंत्री श्री नेहरू को लिखा। उन्हों ने जांच कराई। लेकिन संसद् सदस्यों की तलाशी लेने का क्या लाभ है? यह 4-5 साल पहले की बात है। अभिप्राय यह है कि पुलिस छोटे छोटे मामलों में ही व्यस्त रहती है।

क्या हमारा पुलिस विभाग सतर्क है? दिल्ली में पुलिस तथा खुफिया विभाग के बहुत से अधिकारी हैं। परन्तु हमारे देश से सम्बन्धित सारी जानकारी विदेशी दूतावासों को दी जाती हैं; हमारे बड़े बड़े अधिकारी जानकारी उन्हें देते हैं। चीन के लोग नेफा में आये थे क्या उन्हें भारत के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त नहीं है। हमारे अशोक होटल में एक विदेशी आता है, वहां शस्त्र इकट्ठा करता है, फिर बच कर चला जाता है और फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर आता और चला जाता है। हवाई अड्डों, विमान सेवाओं तथा पत्तनों पर हमारे अधिकारियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे देश की सुरक्षा हो सकती है।

यह वाल्काट संबंधी घटना हो गई है। इतनी अधिक असुरक्षा होने के बावजूद भी हम सावधान नहीं है। हमारे बड़े बड़े अफसरों की पत्नियां विदेशी दूतावासों में काम करती हैं। मनुष्य में कमजोरियां होती हैं। इस प्रकार देश की गोपनीय बातें दूतावासों के पास जाती हैं।

वाल्काट की घटना से हमारी आंखें खुल जानी चाहियें। मैं श्री नाथपाई का आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न यहां उठाया। यह कोई दल का प्रश्न नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय प्रश्न है जिस पर हमें मिल कर विचार करना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं श्री नाथ पाई की इस मांग से सहमत हूं कि इस सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये। श्री हाथी का वक्तव्य कोई समाधान नहीं करता। 1963 में वाल्काट जब भारत आये थे तो बंगाल के कलकत्ते के एक समाचार पत्र ने उन का और एक कार का फोटो छापा था। और उस में बताया गया था कि यह कार एक अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारी की है। यह बात गृह-कार्य मंत्रालय की जानाकारी में लाई गई थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। गृह-कार्य मंत्री ने बम्बई के रिट्ज़ होटल के मैनेजर से कोई पूछताछ क्यों नहीं की जबकि इस होटल में अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारी ठहरा करते हैं। दोनों मंत्रियों ने श्री नाथ पाई की बात को मनगढ़ंत कहानी कहा है।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : पहले जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तब मैं ने यह कहा था। यह कहा गया कि वाल्काट जब अपने विमान में उड़ रहा था तो उसने उस जेल के कैदियों को, जिस में वह स्वयं था, अभिवादन किया और उन के लिये बिस्कुट के पैकेट फेंके। बाद में जांच करने पर यह बात सही नहीं सिद्ध हुई। उसी प्रसंग में मैं ने इसे मनगढ़न्त कहानी कहा था। अन्यथा मैं स्वयं चाहता हूं कि इस संबंध में हम जो कुछ भी कार्यवाही कर सकते हैं अवश्य करें।

श्री नाथ पाई : चूंकि प्रसंग आया है अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने माननीय मंत्री को बताया था कि दैनिक समाचार पत्रों में इस बात का उल्लेख है और उसी का मैं ने उल्लेख किया था। उन को चाहिये था कि वह कहते कि श्री नाथ पाई की जानकारी सही नहीं है लेकिन इस के बजाय उन्हों ने उसे मनगढ़ंत कहानी बताया। इसी बात पर मुझे आपत्ति है।

श्री स० मो० बनर्जी : वाल्काट ने सिद्ध कर दिया है कि उसने दोनों मंत्रियों को धोखा दे कर अपना काम निकाला है। वक्तव्य से पता लगता है कि माननीय मंत्री ने कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है। ऐसा लगता है कि हवाई अड्डे का अधिकारी उस की सहायता करना चाहता था। सभी अधिकारियों को कुछ न कुछ रिश्वत दे कर ही वाल्काट तीन या चार बार भारत आया और बच कर चला गया।

रेवेन्यू इन्टेलीजेन्स के डिप्टी डाइरेक्टर श्री दीवान की जानकारी में यह बात लाई गई थी कि यहां अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार होता है परन्तु क्या उन्होंने सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को यह जानकारी दी थी ?

बम्बई के प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारी मि० डागे पर मुकदमा चल रहा था। वह मुखबिर बन गया था परन्तु मजिस्ट्रेट ने उसे मुखबिर मानने से इन्कार कर दिया। मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध भी पुलिस ने अपील की। पुलिस द्वारा अपील करने का क्या लाभ था ?

बम्बई में एक नानूभाई सर्राफ हैं। जो अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार में लाये गये आभूषणों तथा सोने का व्यापार करते हैं। इस नानूभाई की एक अन्य भाई के साथ सांठगांठ है। वे तस्कर व्यापार करते हैं। एक भूतपूर्व मंत्री के पुत्र के मकान की तलाशी भी हुई थी।

इस के बाद भ्रष्टाचार की जांच करने का प्रश्न है। तारकेश्वरी सिन्हा से ले कर माला सिन्हा के संबंध में जांच हो रही है परन्तु कलकत्ते में बिड़ला परिवार के 30 सदस्यों के यहां तलाशी हुई। उसी समय गृह-कार्य मंत्री तथा मंत्रि मंडल के मंत्रियों को टेलीफोन किये गये कि उन श्री बिड़ला को बचाया जाये क्योंकि उन को पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गये हैं।

श्री हाथी : हमारे पास ऐसा कोई टेलीफोन नहीं आया।

श्री स० मो० बनर्जी : राज कपूर, वैजंती माला और माला सिन्हा के नाम तो घोषित किये गये परन्तु बिड़ला परिवार के इन 30 सदस्यों के नाम घोषित नहीं किये गये, क्यों ?

मुझे पता लगा है कि इन धनी परिवारों की सहायता से वाल्काट ने सिद्ध कर दिया है कि भारत तस्कर व्यापार के लिए स्वर्ग के समान है। भारत के राष्ट्रीय तस्कर व्यापारी भी इस में सहायता देते हैं। अतः एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिये जो पता लगाये कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार बढ़ा है, देश की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, क्या शक्तिशाली तथा देश के कर्णधारों का भी इस तस्कर व्यापार में हाथ है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्री नाथ पाई ने यह बात ठीक ही उठाई है। यद्यपि इस बार वाल्काट और उन के साथी का इस प्रकार भाग जाना देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चिन्ताजनक बात है परंतु इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। हमें अपनी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए; हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहिये; हमें समुद्र तटों को भी सुरक्षित रखना चाहिये ताकि इस प्रकार के लोग गड़बड़ी न करने पायें और पकड़े जा सकें।

श्री नाथ पाई ने कहा कि यह एक बड़ा दुखद नाटक था। मैं इस बात को मानता हूं। परन्तु इसे इतना तूल देने की अवश्यकता नहीं है। इस में कोई संदेह नहीं है कि हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिये।

मेरा विचार है कि इस मामले में संसदीय समिति या अन्य कोई समिति बनाने से कोई उपयोगी काम नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के भीतर तस्कर व्यापार करने वालों की और जासूसी करने वालों की एक सूची बनाये और प्रशासन के सब विभागों के अधिकारियों को उस की एक प्रति भेज दी जाये। यद्यपि श्री नाथ पाई ने यह मामला उठा कर देश का बड़ा हित किया है परन्तु उस पर इतना शोर मचा कर उन्हों ने हमारे देश को दुनिया की नजरों में कुछ गिरा दिया है।

वाल्काट दुस्साहसी, तस्कर व्यापारी, अपराधी और ऐसे व्यक्ति हैं, जिन के प्रति किसी को कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। मैं तो इतना ही कहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यह वाद विवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें विचार करना है कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है। इस का अर्थ तो यह है कि चीन के लोग भी जब चाहें यहां आ सकते हैं। और बच कर वापिस भी जा सकते हैं। मुझे संदेह है कि चीन के लोग भी इस प्रकार आते जाते रहते हैं। हमारे स्थान नीमच के ऊपर एक विमान 6 बार उड़ता रहा। मैं ने निकटवर्ती स्टेशन कमाण्डर को भी इस की सूचना दी परन्तु मुझे पता नहीं कि गृह-कार्य मंत्रालय को उस की जानकारी दी गई की नहीं।

इसी महीने की 6 या 7 तारीख की बात है कि पाकिस्तान विमान सेवा से एक व्यक्ति उतरा। हवाई अड्डे पर शेख अब्दुल्ला उसे लिवाने गये थे। उस के साथ एक और भी व्यक्ति था। इन लोगों को सीमा शुल्क चौकी की ओर नहीं ले जाया गया बल्कि उस के बिना ही बाहर आने दिया गया। जब हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तस्कर व्यापार हो रहा है, तो इस प्रकार की बातें क्यों होती हैं। कुछ लोगों को इस प्रकार की विशेष सुविधायें क्यों दी जाती हैं और इस का निर्णय कौन करता है। इस प्रकार की छूट देने का निर्णय करने का अधिकार हवाई अड्डे के अधिकारियों को नहीं दिया जाना चाहिये।

पहली बार वाल्काट के भाग जाने के बाद मैं ने भतपूर्व प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था। मैं देखता हूं कि हमारे अधिकारियों के मन में गोरों का हौवा बैठा हुआ है।

वाल्काट को विमान में किस ने चढ़ने दिया। उन का नाम सूची में किस ने दर्ज किया। क्या पासपोर्ट ही काफी होता है? क्या फोटो से आदमी की शकल मिलाई नहीं जानी चाहिये। क्या उस के दस्तखत नहीं मिलाये जाने चाहियें। बड़े दुख की बात है कि यह कुछ भी नहीं किया गया और वाल्काट को बच निकलने दिया गया। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिये ताकि भविष्य में ऐसी बात न होने पाये।

हमारे रहस्य विदेशियों को मिलते रहते हैं। हमारे यहां कोई घटना होती है और पाकिस्तान या पेकिंग से उस का प्रसारण होता है और हम लोगों को उस की सूचना बाद में मिलती है। सरकार देखे कि यह सब क्यों और कैसे होता है। मेरा ख्याल है कि विदेशियों से पैसा पाने वाले लोग हमारी सरकारी नौकरियों में घुस आये हैं और वे हमारे रहस्य बाहर भेजते रहते हैं।

इस घटना के पहले हम मरूद का नाम नहीं जानते थे करीब तीन वर्ष पूर्व झालावाड़ अफीम के तस्कर व्यापार के लिये बदनाम था। एक खबर थी कि तीन साल पहले वहां एक विमान उतरा था परन्तु चूंकि उस का समाचार छपा नहीं अतः सरकार भी उस पर चुपचाप रही।

अतः सरकार को श्री नाथ पाई की यह बात मान लेनी चाहिये कि एक समिति नियुक्त की जाये, जो सारे मामले की छानबीन करे। कुछ निष्पक्ष और ईमानदार लोगों की ही एक समिति बना दी जाये जो सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें दें। वह पता लगाये कि क्या वाल्कट के भाग जाने में हमारे अधिकारियों का हाथ था जिन को उस ने कुछ रिश्वत दे कर खरीद लिया था या फिर वह इतना चालाक था कि लोगों की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री नाथ पाई द्वारा आरम्भ किया गया वाद विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण स्थानों को शेष देश से अलग रखना बहुत खतरनाक है। मुरूद की घटना से यह बात स्पष्ट हो गई है कि कोंकण देश के शेष भागों से सर्वथा कटा हुआ है और इस लिये वह तस्करों का स्वर्ग बन गया है। अतः जरूरत इस बात की नहीं कि संसदीय समिति बनाई जाए बल्कि इस बात की है कि कोंकण को अच्छी सड़कों द्वारा देश से मिलाया जाए और काश्मीर की तरह उसे भी पर्यटन केन्द्र बनाया जाए।

भारत की सुरक्षा व्यवस्था की निन्दा करते हुए श्री नाथ पाई ने श्री वाल्काट की प्रशंसा की है जिस से मुझे हालीवुड के चलचित्र याद आ जाते हैं।

श्री नाथ पाई : मैं जब बोला था तो शायद वह सभा में नहीं थे। मैं ने कहा था कि श्री वाल्काट एक तुच्छ व्यक्ति हैं और उस के द्वारा मेरे देश की सुरक्षा व्यवस्था की खिल्ली उड़ाया जाना एक असाधारण बात है। यदि वह मेरी आलोचना करना चाहते हैं तो जो कुछ मैं ने कहा है उस के आधार पर करें, काल्पनिक बातों के आधार पर नहीं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मैं कल्पना तथा सत्य में भेद समझता हूं। सुरक्षा व्यवस्था की निंदा करने के लिये उन्होंने बड़े कटु शब्दों का प्रयोग किया है परतु उनमें यह कह सकने का साहस नहीं था कि हमारी सेनाओं के आक्रमण के कारण चीनी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। मैं तो समझता हूं कि सुरक्षा का विषय गोपनीय होता है और इसे प्रशासकों के हाथ में छोड़ देना चाहिये। एक जिम्मेदार नागरिक को चाहिये कि यदि उस के पास सुरक्षा सम्बन्धी कोई जानकारी या सामग्री है तो वह उसे सम्बन्धित अधिकारियों को सौंप दे। संसदीय समिति बनाने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि विगत अनुभव से पता चलता है कि सुरक्षा के सम्बन्ध में ऐसी समिति विश्व में कहीं भी सफल नहीं हो पाई। इस विषय में हमें संयम से काम लेना है जो माननीय सदस्यों में मुझे खोजने पर भी नहीं मिला जैसाकि माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है उसी तरह हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सबल बनाना है।

श्री वाल्काट का सम्बन्ध तस्कर व्यापार से भी है। ऐसा व्यापार प्रत्येक सभ्य देश में होता है। मैं समझता हूं कि सरकार इसे रोकने में काफी सफल रही है। तस्कर व्यापार के एकाध मामले को सरकार के प्रति विश्वास या अविश्वास का विषय नहीं बनाया जा सकता।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल वाद-विवाद का ही विषय नहीं है बल्कि गंभीरतापूर्वक सोचने का विषय है और मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों की तरह इस बारे में पूर्णतः गंभीर है ।

दो विदेशी कैसे आये, कैसे भाग निकले, किस उद्देश्य से आए, ये सारी बातें स्पष्ट करने में दो रुकावटें हैं । पहली यह कि अभी हम जांच कर रहे हैं । श्री त्रिवेदी मानेंगे कि जब तक तथ्य प्रमाणित न हों कोई जानकारी देना ठीक नहीं है । मेरा उद्देश्य किसी चीज को सभा से छिपाना नहीं है ।

इस मामले का एक पहलू और है । श्री नाथ पाई ने कहा कि हम प्रत्यर्पण के लिये अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं । सवाल बातचीत का नहीं, कानूनी कार्यवाही का है । प्रत्येक बात को प्रमाणित करना है, साक्ष्य एकत्रित करना है । दूसरा देश भी सुनिश्चित करना चाहेगा कि जिस व्यक्ति को लौटाया जा रहा है उसके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत उसके अपराध के तदनुरूप दंड दिया जायेगा तथा बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की जायेगी । मेरा निवेदन है कि अपराध तो हुआ है, अपराधी को दंड भी मिलना चाहिये परन्तु हम दूसरों को यह आभास न होने दें कि बदले की भावना से कार्यवाही करेंगे ।

श्री नाथ पाई ने कहा कि अन्य देशों की सहायता क्यों लेते हैं । वह एक वरिष्ठ संसद्विज्ञ हैं, ओजस्वी वक्ता हैं परन्तु कभी कभी मुख्य बात से परे चले जाते हैं । मैं तो कहूंगा कि प्रश्न विदेशी सहायता का नहीं है या हमारी पुलिस की अदक्षता का नहीं है । इस मामले से हम ही नहीं बल्कि पांच या छः देश सम्बन्धित हैं और हम ने अपने दो पुलिस अधिकारियों को छानबीन करने तथा साक्ष्य इकट्ठा करने के लिये बाहर भेजा है । जान फिल्बी नकली नाम है और जांच से पता चला है कि उस ने इंग्लैंड से जाली पासपोर्ट लिया है । अतः हमारे अधिकारी सारी बात की जांच कर रहे हैं ।

श्री नाथ पाई : यदि अखबारी समाचार सच है तो वे खाली हाथ लौट आये हैं ।

श्री हाथी : मैं ने वह समाचार पढ़ा है । वे लौटे नहीं हैं, वे अभी वहीं हैं । ऐसे समाचार सदा सच नहीं होते । यदि तथ्य प्रमाणित होते तो कोई बात होती । अभी क्योंकि कुछ बातें प्रमाणित होनी हैं इसलिये न तो मैं उनकी बात का निश्चयपूर्वक खंडन करता हूं और न ही वह अप्रमाणित बातों के आधार पर तर्क दें । उदाहरणार्थ, उन्होंने कहा कि इन विदेशियों के एक साथी को यदि संकेत मिल गया होता तो वे आते और चले जाते । अब इस बात को अभी प्रमाणित किया जाना है । मैं नहीं जानता कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप ने कहा कि ब्रिटिश सरकार मानती है कि वह जाली पासपोर्ट पर आया था । इतना ही काफी होना चाहिये ।

श्री जोकीम आल्वा : एक बात और है । सरकार ने इस जानकारी का खंडन नहीं किया है कि श्री वाल्काट एयर इंडिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अतिथि थे ।

श्री हाथी : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने जो कहा वह भी प्रमाणित तथ्य नहीं है । जांच से हम ने ऐसा अनुमान लगाया है । श्री आल्वा की बात भी एक अनुमान है कि दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से भागने वाला व्यक्ति वही है जो मुरूद में आया था । यदि यह प्रमाणित हो जाता तो सारी बात ही स्पष्ट हो जाती । यही मेरी कठिनाई है ।

वाद-विवाद में विदेशी मुद्रा, बिड़ला तथा टाटा के बारे में अनेक बातें उठाई गई थीं ।

श्री नाथ पाई : इन बातों को लेने से पहले मुझे एक सीधी सी बात बता दीजिए। क्या कारण है कि हवाई अड्डे के अधिकारी को चार घंटे पहले सूचना मिली परन्तु वह कुछ न कर सका ?

श्री हाथी : मैं उस ओर आ रहा हूं । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे कहीं से, किसी से कोई टेलीफोन नहीं आया ।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु बिड़ला के घर की तलाशी ली गई थी ।

श्री हाथी : यदि पुलिस वालों को जानकारी मिलती है तो वे अपना काम करेंगे ।

इस घटना को श्री नाथ पाई के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है । दो विदेशी आते हैं, यहां उतरते हैं, फिर बम्बई जाते हैं और फिर भाग निकलते हैं । यह सब कुछ कैसे हुआ ?

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

हवाई जहाज़ मुरूद में उतरा और उस के उतरते ही गांव वाले दोनों विदेशियों को थाने ले गए । उन्होंने बताया कि अमृतसर से बम्बई जाते हुए इंजन में खराबी पैदा होने के कारण उन्हें उतरना पड़ा । हैड कान्सटेबल ने उनके पासपोर्ट देखे इस बारे में एक तार भेज दिया । यह कह कर कि वे बम्बई से कोई टेक्निकल आदमी लाना चाहते हैं अगले दिन दोनों विदेशी बम्बई चले गए । वहां से उन्होंने भागने की कोशिश की । पाकिस्तान जाने से पहले यह मुहर लगवाना आवश्यक था कि वे भारत में उतरे हैं । हवाई अड्डे पर वे पूर्व अफ्रीकी यात्रियों में मिल गए । वहां उन का पासपोर्ट देखने वाले अधिकारी को पता चल गया कि दो यात्री फालतू हैं । यह बात उसने मौके पर आई० ए० सी० के अधिकारी को बताई । वह अधिकारी दफ्तर में गया, कुछ समय के बाद लौटा और इन दो यात्रियों के नाम सूची में जोड़ दिये । उसे गिरफ्तार कर लिया गया है । उसने जो कारण बताये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं । यदि वह ऐसा न करता तो वे व्यक्ति भाग नहीं सकते थे । हम सारे मामले की छानबीन कर रहे हैं ।

सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा बनाने के बारे में मैं सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं परन्तु कहीं न कहीं कमजोरी रह जाती है । एक व्यक्ति के गलत काम करने का यह अर्थ नहीं कि सारी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है । 10 तारीख को मैं स्वयं यह देखने बम्बई गया था कि यह सब कुछ कैसे हुआ ।

श्री नाथ पाई : मैं कई बार उस हवाई अड्डे से आया-गया हूं । जब तक कोई किसी का साथ न दे या अपने कर्तव्य की अवहेलना न करे ऐसा होना संभव नहीं है ।

श्री हाथी : वह 'कोई' कौन था या वह कैसे वहां पहुंच पाया, ये बातें इतना महत्व नहीं रखतीं क्योंकि बाहर आते हुए उन लोगों का पता चल गया था । अब हुआ यह कि जब वह बाहर आया तो वह एक साधारण यात्री के समान था, उसने टिकट खरीदा और एक साधारण विमान से चला गया ।

हमें कतिपय चीजें याद रखनी हैं । यह कोई शत्रु का विमान नहीं था । हमें सन्देह था कि वह किसी विशेष प्रयोजन से आया है । एक प्रयोजन तस्कर व्यापार हो सकता था इसलिए हम ने 39

[श्री हाथी]

स्थानों पर छापे मारे और कुछ बहुमूल्य पत्थर आदि मिले हैं। जांच अभी चल रही है। दो व्यक्तियों का हमें पता चला है जिन्होंने उनकी सहायता की है। जांच पूरी हो जाने पर हम मामला न्यायालय में ले जायेंगे। प्रत्यर्पण के लिये हमें दूसरे देश के न्यायालय को विश्वास दिलाना है कि उसने अपराध किया है। इसलिये हमें ऐसा वातावरण पैदा नहीं करना चाहिये जिसे बाहर यह सोचा जाय कि सारा देश इस व्यक्ति से बदला लेना चाहता है क्योंकि वह भाग गया है। मैं समझता हूं कि इस में ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है कि इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा जाय।

श्री नाथ पाई : श्रीमान, उन्होंने मुख्य बात को दबा दिया है। एक प्रतिष्ठित समाचार-पत्र में छपा है कि जो दो अधिकारी भेजे गए थे वे लौट रहे हैं। वह कहते हैं कि अभी लौटे नहीं हैं। मैंने जो बात कही थी वह यह थी कि इंग्लैंड में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जो ढर सा साक्षय उपलब्ध है उसे ब्रिटिश प्राधिकारियों ने रद्द कर दिया है। तथ्य क्या हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि चार घंटे पहले सूचना मिल जाने पर हवाई अड्डे के अधिकारी ने क्या किया?

श्री हाथी : समाचार से ऐसा लगता है जैसे कि वे अधिकारी वाल्काट को लेने गए थे। वे तो जांच करने तथा जानकारी एकत्रित करने के लिये गये हुए हैं और अभी तक वहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अभी तक उन्हें कोई लाभदायक साक्ष्य मिला है?

श्री हाथी : उन्होंने साक्ष्य एकत्रित किया है। श्री नाथ पाई का दूसरा प्रश्न यह है कि 7.25 के लगभग हवाई अड्डे के अधिकारी को सूचना मिली तो उसके बाद उसने क्या किया। उसे विमान के उतरने के बारे में सूचना मिली थी जिसमें उन व्यक्तियों के नाम नहीं थे।

श्री नाथ पाई : श्रीमान, यह तो तथ्य का प्रश्न है, वक्तव्य में बताया गया है कि यह सूचना पुलिस को भेजे गए संदेश की प्रति थी? इसका अर्थ है कि उसमें सारा ब्योरा था। हैड कान्स-टेबल का संदेश रत्नागिरी में पुलिस इन्स्पेक्टर को उसी दिन मिल गया था। उसने वायरलैस से वही सन्देश असैनिक हवाई अड्डों के नियंत्रक को भेजा जो 7.30 बजे मिला।

श्री हाथी : मैं जानकारी को छिपाना नहीं चाहता परन्तु उस सन्देश में व्यक्तियों के ठीक नाम नहीं थे, केवल विमान के उतरने की सूचना थी, उनके बम्बई जाने के बारे में नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने अपने भाषण में बताया था कि राजस्व गुप्त जानकारी विभाग डिप्टी डायरेक्टर श्री तिवारी को सारी बात की सूचना दी गई थी। वह होटल में श्री दोजे से मिले जो एक फ्रांसीसी राष्ट्रजन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें भी नौकरी से हटा दिया गया है।

श्री हाथी : मेरे ध्यान में ऐसा कोई नाम नहीं आया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : हम जानना चाहते हैं कि श्री वाल्काट जो बक्से भारत लाये थे उनका क्या बना है। महाराष्ट्र विधान सभा में इस बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है?

श्री हाथी : मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : केवल अन्तिम प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री हाथी : जहां तक अधिकारी का सम्बन्ध है उसने तो पहले ही उनका पता लगा लिया था और इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री कृष्णमेनन (बम्बई–उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में ही कह दूं कि किसी सरकार द्वारा विशेषतः हमारी सरकार जिसे भारी बहुमत प्राप्त है, और एक ऐसी पार्टी द्वारा जो 17 वर्षों से लगातार सत्तारूढ़ है सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर रोष प्रकट करने का कोई कारण नहीं है। यहां पर भाषण क्योंकि विभिन्न मतों के अनुपातनुसार नहीं हुए इसलिये ऐसा समझा जाने की संभावना है कि इस सभा अधिकांश मत इस सरकार के पक्ष में नहीं है। यह वाद-विवाद मेरे विद्वान मित्र श्री एन०सी० चटर्जी के प्रस्ताव पर आधारित है। यहां पिताओं तथा बच्चों के पापों के बारे में उल्लेख किया गया। शायद गांधी जी की ओर संकेत था। एकाधिकार का भी उल्लेख किया गया। जो लोग मुनाफा कमाते हैं या ऐसे उद्योग चलाते हैं जिनका राष्ट्रीयकरण होने वाला है वे आयोजन तथा सरकारी क्षेत्र से डरते हैं। इसीलिए कुछ भाषणों में योजना, अर्थ व्यवस्था के नियंत्रण, स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र आदि की निन्दा की गई है यद्यपि ये सब अत्यावश्यक हैं। अतः हमें पिछले 18 वर्ष के इतिहास पर दृष्टि डालनी है। मोटे तौर पर इससे तीन वर्गों में बांटा जा सकता है—देश का आर्थिक जीवन, देश की राजनीतिक तथा राजनयिक सफलतायें तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया नैतिक योगदान। मैं अन्तिम बात को पहले लूंगा।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री के मन में इस सभा के प्रति जो आदर था, जिस तरह से वह विरोधी सदस्यों से व्यवहार करते थे, उससे उन्हें संसदीय इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त होता है। अब हम नैतिक मान्यताओं की ओर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या आप किसी ऐसे राजनीतिज्ञ, प्रधान मंत्री या सरकार के नेता को जानते हैं जो जनता के सामने बिना किसी झिझक के अपनी गलतियों को मान लेता हो ? मुझे विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।

राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में इस अवधि को धन लुटाने की अवधि बताया गया है। मेरे विचार में आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। खाद्य उत्पादन 50 प्रतिशत बढ़ा है, कपास का उत्पादन 100 प्रतिशत, पटसन का उत्पादन 50 प्रतिशत और गन्ने का 90 प्रतिशत, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार हुआ है। तीसरी योजना में प्राथमिक शिक्षा पर हमने जितना व्यय किया है उतना समस्त ब्रिटिश काल में भी नहीं हुआ था। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सेना पहले की तरह व्हाइट हाल के नियंत्रण में न रह कर काफी आतम-निर्भर हो चुकी है। स्वतन्त्रता के बाद ही इस देश में आधुनिक सेना बनी है।

1912 में जब औद्योगिक आयोग बनाया गया तो हमारा देश पिछड़ा हुआ था। अब नौवहन के क्षेत्र में हम काफी प्रगति कर चुके हैं। स्वतन्त्रता के समय हमारी नौवहन क्षमता 60,000 टन थी जो अब लगभग 10 लाख टन है यद्यपि अभी तक हमारा काफी माल विदेशी जहाजों में आता-जाता है।

जहां तक राजनीतिक तथा राजनयिक सफलताओं का प्रश्न है, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर आर्थिक न्याय की नीव डाली जिसको बिना लोकतन्त्र चल नहीं सकता। साथ ही हमने लोगों को वोट देने का अधिकार दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पिछले 17 वर्षों में भारत संसार का प्रमुख राष्ट्र तो नहीं बना है परन्तु उसकी प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हुई है। कम से कम तीन अवसरों पर इस देश ने विश्व युद्ध रोकने में सहायता की। स्वर्गीय प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिल्ली की एक सार्वजनिक सभा में अमरीका के विदेश मंत्री श्री डीन रस्क ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान बड़ा रचनात्मक रहा है। उपनिवेशों को मुक्त कराने तथा खनिज उत्पादों के एकाधिकार के विरुद्ध आवाज उठाने में हमने महान योगदान दिया है।

संसदीय प्रणाली में विरोधी दलों के योग के बारे में मेरा निवेदन है कि उनकी सतर्कता चाहे वह सरकार के लिये असुविधाजनक हो, संसदीय जीवन के बने रहने के लिये नितान्त आवश्यक है और आज का वाद-विवाद इस बात का उदाहरण है कि विरोधी दल किस प्रकार सरकार को ठीक रास्ते पर डाल सकते हैं और मंत्रिपरिषद को समस्याओं के प्रति जागरूक बना सकते हैं। परन्तु मैं समझ नहीं पाता कि पिछले सौ दिनों में जब से नई सरकार बनी है इन्होंने संसद् का अधिवेशन बुलाने की मांग क्यों नहीं की। अब जब कि देश बुरे समय में से गुजर चुका है, इस प्रकार का प्रस्ताव कोई महत्व नहीं रखता।

खाद्य संकट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सरकार ने इस स्थिति को नहीं माना है कि खाद्य संकट उत्पादन का संकट नहीं है बल्कि थोक और फुटकर व्यापारियों द्वारा पैदा किया गया कीमतों का संकट है। ऐसी बात नहीं है कि सभी मूलभूत आर्थिक विधियां बदल दी गई हैं। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की विचित्र बात यह है कि कम उत्पादन होने पर मूल्य कम होते हैं और उत्पादन अधिक होने पर मूल्य अधिक होते है। थोक व्यापारी कृषक को उधार देता है। उत्पादन कम होने पर वह अपना रुपया वापिस मांगता है। किसान के पास रुपया न होने के कारण उसे अपना अनाज मंडी में ले जाना पड़ता है। 1953-55 में यही हुआ जब श्री किदवई को मंत्री बनाया गया। 1951 से 1963 तक उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहा। वर्तमान स्थिति क्या है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति 13.2 औंस अनाज और 2.2 औंस दालें उपलब्ध हैं जो पिछले वर्षों में लगभग ०.5 औंस कम हैं। जनसंख्या को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। अतः हमें धरती की उत्पादिता की ओर ध्यान देना है। पुरानी कहावत है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक मुंह और एक पेट होता है परन्तु हाथ दो होते हैं। सरकार का राज्य व्यापार का निर्णय सराहनीय है क्योंकि इस समय बाजार में कुल खाद्यान्नों का 4 प्रतिशत से भी कम आता है। राज्य व्यापार से सरकार मूल्यों पर भी नियंत्रण कर सकेगी परन्तु यह नियंत्रण आंशिक न होकर सम्पूर्ण होना चाहिये क्योंकि गत 20 वर्षों में जो चार अकाल पड़े हैं उनमें से तीन मूल्य पद्धति के कारण थे।

हमारी विदेशी नीति की त्रुटियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एकाध व्यक्ति के इधर-उधर कुछ कह देने से किसी सरकार की विदेश नीति बदल नहीं जाती। इस देश की विदेश नीति राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता पर आधारित है जिसका हम कभी सौदा नहीं कर सकते। अखबारी सुर्खियों से विदेश नीति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हमारा देश न केवल सैनिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी गुटों से तटस्थ रहना चाहता है। हमारे प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री का तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में भाग लेना इसका प्रमाण है कि हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विरोधी सदस्यों से हमने कृषि तथा उद्योग के सम्बन्ध के बारे में बहुत कुछ सुना है। यह सर्वथा कृत्रिम भेद है। कोई भी कृषि प्रधान देश औद्योगिक प्रगति के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि हमारे पास अनाज कम है तो हमें इस योग्य होना है कि भीख मांगने की बजाय अनाज खरीद सकें और उसके लिये औद्योगिक विकास आवश्यक है।

काहिरा में हमारी सरकार यह घोषणा करेगी कि हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हम अफ्रीकी-एशियाई देशों, यूगोस्लाविया तथा लैटिन अमरीकी देशों के साथ हैं जिन्होंने युद्ध न करने का सिद्धान्त माना है। भारत सरकार इथोपिया, संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया जैसे देशों के सहयोग से इण्डोनेशिया तथा मलयशिया के मतभेदों को दूर करने और विश्व में तनाव कम करने का प्रयास करेगी ताकि एशियाई लोग आपस में न लड़ें।

इस सरकार को बने अभी सौ दिन हुए हैं और इसकी नीतियों की आलोचना करना बड़ा अवास्तविक है। यदि कोई विशेष बात थी तो यह अधिवेशन पहले भी बुलाया जा सकता था। संकट काल में संसद् की बैठकें स्कूलों और रसोई घरों में हुई हैं। यदि मुझे गलत न समझा जाए तो मैं कहूंगा कि इस देश तथा इस सभा को सत्तारूढ़ दल की सराहना करनी चाहिए क्योंकि हमने बड़े सरल ढंग से नई सरकार की स्थापना की है जिससे हमारा अहित चाहने वालों को जलन हुई है। यह समय लड़ने का नहीं है बल्कि एक होकर समस्याओं का सामना करने का है।

नीतियों की आलोचना तो होती ही रहेगी परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हम अपने देश का कोई भी भाग किसी भी देश को, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन या कोई और, नहीं सौंप सकते क्योंकि उससे संविधान का उल्लंघन होगा। पहले चाहे जो कुछ भी कहा गया हो या किया गया हो परन्तु आज देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो नागालैंड, आसाम, काश्मीर, लद्दाख या देश के किसी भी भाग का सौदा कर सके। कोई सरकार जनता को इसके लिये तैयार नहीं कर सकती।

इस सभा के लिये यह श्रेयस्कर है कि सरकार की जो आलोचना हुई है वह तीव्र नहीं है। जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होने वाला है और जिन व्यक्तियों के हाथों में वे उद्योग हैं उनके लिये सरकारी क्षेत्र एक भयावह वस्तु है। वे भूल जाते हैं कि इस देश ने 8 1/2 प्रतिशत औद्योगिक प्रगति की है और उसका श्रेय सरकारी क्षेत्र को है, गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं। एक समय आयेगा जब सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र एक ही वस्तु के दो नाम होंगे और तभी समाजवाद की स्थापना होगी। यह भी कहा गया कि शायद भारी उद्योगों का विकास धीमा कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह औद्योगिक विकास की अर्थ व्यवस्था तथा टेक्नालोजी का गलत समझना है। इस काम में इतनी गतिशीलता है कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे साम्राज्यों के पिछले द्वार से आने पर बड़ी चिन्ता होती है। जब अंग्रेज भारत में आये तो एक इतिहासकार ने कहा, "भारत पर अंग्रेजों ने कभी विजय नहीं पाई, हम भूले-भटके वहां जा पहुंचे और वहीं जम गए।" कांगो में हम यही देखते हैं। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अज्ञान से किसी दल में चला जाता है और फिर लज्जावश उसे छोड़ नहीं पाता।

Shri Maurya : Mr. Speaker, Sir, this motion of No-Confidence in the Council of Ministers that is before the House is just a Symbol of the anger

of the exploited masses of the Country against this Government. We do not have Confidence in the Government for the simple reason that it has failed to discharge its elementary responsibilities which were (1) to maintain the integrity of national boundary ; (2) to do welfare of the community ; and (3) to maintain the rule of law. China is still in occupation of thirty thousand to forty thousand square miles of our territory ; the Government has failed to recover the lost territory so far. Corruption, starvation, adulteration, black-marketing, hoarding and unemployment were the name of our social life. Government has failed to deal with these problems effectively. They have not done their duty to the country in the matter of rising prices of food-grains etc. So far as the rule of law in the country was concerned, Government did not hesitate to use the Defence of India Rules even against a person who pleaded the cause of the down-trodden masses, the Harijan who have suffered for centuries. There is hardly any section of humanity in the world which has been so exploited in the name of religion, caste and culture as the Harijans of India. People have been arrested and put behind the bars simply because they dared to differ from the ruling party. We do not know what type of rule of law we have here. There are cases of misapprorpriation of public funds amounting to crores of rupees. There is also the question of black-money. Nothing has been done to deal effectively with those problems. Government is afraid of taking action against the Capitalists because that would affect the fortunes of the Congress party itself. I submit, Sir, that there is not rule of law in the country to-day. It was only in the fitness of things that Government should resign.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

People are suffering from poverty and starvation ; they have lost confidence in the Government. If the ruling party wins the elections, it is by manipulations, undue influence and what not. Organisations like the Bharat Sevak Samaj are being used for winning of election by the Ministers and others.

The Harijans do not get justice in Services. They are harassed and insulted. There is a case where an I.A.S. Officer in U.P. had to resign because he was given a shabby treatment there. Government should have distributed crores of acres of fallow land among landless labourers.

The ruling party should not gloat over its majority and political power. It is only a limited section of people comprising Ministers and some M.Ps. and M.L.As and people who have been given permits and licences who have confidence in the ruling party ; the vast majority of people do not have that confidence in it. If the Congress Party is patriotic and has faith in the Indian people it should advise the Government to resign and to conduct fresh election under President's rule. They can see the results then.

Can the Government deny that there is poverty, starvation, unemployment and corruption and casteism in the country? The Congress-men have enriched themselves illegally, that is my charge. The sons nand relations of the Ministers are holding high posts in the private companies and drawing huge salaries. That is nothing but corruption. The ruling party must realise it, it is no use indulgingin mutual administration.

In the end I would submit that I do not support the motion in the form in which it has come before the House, though, at the same time, I feel that this Government no longer enjoys the Confidence of the exploited masses of this country.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर काफी चर्चा हुई है। मैं आपकी अनुमति से उन बातों का जवाब देना चाहता हूं जो कि यहां उठाई गई हैं। हमारी विदेश नीति, भीतरी राजनीतिक स्थिति, रक्षा कार्यक्रम और सरकार की मुख्य सामाजिक और आर्थिक नीतियों का ज़िक्र किया गया है। कुछ सदस्यों ने अर्थतंत्र में समाजवाद लाने की सरकार की क्षमता पर संदेह प्रकट किया है जब कि कुछ अन्य सदस्यों ने इस सरकार पर श्री नेहरू द्वारा निर्धारित सामाजिक और आर्थिक नीतियों से भटक जाने का आरोप लगाया है। मेरे ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से हमले किए गए।

श्रीमन्, मैं मुख्यतः सरकार की आर्थिक नीतियों पर विशेषकर योजना और विकास नीतियों पर बोलूंगा। इस विषय पर हमें सही दृष्टिकोण से विचार करना होगा। कीमतों में बढ़ोतरी सरकार की चिन्ता का विषय बन गया है। पिछले एक वर्ष में कीमतें लगभग पन्द्रह प्रतिशत बढ़ गई हैं। अनाज, खाने के तेल, तथा अन्य खाद्य पदार्थों के दाम विशेष रूप से बढ़ गए हैं। इस तरह की बढ़ोतरी को दुबारा नहीं होने दिया जा सकता है; किन्तु इसका विश्लेषण करना भी आवश्यक है। मुद्रास्फीति और बढ़ती हुई मांग की बात कही गई है; किन्तु हमें सप्लाई की बात को भी ध्यान में रखना होगा।

1963–64 में अनाज की पैदावार 1962–63 की तुलना में 25 लाख टन अधिक था; लेकिन यह मुश्किल से पूर्व वर्ष की कमी को पूरा करने के लिए काफी था। अनाज की कुल पैदावार जो दूसरी योजना के अन्त में 8 करोड़ 10 लाख टन तक पहुंच गई थी। 1962–63 में 25 लाख टन से कम हुई और 1963–64 में यह उस आंकड़े से 17 लाख टन कम थी। इस तरह से खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बाजार में भी माल कम आया है। चावल की आवत में 19 प्रतिशत की कमी हुई है। गेहूं और दूसरे अनाजों के उत्पादन में भी कमी हुई। इन सभी कारणों से कीमतें बढ़ गई हैं।

चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन 30 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले में केवल 25.5 लाख टन हुआ है। निर्यात के लिए हमें लगभग तीन लाख टन भेजना है; इस तरह से हमारे पास केवल 23 लाख टन रह जाते हैं। चीनी के मूल्य और वितरण पर कंट्रोल लागू किया गया है। गन्ने की कीमतें बढ़ा दी गई हैं ताकि उत्पादन को प्रोत्साहन मिले।

मूंगफली के तेल की कीमतें लगभग 30 प्रतिशत से बढ़ गई हैं। मूंगफली का उत्पादन 1959–60 से 45 लाख टन रहा था यद्यपि पिछले वर्ष 53 लाख टन तक बढ़ गया। लेकिन दूसरे तिलहनों के उत्पादन में कमी हुई है। सरसों के उत्पादन में 30 प्रतिशत कमी हुई है।

देश की आबादी 2 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ गई है। इस कारण से और रक्षा और विकास पर हुए व्यय के कारण से मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने के साथ साथ सप्लाई नहीं बढ़ी है। लेकिन कीमतें केवल मांग बढ़ने के कारण ही नहीं बढ़ी हैं। यदि हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा है तो क्या इसका यह मतलब है कि हमें उन फैसलों से मुंह मोड़ना चाहिए जो हम ने अपने देश के विकास, स्थायित्व और आजादी के लिए किये हैं। रक्षा व्यय को बढ़ाने का निश्चय एक बुद्धिमता पूर्ण निश्चय था। इसमें कमी या कटौती करने का कोई सवाल नहीं। इसी तरह हम हमने विकास कार्य को भी धीमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था के लिए यह भी जरूरी है कि हमारा अर्थ-तंत्र सुदृढ़ हो। इस

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

बारे में अदूरदर्शिता से काम करना देश के लिये विनाशकारी होगा । फिर भी अनावश्यक खर्च को बंद करने की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है और हम इसे कर भी रहे हैं ।

सरकार पिछले कुछ वर्षों में इस बात पर ध्यान देती रही है कि खर्च में जो वृद्धि करनी है वह अ-मुद्रास्फीति उपायों द्वारा की जाये। खर्च अधिक करों द्वारा पूरे किए गए । घाटे की अर्थ-व्यवस्था को घटाया गया है । केन्द्र और राज्य सरकारों ने 1962-63 में रिजर्व बैंक से 207 करोड़ रुपये उधार लिए थे जब कि 1963-64 में उन्होंने 195 करोड़ रुपये लिए। सरकारी खर्च में 75 करोड़ रुपये की कमी परिणाम स्वरूप इस वर्ष अगले वर्ष की तुलना में घाटे की अर्थव्यवस्था कम होगी। हमारा नक़द रोकड़ इस समय 97 करोड़ रुपये है जो कि संतोषजनक है । इस वर्ष हम राज्य सरकारों को योजना के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये प्रति मास अधिक सहायता देते रहे हैं। हम ने लगभग 80 करोड़ रुपये जो ज्यादा दिया है, उसका कारण यही है । सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क से अगस्त 1964 तक 454 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है । जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 413 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे। चालू वर्ष के लिए आय-व्यय सम्बन्धी स्थिति के बारे में अभी कुछ कहना समय से पूर्व की बात होगी ।

योजना के लिए अधिक ऋण-सहायता लेने के बाद भी कई राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान में भारी घाटा दिखाया है । उन्हें योजना के लिए अ-मुद्रास्फीति साधन जुटाने के लिए अपनी कोशिश तेज़ करनी चाहिये।

कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम ने अपनी वित्त नीति को भी प्रयोग में लाया है । निजी क्षेत्र के बैंक ऋण विनियमित किये गए हैं। खाद्यान्नों के लिये जो पेशगी रुपया दिया गया है वह पिछले वर्ष की अपेक्षा 9 करोड़ रूपये कम है ।

श्री दांडेकर ने कहा कि कीमतें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि भारी उद्योगों के विकास पर ज़रूरत से ज्यादा ज़ोर दिया गया है और कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है । प्रश्न यह नहीं है कि हम ने उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया है और कृषि पर कम। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। यदि सरकार बड़े कल कारखानों में पैसा लगाती है उसका असर हमारे कृषि-उत्पादन पर, क्यों पड़ेगा, वह घट जायगा, भारत जैसे देश के लिये तीव्र उद्योगीकरण के बिना कोई चारा नहीं है । यदि हमें विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करनी है तो नशीनरी और धातुओं को तैयार करना ही पड़ेगा । पिछले तीन सालों में हम ने जो सबक सीखा है वह यह नहीं है कि हमें अपना विकास कार्य धीमा करना चाहिए बल्कि यह है कि हमें हर क्षेत्र में लगाए गए पैसे से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और लाभ प्राप्त करना चाहिए । जिस से कि अर्थ-तंत्र के विकास की गति तेज़ हो ।

1963-64 में राष्ट्रीय आय में 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि पिछले दो वर्षों में 2 1/2 प्रतिशत ही हुई थी। हमारे नये उद्योगों में उत्पादन बढ़ रहा है । इन में मशीनी औज़ार, इंजीनियरी तथा रासायनिक उद्योग, बिजली उत्पादन उद्योग उल्लेखनीय हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उद्योगों के विकास को क्यों पैसा घटा के कम कर देना चाहिए। सही नीति यह होगी कि हम इस के राह में से बाधाए हटा दें । कठिनाइयां तो हमेशा रही हैं। हम ने उन्हें

समय समय पर दूर भी किया है । कोई कारण नहीं है कि क्यों न हम वर्तमान कठिनाइयों को भी दूर कर सकें ।

औद्योगिक वित्त की सुविधाएं बढ़ाने के बारे में हम ने पिछले वर्ष कई कदम उठाए हैं। श्री दांडेकर ने पूंजी बाजार में पैसा जुटाने की कठिनाइयों का ज़िक्र किया, नई व्यवस्था से उस समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी लेकिन उद्योगों को भी मेहनत से जनता की बचत को प्राप्त करना सीखना चाहिए । मैं चाहता हूं कि देश में ऐसी स्थिति आ जाय जब कि किसी भी उपयोगी औद्योगिक उपक्रम को पैसे के लिए काम रोकना न पड़े ।

कई माननीय सदस्यों ने हमारे उद्योगों की बेकार क्षमता का उल्लेख किया । कुछ इंजीनियरी और रासायनिक उद्योगों में क्षमता पूरी तरह उपयोग में न लाने का कारण यह है कि माल और पुर्ज़ों के आयात के लिए, जो कि उत्पादन के लिए आवश्यक है, विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी। सरकार इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है । इस सम्बन्ध में माल और पुर्जों के देश में ही उत्पादन के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है और दूसरे गैर-परियोजना सहायता ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने की कोशिश कर रही है जिस से कि उपलब्ध क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके । सारांश यह है कि सरकार उद्योगों के विकास की राह में सारी बाधाएं दूर करने का भरसक और निरन्तर प्रयत्न कर रही है । उन्हें करों के संबंध में में छूट दे रही है, वित्त सम्बन्धी सुविधाएं दे रही है और उनके लिए विदेशी मुद्रा की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जिस से कि वह उत्पादन में काम आने वाले माल का आयात कर सके ।

छिपे धन की समस्या का उल्लेख किया गया है जिसका कि कोई हिसाब किताब ही नहीं। यह एक ऐसी समस्या है जिसका कि तुरन्त ही समाधान नहीं हो सकता है । सरकार ने इस तरह के पैसे का लाकरों आदि से पता लगाने के लिए हाल ही में कुछ कदम उठाये हैं। सरकार इस कार्यवाही को जारी रखने के लिए कटिबद्ध है ।

1950 और 1963 के बीच भारत में थोक मूल्य 1.7 प्रतिशत के दर से बढ़े हैं, जब कि कई यूरोपीय देशों में यह 2 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से बढ़ हैं। समस्त विश्व में 2 से 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कीमतें बढ़ी । अतः भारत में भी कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है । पिछले वर्ष जो दाम बढ़े हैं उस से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाने और वितरण पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है । कृषकों को हम जो मूल्य दे रहे हैं, उस सम्बन्ध में भी हमारी ठीक नीति होनी चाहिए। जब तक कि हम एक संयोजित मूल्य नीति नहीं अपनायें, हमारे लिए निर्वाह-व्यय का स्थिर करना कठिन होगा । यह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों से न्याय करने का सवाल है । कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार को न केवल कृषि-जन्य पदार्थों के विपणन की जिम्मेदारी उठानी होगी अपितु कारखानों में तैयार हुए उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन की भी । इसके साथ ही एक दीर्घकालीन आय नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है ।

चौथी योजना को बनाने का कार्य योजना आयोग में तथा सरकार के उन विभागों में जारी है जिनका कि इस काम के साथ सम्बन्ध है, । अभी तक हम योजना के परिणामों को निश्चित करने के प्रक्रम पर नहीं पहुंचे हैं । फिर भी यह आवश्यक और वांछनीय है कि हम चौथी योजना के सम्बन्ध में तीसरी योजना के अंतिम वर्ष में ही कुछ अग्रिम कार्यवाही करें। इसी अग्रिम

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

कार्यवाही द्वारा चौथी योजना का क्षेत्र और गति निर्धारित होगी। योजना के विस्तार अथवा आकार के सम्बन्ध में सरकार और योजना आयोग के बीच किसी तरह के संघर्ष के समाचार निराधार हैं। योजनाबद्ध प्रयास का आशय ही यह है कि हम अपनी आकांक्षाओं और उद्देश्यों को इकट्ठा करके उनको तुरन्त उपलब्ध साधनों और क्षमता के साथ करें और इस तरह से किसी निश्चय पर पहुंचें। योजनाबद्ध प्रयास एक मिश्रित प्रयास होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो चीजें व्यवहार्य हैं वह वित्तीय रूप से भी सम्भव होनी चाहिए। लेकिन सदैव ही ऐसा नहीं होता। यदि शुरू के वर्षों का योजनाबद्ध प्रयास अर्थ-व्यवस्था को सुद्रढ़ करता है, तो हम योजना के अन्तिम वर्षों में ज्यादा बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। इस बात की सम्भावना है कि हमें चौथी योजना के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में ज्यादा वृद्धि की आशा कर सकते हैं यदि हम उस योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही तीसरी योजना के अन्तिम वष में शुरू कर करेंगे और चौथी योजना के शुरू के वर्षों में जी जान से काम को आगे बढ़ायेंगे।

चौथी योजना का दृश्य हमारे समक्ष है। इस में हम आर्थिक गतिविधि के किसी एक पहलू की उपेक्षा कर के दूसरे किसी पहलू पर अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंग एक दूसरे के सहायक और आश्रित हैं। और यदि एक की उपेक्षा की जाय और दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाय तो उस से हमारी सुव्यवस्थित प्रगति निश्चित नहीं होगी। हम आयात पर अपनी निर्भरता कम से कम करना चाहते हैं। चाहे यह खाद्यान्नों का मामला हो अथवा इस्पात का। ऐसी सूरत में यह कहना कि हम एक क्षेत्र की उपेक्षा करके दूसरे क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं ठीक नहीं है।

जहां तक कृषि का संबंध है, हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे हैं जहां कि हमें गहन खेती पर ही अधिक ध्यान देकर पैदावार बढ़ानी होगी। खेती का क्षेत्र हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें उर्वरकों कृमिनाशक पदार्थों और अच्छे बीजों आदि को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। कृषि-आयोजन पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह करना होगा। कृषि के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हमारे विकास की दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योगों आदि की प्रगति के समतुल्य हो। इस समय हमारे उद्योगों का विकास 8 प्रतिशत से अधिक दर से हो रहा है जब कि कृषि का विकास 4 प्रतिशत की दर से हुआ है और पिछले तीन वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है। कृषि में धीमी प्रगति का बुरा प्रभाव विकास के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा है। चौथी योजना में हमारी कृषि का विकास दर कम से कम से 5 प्रतिशत होना चाहिए। यह इस से भी अधिक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसके लिए और बातों के अलावा कुशल प्रशासकीय व्यवस्था हो; राज्यों और केन्द्र में अधिक सहयोग हो और उन उद्योगों में पैदावार की दर तेज़ हो जिनका कि कृषि से सम्बन्ध है जैसे कि उर्वरक आदि, सहायक खाद्यों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा। मैं इस बात से पूणतः सहमत हूं कि यदि हम कृषि विकास की गति तेज़ न करे तो हमारे विकास प्रयासों को नुक्सान पहुंच सकता है। इसलिए चौथी योजना में हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था के इस महत्वपूण क्षेत्र में राज्यों के सहयोग से पर्याप्त साधन लगाने होंगे और इस सम्बन्ध में प्रशासन का सुधार करना होगा। कीमतों में स्थिरता लाने के लिए हमें उत्पाद के लिए एक उपयुक्त मूल्य नीति भी निर्धारित करनी होगी।

उद्योगों से पर्याप्त सहायता पाये बिना कृषि का विकास नहीं हो सकता है। चौथी योजना में हम मोटे तौर पर उद्योगों को उन्हीं लाइनों पर आगे ले जाना चाहते हैं जो कि हमने तीसरी योजना में अपनाई थी। चौथी योजना का औद्योगिक कार्यक्रम 1956 के उद्योग नीति संकल्प के आधार पर आधारित होगा। इस संकल्प के दायरे में रह कर हम ने गत वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति की है। विदेशी मुद्रा की कमी हमारे औद्योगिक उत्पादन के विकास में बाधक बन गई है। इस सम्बन्ध में कई दिशाओं में हमें काम करना होगा। यदि हमें आने वाले वर्षों में विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करनी है और साथ साथ विकास करना है तो हमारी औद्योगिक लाइसेंस नीति का स्पष्ट उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम आयात की गई चीजों के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा देश में तैयार की गई चीजें इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ज्यों ज्यों हमारा आर्थिक विकास उन्नत और जटिल होता जायगा त्यों त्यों हमें नई नई चीजें, तकनीकी जानकारी और नये नये उत्पाद आयात करने होंगे।

औद्योगिक विकास की किसी भी उचित योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और औद्योगीकरण के के लाभों को दूर दूर तक पहुंचाने की आवश्यकता की बात आ जानी चाहिए। प्रजातांत्रिक ढंग से चलने वाली कोई भी सरकार इन दो बातों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक बातों को भी नजर-अन्दाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उद्योगों को ठीक जगह पर स्थापित करना और खर्च आदि की बात। लागत की बात को हम ने आज तक उतना महत्व नहीं दिया है जितना कि दिया जाना चाहिए था। इस तरफ अब हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

चालू योजना में हम ने बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में कई परियोजनायें शुरू की। उन में से बहुत सी पूर्ण हो गई हैं और कुछ चौथी योजना के पहले वर्ष तक पूरी हो जायेंगी। बिजली की सप्लाई 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। चौथी योजना में विद्युत उत्पादन का विस्तार जारी रहेगा। कुछ परियोजनाओं के बारे में योजना आयोग ने काम किया है। आने वाले वर्षों में हम अन्य विद्युत योजनाओं के बारे में अग्रिम कार्यवाही करेंगे। विद्युत विकास के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक यह है कि किसी भी सुव्यवस्थित अर्थ तंत्र में विद्युत की दरें इस तरह से निश्चित की जानी चाहिएं कि उन से खर्च और लागत पूरी हो सके और आगे विस्तार के लिए भी साधन उपलब्ध हों। दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। यदि आनेवाले वर्षों में हमें संयोजित प्रादेशिक और राष्ट्रीय 'ग्रिड' बनाने हैं जहां से कि कम खर्च पर बिजली सप्लाई हो सके तो हमें शीघ्र ही इसके प्रशासकीय पहलुओं पर विचार करके कोई संतोषजनक व्यवस्था करनी चाहिए।

जहां तक यातायात का सम्बन्ध है हमें रेलवे के विस्तार के साथ साथ सड़क परिवहन के विकास की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय आधार पर सड़क विकास के लिए योजनायें बनाने के उद्देश्य से कई अध्ययन किए जा रहे हैं जो कि ऐसा कार्यक्रम तैयार करने में सहायक होंगे। चूंकि रेलवे में हमारी बहुत सी पूंजी लगी हुई है, हमें इस स्रोत से अधिक दर पर लाभ प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए। चौथी योजना में हमें रेलों की उपयोगिता बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने उन साधनों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो वर्तमान असंगठित सड़क परिवहन प्रणाली में बेकार जाते हैं।

[श्री ती० त० कृष्णमाचारी]

रोजगार के मामल में दुर्भाग्यवश हमारा अनुभव यह रहा है कि हर योजना के साथ साथ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है । चौथी योजना में हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख श्रमिकों के लिए–जो कि श्रमिक वग में नवागन्तुक होंगे––रोजगार की व्यवस्था हो । इस समस्या पर सरकार ध्यान दे रही है ।

जहां तक उर्वरकों के उत्पादन का प्रश्न है तीसरी योजना में हमारी प्रगति संतोषजनक नहीं रही है । कई और कारखाने खोलने के लिए व्यापक परियोजना अध्ययन किये गए हैं और इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है । चौथी योजना में उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम को व्यापक रूप से पेट्रोलियम वस्तु भंडारों के साथ जोड़ा जायगा । जिस से कि उर्वरकों के उत्पादन खर्च में कमी होगी ।

ईंधन के क्षेत्र में भी अग्रिम आयोजना का काम हाथ में लिया गया है । इस सम्बन्ध में हमें सुविख्यात विदेशी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त है, जिन्होने कि विशेष अध्ययन आदि किए हैं । अगली योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कोयले की सप्लाई की स्थिति आसान होगी क्योंकि उत्पादन मांग से अधिक होगा । नये तेल साफ करने के कारखानों के आकार, स्थान और समय के सम्बन्थ में अग्रिम आयोजन कार्य बड़ी हद तक पूरा किया गया है और अब हम कई ऐसी तेल कम्पनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने कि सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों की स्थापना और विस्तार में अपना सहयोग देने में दिलचस्पी दिखाई है । इसके साथ ही तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन के पास पर्याप्त मात्रा में साधन रखे गए हैं । हमें आशा है कि उनकी कोशिशें सफल होंगी ।

सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों का विस्तार करने के लिए हमने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र के दो मुख्य इस्पात उत्पादकों ने भी अपने कारखानों का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रस्ताव तैयार करने में काफी प्रगति की है । कच्चे लोहे की कमी को दूर करने के लिए हम ने भिलाई और दुर्गापुर में अतिरिक्त भट्टियां स्थापित करने के लिए भी कार्यवाही की है, बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए कायवाही शुरू की गई है । अन्य स्थानों के सम्बन्ध में व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन या तो तैयार हो चुके हैं या विचाराधीन हैं ।

इन बातों को देखते हुए यह कहना गलत होगा कि सरकार उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी गति धीमी करना चाहती है अथवा भविष्य की परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्यवाही बन्द करने का इरादा रखती है । यह कहा जाता है कि वतमान सरकार श्री नेहरू द्वारा निर्धारित नीतियों से भटक गई है । यह भी कहा गया है कि हम ने गैर-सरकारी क्षेत्र को अत्यधिक कर-सुविधाएं दी हैं और विदेशी निजी पूंजी के लिए द्वार खुले छोड़े हैं और इस तरह से अपनी स्वतंत्रता को तिलांजलि दी है । यह सभी बातें राष्ट्र की स्मृद्धि और स्वतंत्रता बढ़ाने में सरकार की योग्यता पर संदेह डालने के लिए कही गई हैं । यह एक बिल्कुल गलत बात है कि हमने विदेशी एकाधिकार पूंजी के लिए दरवाजे खुले छोड़े हैं । जो लोग ऐसा कहते हैं वे अल्प-विकसित देशों में विदेशी पूंजी की आवश्यकता और महत्व से अनभिज्ञ हैं । सरकार की एक भी नीति ऐसी नहीं है जहां हम ने भारतीय पूंजी

की अपेक्षा विदेशी पूंजी को सुविधा दी हो । हमारी कर नीति इस तरह से निर्धारित की गई है कि कर का भार सब पर पड़े । आर्थिक स्वतंत्रता परिश्रम से ही प्राप्त की जा सकती है । इसका मतलब यह है कि कृषि और उद्योगों में काफी विकास हो । यही हमारी योजना का मंशा है, और हम इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कटिबद्ध हैं ।

कहा जाता है कि इस सरकार ने श्री नेहरू की नीतियों को तिलांजलि दी हैं पहले कुछ लोग श्री नेहरू को उनकी पार्टी से अलग रखने की कोशिश करते थे । अब यह है कहा जाता है कि श्री नेहरू वर्तमान सरकार से बिल्कुल भिन्न थे । दोनों ही बातें गलत हैं । श्री जवाहरलाल नेहरू को हम प्रतिपक्षी दलों से ज्यादा अच्छी तरह जानते थे । वह कांग्रेस के कर्ताधर्ता थे और हम उन के अंग थे और अंग रहेंगे चाहे विरोधी दल उन्हें अलग दिखाने की कितनी ही चेष्टा क्यों न करें । हमारे लिए वह आज भी ध्रुव तारा हैं । उन्होंने हमें जो रोशनी दिखायी है उसी रोशनी में हम आगे बढ़ते जायेंगे ।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Sir, there are numerous instances where the ruling party has let down the country and its interests. The Congress Party before independence, had proclaimed that it would have no truck with the communal organization like the Muslim League ; but later on the same party entered into an arrangement with the League and brought about the division of the motherland making it vulnerable from defence point of view from East and West. The Congress Government has also been responsible for surrendering our vital interests in Tibet. They recognized the overlordship of China over Tibet without a demur although the latter was an independent country during the British regime. There would have been no attack on India from north if Tibet's independence would have been kept intact.

[श्री सोनावने पीठासीन हुए ।
SHRI SONAVANE *in the Chair.*]

Mahatma Gandhi used to say that no Congress Minister would take more than rupees five hundred per month as salary. To-day they not only draw huge salaries and allowances, but they also induldge in corruption which is all pervasive . The Home Minister, Shri Nanda, should move about *in cognito* and see things for himself. Corruption is rampant in the administration and more particularly in the Railways where nothing moves except with the help of money.

The Congress Government is responsible for bringing about the disintegration of the Hindu Society. In the name of eradicaton of caste system, it has created new caste of backward classes' It has disrupted the social fabric of the Hindu Society by enacting a new Hindu Code. It has given rise to divorces which were unknown to our Society and has set brother against sister in the matter of property disputes.

Though the Congress Party seeks votes in the name of "a pair of bullocks" which is its election symbol, it has neglected the welfare of cattlewealth in the country.

The Government has been responsible for giving away a big chunk of our territory to China for want of adequate defences. That is the biggest lapse on its part.

श्री कोया (कोजीकोड) : सभापति महोदय, मुस्लिम लीग दल इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है । इसका कारण यह है कि नये मंत्रिमंडल को अभी तीन ही महीने हुए हैं । इसको अभी काम दिखाने का मौका मिलना चाहिए । इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों को हर तरह का आराम है और उन्हें कोई कठिनाई नहीं है । कोई ऐसी गम्भीर बाहरी और भीतरी समस्याएं हैं जिनका तत्काल समाधान देश के हित में है ।

भ्रष्टाचार की समस्या है जिसके कई पहलू हैं । इसके राजनीतिक पहलू ने इस समय गम्भीर रूप धारण किया है । मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप आये दिन समाचार-पत्रों में निकलते रहते हैं । सरकार ने अभी तक इस समस्या की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि उसे देना चाहिए था । गृह-मंत्री ने इस सम्बंध में कार्यवाही करने की कोशिश की थी किन्तु उनकी राह में रोड़े अटकाए गए । इससे उनका सारा उत्साह कम पड़ गया । इस भ्रष्टाचार से हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ है और देश की शक्ति क्षीण हुई है । यदि इस रोग पर काबू न पाया गया तो इससे देश आर्थिक तबाही की ओर जायगा । इस भ्रष्टाचार से ही खाद्य संकट बढ़ गया है । सरकार को मुद्रास्फीति के बुरे परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए था । भारी उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण कृषि और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर बुरा प्रभाव पडा है । उनका उत्पादन कम हुआ है परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं ।

बर्मा और श्रीलंका से आए हुए भारतीय मुलक प्रवासियों के पुनर्वास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि अन्य शरणार्थियों के पुनर्वास पर दिया गया । वह हमारे अपने लोग हैं, उन्होंने अपने परिश्रम से उन देशों का आर्थिक विकास किया और अपनी रोज़ी भी कमाई । परन्तु उन देशों की राष्ट्रीयकरण की नीति के कारण वह लोग इस समय बेबसी का शिकार हुए हैं । यदि सरकार ने शुरू से उनके मामलों में दिलचस्पी ली होती तो आज उनकी यह हालत न होती । अब भी उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है ।

योजनाबद्ध विकास का लाभ सभी राज्यों को समान रूप से नहीं मिला है । यह असमानता केरल राज्य में नितान्त स्पष्ट है । वह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है लेकिन उनको उपयोग में नहीं लाया गया है । वहां की जनता उद्योगों के लिए चिल्ला रही है लेकिन भारत सरकार उनकी मांग पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है । पाइड्रो केमिकल उद्योग को वहां से हटा लिया गया है । प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण से पता चला है कि केरल राज्य में वहां की बहुत सी नदियों से बिजली पैदा करके वहां व्यापक आर्थिक विकास हो सकता है परन्तु यह मालूम नहीं कि भारत सरकार इस सम्बंध में क्या कुछ कर रही है ।

केरल में शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ है परन्तु इसके साथ ही वहां शिक्षित बेकारों की समस्या भी विकट रूप धारण कर चुकी है । सरकार ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : सभापति महोदय, मैं पिछले तीन दिनों से वाद विवाद को सुनती रही हूं । इससे एक बात स्पष्ट नज़र आ रही है कि शास्त्री सरकार के समर्थन में नई प्रतिक्रियात्मक शक्तियां संगठित हो रही हैं । सत्ताधारी दल में जो दरारें पड़ रही हैं वह उनकी आंखों से ओझल है । अब स्वतंत्र पार्टी, श्री फ्रैंक एन्थनी और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाएं और व्यक्ति जोकि प्रतिपक्ष में हैं सरकार की मदद और समर्थन पर आए हैं । सरकार के लिए यह सोचने की बात है ।

कल श्री नन्दा ने कहा कि कम्युनिस्टों की वफादारी देश के साथ नहीं, विदेशों के साथ है। मुझे मालूम नहीं कि उनका आशय क्या है। हम इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि कम्युनिस्टों का यह विश्वास है कि हर देश में कम्युनिस्टों का विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन के अनुभवों, उनकी गलतियों और सफलताओं को ध्यान में रख कर तथा अपने इतिहास और पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर समाजवाद की धारा निर्धारित करनी चाहिए। किसी देश में क्रान्ति दूसरे देश से नहीं लाई जा सकती है। जिस समय चीन ने हम पर हमला किया, हमने अपने देश की आजादी रक्षा और विकास का साथ दिया यद्यपि हमारे दफ्तरों पर हमले किये गए और भारत रक्षा नियम हमारे विरुद्ध प्रयोग में लाये गए।

इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण बात पर विशेष रुप से बोलना चाहती हूं। इस समय बड़े बड़े पूंजीपतियों का राज है और सरकार ने उसे शक्तिशाली बनने दिया है। मंत्रीगण इससे भ्रष्ट हुआ है और राज्य शक्ति इससे क्षीण हुई है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यह बड़े बड़े पूजीपतियों की शक्ति के कारण है। यह देश आज एकाधिपतियों व्यापारियों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के चंगुल में फंसा हुआ है। गल्ला व्यापारियों ने हड़तालें करवाई हैं लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक एक व्यक्ति को भी भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने इतनी दबी हुई है कि अब वह उनसे काला पैसा निकालने के लिए उन्हें आयकर में छूट देने की बात सोच रही है। हमें देखना यह है कि इस मंत्रि मंडल की पीठ पर कौन लोग हैं—श्री एस० के० पाटिल, श्री अतुल्य घोष और श्री संजीव रेड्डी। इन तीनों व्यक्तियों का सम्बंध पूंजीपतियों से है। श्री संजीव रेड्डी के विरुद्ध उच्चत्तम न्यायालय ने कुछ बातें भी कही हैं। फिर भी उन्हें मंत्रि मंडल में शामिल किया गया। क्या यही लोग अब नेहरूजी के समाजवाद के प्रतीक रह गए हैं, मैं यह सरकार से पूछना चाहती हूं।

बड़े बड़े अधिकारियों की भी यही स्थिति है। कई सुप्रसिद्ध भूतपूर्व अधिकारी इस समय निजी क्षेत्र के उद्योगों का मूलाधार बन गए हैं। श्री एच० वो० आर० आयंगर, श्री ए० आर० पिल्ले और श्री सी० सी० देसाई जैसे सेवानिवृत्त वरिष्ट अधिकारी आज बड़ी बड़ी कम्पनियों में मोटी तनख्वाहें पा कर काम कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ी बड़ी कम्पनियों के अपने जन सम्पर्क अधिकारी हैं, क्या सरकार ने यह जानने की कभी कोशिश की है कि उनकी कार्यविधि क्या है।

इस समय मंहगाई जोरों से बढ़ रही है। पिछले ग्यारह वर्षों में मूल्यों में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। जबकि पिछले 15 महीनों में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई है। दाल, चावल, खाने के तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे। जबकि कीमतें बढ़ गई हैं, बंगाल म पटसन मजदूरों की मजदूरी 60 पैसे से घटा दी गई है।

बम्बई में अभी कुछ फिल्म तारिकाओं के घरों आदि पर छापे मारे गए और उनको समाचारपत्रों आदि में प्रकाशित किया गया। एक भूतपूर्व मंत्री के लड़के के घर पर भी छापे मारे गए लेकिन उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? इस सिलसिले में विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया गया है। यदि इस समबंध में व्यापक जांच कराई जाय तो बहुत सारी बातें देश के सामने आ जायंगी।

कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे भत्ते बढ़ा दिए जायें, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का प्रश्न आता है तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। सरकारी कर्मचारी चाहते है कि उनका मंहगाई भत्ता निश्चित करने के प्रश्न पर पंच निर्णय हो। जहां तक बोनस कमीशन

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

की सिफारिशों का सवाल है, सरकार इस बात की अनुमति नहीं देती कि पूंजीपति अपने लाभ का एक भाग मजदूरों और कर्मचारियों को दें। सरकार पूंजीपतियों के प्रभाव में है। सरकार के विरूद्ध यह मेरे आरोप है।

यह दुख की बात है कि दिल्ली की जनता को साफ पानी का एक गिलास भी नसीव नहीं है। यहां का पानी मलमूत्र से दूषित है। जनता को सरकार में कोई विश्वास नहीं रह गया है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : Mr. Chairman, there have been two motions of no-confidence against the Shastri Government, one sponsored by the opposition and the other by the Congress party itself. The motion sponsored by the Congress party had come up in the Congressmen's convention held at the Constitution club on the 6th September ; some of the Ministers were present there on that occasion. That convention had expressed its concern at the unsatisfactory economic conditions in the country as well as the administrative failures of the Government.

Some of the Congress stalwarts who opposed the present motion dilated upon the personal qualities of the Prime Minister. He should remain beware of the sycophants and should try to know about the real conditions in the country.

The food problem posed a great threat to the country at the moment, but even greater than that was the threat of population explosion. Population was increasing at the rate of 2·4 per cent per year and within a decade we we would be having our population increased by 8 to 10 crores. The danger was that our food situation might take precasions turn in the days to come. State trading was no solution to the prolblem. Its introduction would only divert the attention of the Government from the real problem which was of increasing the production. Government should concentrate on increasing food production and give up the idea of introducing state trading which was expensive as well as time-consuming. All the departments connected with agricutlrural production should be under one Minister. In U.P. we have seen those departments separately under five different Ministeries. The result is that production has been steadily going down.

The other important thing about foodgrains was variation in prices. Wheat which was selling at the rate of rupees twenty four per maund in Punjab was being sold at Rs. 32/- in Delhi and Rs. 40/- in Ghaziabad. This was all due to the Zonal System. Zones should be abolished with a view to ensuring that prices did not go up.

The food portfolio should be held by a person well conversant with the problems of agriculture. The food problem should be tackled on a war-footing. Prime Minister should himself look after the food and agriculture portfolio.

As regards our foreign policy, it should conform to our national interests. It was a matter of regret that Government has not been able to find suitable persons to be appointed as our Ambassadors in Nepal and Indonesia. To keep those key posts vacant only shows the hollowness of our foreign policy. The Dalai Lama should be allowed to undertake a tour of the Budhist countries. It was a mistake to keep his activities confined to India alone.

The present second Secretary of the Chinese Embassy in New Delhi headed the Chinese Intelligence Department in Tibet for some time. His activities here were of a prejudicial character . Government should ask for his recall.

So far as the question of corruption was concerned steps should be taken to eradicate it at the political level. Corruption should also be removed from organizations like the Bharat Sevak Samaj, the Khadi Commission and the Social Welfare Department. The anti-corruption law should come into operation against all the offenders regardless of their influence and power. Government should not shield persons simply because they are highly connected.

It was not proper to turn the Prime Minister's House into a Nehru memorial or was it desirable to mint currency with Nehru's profile on it. That would be against the very principle for which Shri Nehru stood.

The Prime Minister should not be bound by the assurances which the late Prime Minister, Shri Nehru had given in his personal capacity whether they relate to Goa or Pondicherry, Nagaland or Shiekh Abdulla. Shri Shastri was not bound by those commitment and he should take clear decisions onthe issues as they come up before him.

श्री मुत्तु गोंडर (तिरूपत्तूर) : सभापति महोदय । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते के लिए खड़ा हुआ हूं । आज़ादी के बाद जनता को सरकार से बड़ी-बड़ी आशायें थी, उन्होंने परिश्रम किया भारी कर दिए ताकि उन्हें अच्छा शासन मिले और उनकी हालत में सुधार हो । परन्तु उन्हें इस सम्बंध में निराशा का सामना करना पड़ा । इस कारण से कांग्रेस सरकार और पार्टी में उनका विश्वास उठ गया है ।

इसमें सन्देह नहीं कि पिछले वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुई है परन्तु जितना पैसा हमने इस काम पर खर्च किया है उसको ध्यान में रखते हुए यह प्रगति पर्याप्त नहीं है । सरकार की ओर से कहा जाता है कि अब हम बहुत सी चीजें देश में तैयार करते हैं और उन्हें निर्यात भी करते हैं । यह ठीक है लेकिन जनता की क्या हालत है ? उन्हें पहनने को न कपड़ा है न जूते हैं जिन्हें कि सरकार निर्यात करती है । उद्योगों से जो आय बढ़ी है वह कुछेक व्यक्तियों के हाथों में चली गई है । महालनवीस समिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 20 प्रतिशत लोग हमारे देश की आय का लगभग 70 प्रतिशत भाग ले लेते है । 80 प्रतिशत लोग अब भी ऐसे हैं जो सुख सुविधाओं से वंचित हैं । सरकार राष्ट्रीय आय को उचित ढंग से गरीब कृषकों, मजदूरों, आदि में नहीं बांट सकी है ।

सत्ताधारी दल अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए प्रतिपक्षीय दलों के विरुद्ध तरह तरह के कानूनों जैसे भारत रक्षा नियमों को उपयोग में लाना है । मद्रास राज्य में द्राविड़ मुनेत्र कषगेम के विरुद्ध कई हथकंडे इस्तेमाल किए गए । फिर भी वह जनतंत्र की दुहाई देते है ।

कांग्रेस सरकार समाजवाद की बातें करती है लेकिन सच्चाई यह है कि इस पार्टी को पूंजीपतियों और जागीरदारों का समर्थन प्राप्त है । इन्हीं कारणों से जनता का इसमें विश्वास उठ गया है । मद्रास राज्य में द्राविड मुनेत्र कषगम की धीरे धीरे जीत हो रही है ?

[श्री मुतु गोंडर]

सरकार जनता पर हिन्दी थोपना चाहती है यद्यपि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि हिन्दी को केवल तभी राज्य भाषा बनाया जायेगा जब कि अहिन्दी भाषी लोग इसके लिए कहेंगे। हम कह चुके हैं कि हिन्दी को देश की एकल राज्यभाषा बनाने का यह उचित अवसर नहीं है। हमारे सैकड़ों लोग हिन्दी का विरोध करने के लिए जेल भेजे गए हैं। हम हिन्दी को देश की एकल राज्य-भाषा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।

जहां तक हमारी विदेश नीति का सवाल है, मुझे दो एक बातें कहनी हैं। बर्मा में बहुत से ऐसे भारतीय हैं जिन्हें कि वहां से निकाला जा रहा है। हजारों की संख्या में वह यहां आ रहे हैं। मेरे विचार में हमारी सरकार वहां की सरकार से उन जायदादों के लिए मुआवजे की मांग कर सकती है जोकि भारतीयों ने वहां छोड़ी हैं। श्रीलंका में भारतीय मूलक 8 लाख व्यक्ति जोकि राज्य विहीन हैं। यह एक ज्वलंत समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। उन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता के अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

सरकार ने सेलम इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में सभा को जो आश्वासन दिया था उसे पूरा किया जाना चाहिए और उस कारखाने को तीसरी योजना के दौरान में ही स्थापित किया जाना चाहिए।

Shri Bagri (Hissar) : Sir, it is being said that this motion should not have come because Shastri Government was only a few months old and that it should be given time to show results. My submission is whether it is proper to hold the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru, responsible for all the ills that we find in the country today. Was not Shri Shastri a member of the Nehru cabinet ?

Government had decided to turn the Prime Ministers House into Nehru Memorial because the late Prime Minister had lived and died there. It is a matter of deep regret that Government had failed to acquire the Birla House where Gandhijis martyrdom had taken place although that building valued only about Rs. 8 lakhs. The Birla House where Gandhiji laid down his life could have been a fit Martyr's Memorial.

India was the eighth industrial nation during the British regime. We would like to know whether it had improved upon that position during the last seventeen years.

The food situation is quite precarious at the moment. The high prices of foodgrains have ruined the people. The tillers could not afford to purchase even seeds for sowing.

There was no real emergency in the country. Emergency powers were being used only to suppress the opposition parties.

With a view to enabling the people to purchase bank shares, loans were being offered to the extent of 50 per cent. Now it had been made cent per cent till October-November. It had been done with a view to benefit some interested friends and relations of the Finance Ministers.

Corruption is rampant in the Country ; the Sadachar Samitis are just an eye wash. there is wide-spread adultration of food stuff and other essential commodities.

Situation in the country is deteriorating. The members of the opposition parties were being openly humiliated by Police and the Magistracy. Twenty-five crore depressed classes of India were suffering from poverty and acute frustration. If they rise in revolt against the administration, conditions might perhaps, improve.

उसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 18 सितम्बर, 1964/ 27 भाद्र, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 18th September, 1964 /Bhadra 27, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—1344(Ai) LS— 27-10-64—600.